VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2016

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजनीति और संविधान *7*

1.1. सिविल सेवा में सुधार 7

1.2. कावेरी जल मुद्दा 8

1.3. पुलिस सुधार 10

1.4. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा 13

1.5. NGOs: विनियामक कानून की आवश्यकता: 14

1.6. RTI में सुधार 15

1.7. सिंगूर भूमि परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 15

1.8. आधार से संबंधित विवरणों को साझा करने पर रोक 16

1.9. वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल 17

2. अंतर्राष्ट्रीय / भारत और विश्व *18*

2.1. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मलेन 18

2.2. भारत-आसियान (India-ASEAN) 19

2.3. भारत-वियतनाम (India-Vietnam) 22

2.4. प्रवासी और शरणार्थी 23

2.4.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा 23

2.4.2 शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट 24

2.5 भारत-मिस्र 25

2.6 भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) 26

2.7. सार्क शिखर सम्मलेन (SAARC Summit) 27

2.8. भारत-अफगानिस्तान 28

2.9. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता) 29

2.10. G-20 शिखर सम्मेलन 29

2.11. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन 30

2.12. रूस-पाकिस्तान 31

3. अर्थव्यवस्था *33*

3.1. बजट संबंधी सुधार 33

3.2. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर) 34

3.3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार 35

VISION IAS

3.4. PSUs सुधार: विनिवेश नीति 36
3.5. अवसंरचना वित्तपोषण 36
3.6. सुस्त सड़क परियोजनाएं 38
3.7. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स) 39
3.8. सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं (माइक्रोफाइनेंस इंस्टिट्यूटंस: MFIs) के विकास में शहरी-ग्रामीण असमानता 39
3.9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण 40
3.10. दाल संकट 41
3.10.1. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि 42
3.11. सक्षम परियोजना 42
3.12. प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों का विनियमन 43
3.13. चालू खाता अधिशेष की स्थिति 44
4. सामाजिक मुद्दे 45
4.1. भारतीय संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग 45
4.2. उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA) 45
4.3. राष्ट्रीय मेडिकल आयोग मसौदा विधेयक, 2016 46
4.4. दवाओं तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट 47
4.5. नया स्वास्थ्य सूचकांक 48
4.6. भारत बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित 48
4.7. मराकेश संधि लागू 49
4.8. मिशन परिवार विकास 49
4.9. मातृ स्वास्थ्य 50
4.10. घर के अन्दर शौचालय कवरेज: स्वच्छ भारत मिशन 51
4.11. हिरासत में मृत्यु और जेलों में सुधार 51
4.12. अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक 2016 के नागरिक पहलू 52
4.13. आरम्भ पहल 53
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 54
5.1. GSLV F05 और INSAT-3DR 54
5.2. PSLV द्वारा 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 54
5.3. फोटोकॉपी का अधिकार 55
5.4. निधि 55

VISION IAS

5.5. एंटीबायोटिक प्रतिरोध 56
5.6. मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई 57
5.7. खारे पानी को पीने योग्य बनाना 57
5.8. डीएनए: डेटा भंडारण 58
5.9. बौद्धिक विकलांगता के पीछे जीन 58
5.10. ओसीरिस रेक्स 59
5.11. स्व-चालित कारें 59
5.12. विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलिस्कोप का परिचालन प्रारंभ 60
5.13. प्राप्त जीवाश्म से पृथ्वी पर 3.7 अरब साल पहले जीवन के संकेत 60
5.14. एक अरब से अधिक तारों का मानचित्रण 60
6. सुरक्षा 61
6.1. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) 61
6.2. मोरमुगाओ 61
6.3. उरी हमला 62
6.4.पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजक राज्य निर्धारण अधिनियम 2016 63
6.5. आर्मी डिजाइन ब्यूरो 63
7. पर्यावरण 64
7.1. महासागरीय तापन और इसके प्रभाव 64
7.2. जैव विविधता अधिनियम 2002 की कार्यप्रणाली 65
7.3. विमानन जलवायु समझौता 67
7.4. IGI एशिया-प्रशांत का पहला 'कार्बन न्यूट्रल' हवाई अड्डा 67
7.5. वायु प्रदूषण के स्तर पर WHO का अध्ययन 68
7.6. GM सरसों 70
7.7. मोनसेंटो का स्वदेशी GM विकल्प 71
7.8. हेरिटेज हीरोज अवार्ड 72
7.9. राष्ट्रीय गंगा परिषद 72
7.10. गंगा डॉल्फिन 73
7.11. मदुरै में लागर फाल्कन (बाज) के निवास का विनाश 74
7.12. विशालकाय पांडा अब लुप्तप्राय नहीं 74
7.13. इंडियन पेंटेड फ्रॉग /भारतीय चित्रित मेंढक 74

VISION IAS

7.14. पीका की नई प्रजाति....75
7.15. प्रकम्पन-2016....75
8. संस्कृति....76
8.1 जोगी आदिवासी कला....76
8.2 चित्रकला की बूँदी शैली....76
8.3. नाथद्वारा पेंटिंग....76
8.4 एम एस सुब्बलक्ष्मी....77
8.5. एशिया में सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में शामिल भारतीय संग्रहालय....77
8.6 ऑस्टेलिया ने चोरी की गई प्रतिमाएँ भारत को वापस की....78
8.7 तिरूमलई नायक महल....79
8.8 कनक मूर्ति....79
9. नीतिशास्त्र....80
9.1. अपने निजी कृत्यों के लिए सरकारी अधिकारियों का नैतिक उत्तरदायित्व....80
9.2. नेत्र दान और प्रत्यारोपण....81
10. सुर्ख़ियों में....83
10.1. उत्तराखंड आपदा: GVK पर 2013 की बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जुर्माना....83
10.2. वन्य जीव पैनल ने केन-बेतवा परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी....83
10.3. राष्ट्रीय अपशिष्ट जल पुनरुपयोग नीति की आवश्यकता....83
10.4. केन्द्र द्वारा नागरिकता विधेयक से सम्बंधित शंका का निवारण....84
10.5. केन्द्र ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की....84
10.6. विश्व लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक....85
10.7. FDI संवर्द्धन : विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा....85
10.8. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना....85
10.9. भारत विश्व व्यापार संगठन में अपील हारा....86
10.10. भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)....86
10.11. निर्यात बंधु योजना....86
10.12. भारत का पहला वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र....87
10.13. एक्वाकल्चर को बढ़ावा....87
10.14. मुख्य भूमि से अंडमान को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे केबल....87
10.15. 94.4% परिवारों में बैंक खाते....88

VISION IAS

10.16. GST परिषद द्वारा कर सीमा और अन्य समझौतों के लिए छूट निर्धारित....88
10.17. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा....88
10.18. बेरोजगारी 5 वर्षों में शीर्ष पर....88
10.19. निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु नई पहलों को मंजूरी....89
10.20. छोटे किसानों के लिए कृषि पुरस्कार....89
10.21. भारत की नवाचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टास्क फ़ोर्स....89
10.22. सिक्किम का स्वच्छ भारत अभियान के कवरेज में शीर्ष स्थान....90
10.23. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी....90
10.24. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा....90
10.25. वक्फ संपति....91
10.26. लिंग निर्धारण रोकथाम....91
10.27. गंगा जल में भारी धातु और कीटनाशक के निशान : CPCB....91
10.28. पश्चिमी घाट वृक्षारोपण 204 पक्षी प्रजातियों के लिए घर....92
10.29. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार....92
10.30. 3-पैरेंट तकनीक से जन्मा दुनिया का पहला बच्चा....93
10.31. रोसेट्टा: अद्यतन जानकारी....93
10.32. परम-ईशान सुपर कंप्यूटर का शुभारम्भ....94
10.33. प्रबल दोस्तिक -16....94
10.34. भारत सर्न (CERN) का एक एसोसिएट सदस्य बनने के लिए तैयार....94
10.35. अपरिपक्व जन्म का रहस्य खुला....94
10.36. सबसे धीमा मैग्नेटर मिला....95
10.37. सारथी....95

VISION IAS

1. राजनीति और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. सिविल सेवा में सुधार

(Civil Service Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में "इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीट्स बिग डेटा" शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा तत्काल सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर केंद्रित है।

चुनौतियाँ

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की कमज़ोर स्थिति

- सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा कहीं भी अपनी उच्चतम क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। राजनीतिक सलाहकारी संस्था (political consultancy) की नयी रिपोर्ट ने भारतीय नौकरशाही को एशिया में सर्वाधिक अकुशल श्रेणी में रखा है।
- इस क्षेत्र में कैरियर में उन्नति हेतु प्रतिकूल प्रोत्साहन, विशेषीकृत दक्षता की कमी एवं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

मानव पूँजी में गिरावट

- निरंतर आकर्षक होते जा रहे निजी क्षेत्र के अवसरों से दूर कर युवा प्रतिभाओं को लुभाने का प्रयास करना सरकार को कठिन प्रतीत हो रहा है।
- निरंतर बढ़ती औसत आयु एवं उन्नत शैक्षणिक योग्यता की कमी के मध्य सम्बन्ध का निहितार्थ यह है कि अनेक उम्मीदवार 20-30 वर्ष की आयु के अधिकांश वर्ष संभ्रांत सिविल सेवा की तैयारी करने एवं प्रवेश परीक्षायें देने में व्यतीत कर देते हैं।

स्वतंत्रता में कमी

- राजनीतिक हस्तक्षेप की अत्यंत व्यापक संस्कृति।
- पदों की औसत अविध का कम होना। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यह अवधि छह माह जितनी कम है।

उन्नति के लिए प्रोत्साहनों की कमी

- महत्वपूर्ण पदों को भरने में वरिष्ठता के प्रति पूर्वाग्रह, उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों की तेजी से पदोन्नति प्राप्त करने की योग्यता को कम कर देता है। यहाँ तक कि कई बार घटिया कार्य-निष्पादन करने वाले अधिकारियों को भी पदोन्नति प्राप्त हो जाती है।

विशेषज्ञता की कमी

- कुछ विशेषज्ञों ने प्रश्न उठाये हैं कि, ऐसा विश्व जो निरंतर जटिल होता जा रहा है तथा जहाँ क्षेत्र से संबंधित ज्ञान अधिक मूल्यवान हो गया है, ऐसे में क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा विशेषज्ञता आधारित ना होकर केवल अनेक विषयों की सामान्य जानकारी रखने वाली सेवा बनी रह सकती है।

भ्रष्टाचार

- स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, ऐसे ईमानदार अधिकारी को भी भ्रष्ट व्यवहार की ओर प्रवृत्त कर सकता है, जो संभवत: दंड के भय से अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संदिग्ध मांगों को पूरा करने के लिए विवश हो।
- इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रक का अप्रतिस्पर्धात्मक वेतन ढाँचा अधिकारियों को पदासीन होने के दौरान अतिरिक्त धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **यथास्थितिवादी अभिवृत्ति:** वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की ओर से सिविल सेवा में सुधार का कड़ा विरोध।

सिविल सेवा के लिए सुधार का एजेंडा

- **स्थानांतरण एवं इच्छित पोस्टिंग:** यह अनिवार्य है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के संस्थान, सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित मनमाने ढंग से स्थानांतरण के विरुद्ध सुरक्षित करने हेतु सुरक्षा उपायों को सूत्रबद्ध करें।
- **डेटा**: अधिकारियों को उनके कैरियर के आरम्भ में नियुक्त करने के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) को सिविल सेवकों की योग्यताओं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित डेटा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-जैसे अधिकारियों को अनुभव प्राप्त होता जाये, उसी के अनुसार प्रदर्शन मेट्रिक्स उनकी पदोन्नति एवं आवंटन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना दे सकती है।

VISION IAS

- **<u>सेवा से पार्श्विक निकास</u>**: कॅरियर के किसी विशिष्ट न्यूनतम मानदंड के आधार पर कार्यप्रदर्शन की समीक्षा की पारदर्शी और एक समान प्रणाली द्वारा आगे सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रस्ताव के विषय में सरकार को विचार करना चाहिए।
- **<u>राज्य कैडर</u>**: राज्य और केन्द्र सरकारों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या राज्य कैडर को स्थानीय IAS अधिकारियों के अनुपात में वृद्धि करने एवं उनके सापेक्ष प्रदर्शन का पता लगाने हेतु प्रयोग करने की अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या नहीं।

1.2. कावेरी जल मुद्दा

(Cauvery Water Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस वर्ष अगस्त में तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के जलाशयों से छोड़े गए जल में, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CDWT) द्वारा निर्देशित मात्रा की तुलना में 50.0052 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) की कमी दर्शायी है।
- तमिलनाडु ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की कि राज्य के किसानों को सांबा फसलों की खेती आरम्भ करने के लिए जल की आवश्यकता है।
- 5 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 10 दिन तक प्रितदिन 15,000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया। इसके कारण कर्नाटक में व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं बंद आरम्भ हो गए।

भूगोल

- जल की उपलब्धता का आकलन करते समय, न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के इस तथ्य की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की जाती रही है कि नदी बेसिन में भूजल, निचले नदतटीय राज्य में अधिक है एवं ऊपरी नदतटीय राज्य में कम है।
- **मानसूनी वर्षा में कमी एवं अलनीनो तथा दो वर्ष तक निरंतर पड़े सूखे के कारण जल की मात्रा में कमी मुख्य कारण हैं।** कर्नाटक में सामान्य वर्षा की तुलना में 18 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
- **भूमि का अकुशल उपयोग**: कर्नाटक की मृदा में शुष्क कृषि का गुण पाए जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर गन्ने जैसी जल-गहन फसलें उगायी जा रही हैं।
- **तमिलनाडु की भौगोलिक स्थिति**: तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लिए पश्चिमी घाट की अनुवात दिशा (leeward side) में स्थित है एवं यह अधिकतर वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून के माध्यम से प्राप्त करता है।

- कर्नाटक सरकार का कहना था कि दक्षिण कर्नाटक में सूखे की परिस्थितियों के कारण जल नहीं छोड़ा जा सकता।
- सितंबर 22, शुक्रवार को कर्नाटक विधायिका के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह वक्तव्य जारी किया कि "राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है" कि कावेरी बेसिन के चार जलाशयों से "कावेरी बेसिन में स्थित गांवों एवं कस्बों तथा पूरे बेंगलुरू शहर की पेयजल आवश्यकताओं के अतिरिक्त कोई जल न छोड़ा जाए।"

पृष्ठभूमि

- 1924 के समझौते के अनुसार, कावेरी नदी का जल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को 75%, कर्नाटक के लिए 23% एवं शेष केरल के लिए छोड़े जाने के रूप में वितरित किया जाता है।
- 1974 में, कर्नाटक (मैसूर) ने अधिकार जताया कि 1924 के समझौते के अनुसार 50 वर्षों बाद तमिलनाडु (मद्रास) के लिए जलापूर्ति बन्द होना नियत किया गया था।

- कर्नाटक ने मांग की कि नदी के जल को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अर्थात समान भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।

कावेरी जल न्यायाधिकरण

- तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस मुद्दे का समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने हेतु की गयी अपील के परिणामस्वरूप 2 जून, 1990 को कावेरी जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी थी।
- 2007 में, 16 वर्षों तक सुनवाई एवं बाद में जारी किए गए एक अंतरिम आदेश के बाद, न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश की घोषणा की।
- इसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि कावेरी में जल की उपलब्धता 740 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) है। *(राज्यों के बीच विभाजन दिए गए सूचना आलेख में दिखाए गए हैं)*

मुद्दा

- छिटपुट मुकदमेबाजी एवं तदर्थ न्यायनिर्णय का अंतहीन चक्र: कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों, संकट वर्षों के दौरान होने वाली कमी में साझेदारी करने के लिए आपसी सहभागिता को निरंतर टालते रहे हैं।
- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अधिनिर्णय दिया। इसने दोनों पक्षों को *समानुपातिक आधार पर* कमी की साझेदारी करने के लिए कहा।
- अधिनिर्णय का कमजोर कार्यान्वयन: न्यायाधिकरण द्वारा कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए निर्मित किए जाने हेतु वांछित 'कावेरी प्रबंधन बोर्ड' एवं **विनियामक प्राधिकरण** की अनुपस्थिति के कारण।
- पर्यवेक्षण समिति: वर्ष 2013 में अपना अंतिम अधिनिर्णय अधिसूचित करने के बाद संघीय सरकार ने एक पर्यवेक्षण समिति (न कि स्वतंत्र कावेरी प्रबंधन बोर्ड) गठित की। इस समिति में संघीय सरकार एवं केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों एवं दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। न्यायालय ने अब तमिलनाडु को इस समिति के पास जाने के लिए कहा है। जल छोड़ने के संबंध में भविष्य में यही समिति निर्णय करेगी।
- इस मामले में क्षेत्रीय राजनीति एवं न्यायिक कार्यवाहियाँ विलंबित होने के कारण अत्यधिक जटिलतायें उत्पन्न हुई हैं।
- शक्तियों का विभाजन एवं कर्नाटक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवज्ञा करना।

क्या किया जाना चाहिए?

- आदर्श रूप में, जल संकट साझा करने का सूत्र न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि किसी तकनीकी निकाय द्वारा दिया जाना चाहिए।
- **कावेरी प्रबंधन बोर्ड और विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना करना।
- बोर्ड की स्थापना के बाद, कर्नाटक में स्थित कावेरी के सभी जलाशय, इस बोर्ड के नियंत्रण के अधीन आ जाएँगे एवं जल प्रबंधन पर राज्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- जल के उपयोग एवं वितरण पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।
- बोर्ड यह भी देखेगा कि राज्य प्रासंगिक स्थलों पर उचित जलीय संरचनायें सुनिश्चित करे। यह राज्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली जल की मात्रा को निर्धारित करेगा।
- खराब मानसून के दौरान: अच्छे मानसून वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष मई के अंत तक बोर्ड पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करेगा। इससे मानसून के आरम्भ में विलंब के दौरान सहायता प्राप्त होगी।
- प्रति वर्ष लगातार ख़राब मानसून की स्थिति में बोर्ड, न्यूनतम जल संकट सुनिश्चित करने हेतु जल को सुनियोजित रूप से वितरित करते हुए इस मुद्दे को उचित रूप से संभालेगा।
- विवाद को हल करने के प्रयासों ने समता और दक्षता के मुद्दों की उपेक्षा करते हुए मुख्य रूप से संसाधनों की साझेदारी पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- आधुनिक विश्व, घटते जल संसाधनों, पहले की तुलना में कम फसली ऋतुओं एवं भूमि की कमी की समस्या से ग्रिसत है। इस परिदृश्य में कम जल-गहन फसलों का सहारा लेना एवं बेहतर जल-प्रबंधन इन समस्याओं के समाधान का सूत्र सिद्ध हो सकता है।
- दीर्घावधि में, कावेरी बेसिन के लिए विशेषज्ञों को स्थाई कृषि समाधान खोजने होंगे क्योंकि नदी में संभवतः दोनों पक्षों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है।
- सिंचाई के विभिन्न प्रकारों जैसे ड्रिप सिंचाई, छिड़काव प्रणाली इत्यादि को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीतियों पर विशेष रूप से जल गहन खाद्य फसलों के संदर्भ में पुनर्विचार करना।

VISION IAS

- फसलों का कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन किया जाना चाहिए।
- नदी बेसिन योजना निर्माण: हितधारक राज्यों को सम्पूर्ण नदी बेसिन के लिए सामूहिक रूप से योजना बनानी चाहिए।
- तथ्य यह है कि कावेरी बेसिन में सीमा से अधिक निर्माण किया जा चुका है एवं बार-बार उभरने वाले जल संकट को हल करने के लिए विधिक साधन अपर्याप्त हैं।
- कुछ वर्ष पूर्व दोनों राज्यों के किसानों को समाविष्ट करने वाला एक निकाय **'कावेरी परिवार'** निर्मित किया गया था। इस प्रकार की गैर-राजनीतिक पहलें किसानों के बीच सहयोग में सहायता कर सकती हैं।
- डेटा: जलाशय के भंडारण के लिए वर्षा संबंधी त्वरित और सटीक जानकारी का संचरण विभिन्न हितधारकों के बीच वर्तमान में व्याप्त अविश्वास को समाप्त करने में सहायता कर सकता है।

आगे की राह:

जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाना इसका एक समाधान हो सकता है एवं मिहिर शाह की रिपोर्ट के अनुसार नदियों का प्रबंधन करने के लिए केन्द्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है।

- केंद्र, निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह भूमिका अदालतों द्वारा नहीं निभायी जा सकती क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसके राजनीतिक परिणाम हैं।
- जल संसाधनों पर स्थायी संसदीय समिति ने भी इस विषय को समवर्ती सूची में लाने की आवश्यकता व्यक्त की है।
- इसने जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति निर्मित करने हेतु केंद्र से 'तत्परतापूर्वक' प्रयास करने का आग्रह भी किया, जिससे जल संरक्षण के लिए व्यापक कार्ययोजना निर्मित की जा सके।

1.3. पुलिस सुधार

(Police reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ एवं अन्य* मामले में पुलिस के लिए स्व-प्रेरणा या किसी शिकायत के आधार पर तैयार की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है।

राज्यों द्वारा विधान: जैसे कि 1951 का बम्बई पुलिस अधिनियम, केरल में 1960 के केरल पुलिस अधिनियम द्वारा, कर्नाटक में 1960 के कर्नाटक पुलिस अधिनियम द्वारा, दिल्ली में 1978 के दिल्ली पुलिस अधिनियम द्वारा इत्यादि। किन्तु इनमें से सभी अभी भी 1861 के पुराने विधान के पैटर्न पर ही थे एवं उन्होंने 'लोकतांत्रिक पुलिस' की आवश्यकता की उपेक्षा की।

पृष्ठभूमि

- पुलिस प्रणाली एक औपनिवेशिक विरासत है: पुलिस अधिनियम 1861 में प्रबंधकीय दर्शन निहित है जो संगठन में निचली श्रेणी के व्यक्तियों पर अविश्वास पर आधारित था।
- स्वतंत्रता के बाद भी यह 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा प्रशासित होता रहा।
- **राज्य सूची** (भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की द्वितीय सूची) **के अंतर्गत पुलिस एक विशिष्ट विषय** है।
- लेकिन अधिकतर राज्य कुछ संशोधनों के साथ पुराने भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का अनुपालन कर रहे हैं।
- राजनीतिकरण एवं सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठा के उच्च स्तर के कारण पुलिस सांसदों और विधायकों का 'विषय' बन गयी है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

1979 और 1981 के मध्य की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC) ने आठ रिपोर्ट्स प्रस्तुत कीं। इनकी प्रमुख अनुशंसायें गैरकानूनी राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप से पुलिस को बचाने में आने वाली समस्याओं पर केन्द्रित थीं।

हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के लाभ

- अभियुक्त की रक्षा - अब वह जानता/जानती है कि किसी प्राथमिकी (FIR) में उसका नाम दर्ज है।
- उसे स्वयं पर लगाए गए अभियोग का आधार निर्मित करने वाले आरोपों की भी जानकारी होगी।
- यह आदेश ऐसे कार्यकर्ताओं की दृष्टि से सही कदम है जो नागरिकों को तुच्छ आधारों पर राज्य द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से बचाना चाहते हैं।

- यह स्टेशन हाउस के अधिकारियों के लिए अपराध की उपेक्षा करना कठिन बनाता है, जो अपराधी की सहायता करने की दृष्टि से अपनाया जाने वाला सामान्य व्यवहार है।
- अपराध में होने वाली वृद्धि को छिपाने के प्रयोजन से पुलिस आँकड़ों में की जाने वाली हेर-फेर को कठिन बना देता है।
- दो मुद्दे: राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ ही साथ नागरिक की निजता की रक्षा करने की आवश्यकता; एवं पंजीकरण के 48 घंटों के बाद ही प्राथमिकियों (FIRs) को अपलोड करने संबंधी निर्देश को कार्यान्वित करने की तकनीकी व्यवहार्यता। आदेश के अनुसार, कथित अपराध यौन हिंसा या राष्ट्रीय सुरक्षा, उग्रवाद या आतंकवाद से संबंधित होने की दृष्टि से संवेदनशील होने पर निर्देश का अनुपालन करने से छूट होगी।

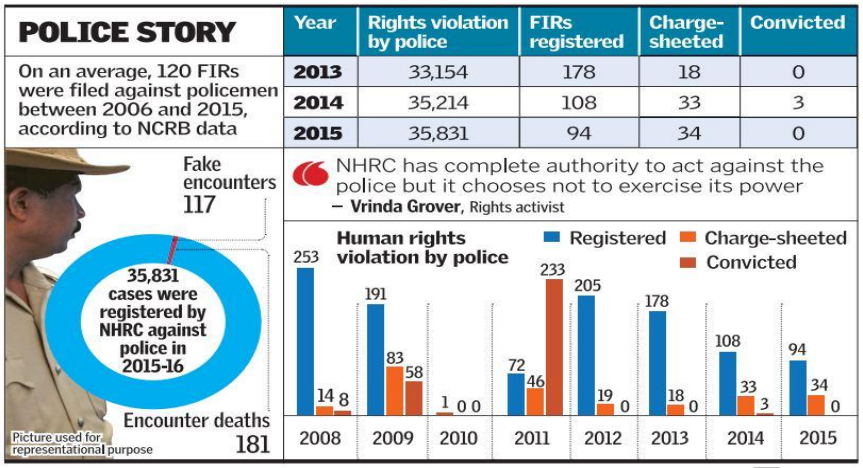

- यह प्राथमिकी दर्ज करवाने से संबद्ध भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करेगा।

<u>प्रकाश सिंह के मामले में दिए गए सात निर्देश</u>

संक्षेप में सात निर्देश

निर्देश एक

निम्नलिखित प्रयोजन के लिए राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) की स्थापना करता है:

i. यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग न करे।
ii. व्यापक नीति दिशानिर्देश निर्धारित करे एवं
iii. राज्य पुलिस के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करे।

निर्देश दो

यह सुनिश्चित करना कि DGP की नियुक्ति श्रेष्ठता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया से हो एवं वह न्यूनतम दो वर्ष का सुनिश्चित कार्यकाल प्राप्त करे।

निर्देश तीन

यह सुनिश्चित करना कि संचालनात्मक कर्तव्यों पर नियुक्त अन्य पुलिस अधिकारी (पुलिस अधीक्षक, जिले एवं स्टेशन हाउस का इन-चार्ज एवं अधिकारी, पुलिस स्टेशन का इन-चार्ज) को भी न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाये।

निर्देश चार

पुलिस के जांच और कानून एवं व्यवस्था के कार्यों को अलग-अलग करना।

निर्देश पाँच

उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे कम श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, प्रोन्नतियों एवं सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय करने एवं उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से ऊपर के अधिकारियों की पोस्टिंग एवं स्थानांतरण पर अनुशंसा करने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) की स्थापना करना।

निर्देश छह

राज्य स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा (custody) में मृत्यु, गंभीर चोट या बलात्कार इत्यादि गंभीर कदाचार के मामलों में जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने एवं जिले स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक से निम्न श्रेणी के पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर कदाचार के मामलों में जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) की स्थापना करना।

निर्देश सात

केन्द्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों (CPO) के चयन एवं न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु पोस्टिंग के लिए पैनल तैयार करने हेतु लिए संघीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSC) की स्थापना करना।

VISION IAS

पुलिस सुधारों का महत्व

- वर्तमान में देश जिन तीन सबसे बड़ी समस्याओं से प्रभावित है, वे निम्न हैं:

✓ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती,

✓ मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर माओवादी प्रभाव का प्रसार।

✓ भ्रष्टाचार का कैंसर।

- इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित, अत्यधिक प्रेरित एवं देश के कानून एवं देश के संविधान को परिपुष्ट करने वाले एक पेशेवर पुलिस बल की आवश्यकता है।
- किसी आतंकवादी घटना या माओवादी हिंसा की स्थिति में पुलिस बल ही सबसे पहले अनुक्रिया करते हैं और वे हमारी खुफिया जांच एवं भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों का मेरुदण्ड भी हैं।
- यदि हम सुरक्षित और निश्चिन्त वातावरण उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं तो आर्थिक प्रगति को संधारित नहीं किया जा सकता।
- यदि हम सार्वजनिक जीवन में अपराधियों द्वारा प्रभुत्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं करते तो लोकतांत्रिक संरचना भी चरमरा सकती है।

समस्यायें

- राजनीतिक हस्तक्षेप
- आंतरिक और बाह्य जवाबदेही की कमी। (**थॉमस समिति ने** दर्शाया है कि लगभग सभी राज्यों ने ***प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देशों*** की उपेक्षा की है।)
- संख्यायें: पुलिस-जनसंख्या का वैश्विक औसत अनुपात 270:1,00,000 है, जबकि भारत में यह 120 है। तुलनात्मक रूप से पुलिस बलों की कम संख्या, उनके अप्रशिक्षित, साधनहीन होने एवं अधिकांश को राजनेताओं की सुरक्षा में नियुक्त किए जाने के कारण भारत के लोग विश्व में सबसे कम सुरक्षित (सर्वाधिक सुभेद्य) हैं।

आपराधिक जांच:

- पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण, लेकिन बुरी तरह से उपेक्षित पहलू आपराधिक जांच है। पिछले कुछ वर्षों में इसके मानदण्ड तेजी से गिरे हैं।

मानव अधिकार उल्लंघन:

- क्षतिपूर्ति की राशि जनता के पैसे से दी जाती है, इस प्रकार मामले में संलिप्त पुलिस वाले पर कोई भार नहीं पड़ता है।
- दोषसिद्धि की घटनायें बहुत कम हैं। 2006-2015 के बीच 10 में से सात वर्षों के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन लिए एक भी पुलिस वाले की दोष सिद्धि नहीं हुई।
- निवारक खुफिया जानकारी का संग्रहण एवं विश्लेषण:

✓ विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा को निरंतर चुनौती प्रस्तुत करने वाले आतंकवादियों और विद्रोहियों से संबंधित।

- रिक्तियाँ:

✓ केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एवं प्रवर्तन निदेशालय में निरंतर बड़ी मात्रा में रिक्तियाँ बनी रहना।

- पुराने हथियार और उपकरण: जैसा कि 26/11 के हमलों में देखा गया।
- उचित प्रशिक्षण का अभाव।

आंतरिक जवाबदेही तंत्र: *1861 का पुलिस अधिनियम*, राज्य सरकार के पुलिस अधिनियम एवं राज्य पुलिस नियमावलियों में निर्धारित नियम।

बाह्य जवाबदेही तंत्र

- न्यायपालिका
- *मानव अधिकार आयोग:* कदाचार के मामलों में पुलिस को जवाबदेह ठहराते हैं।
- *गैर-सरकारी संगठन एवं मीडिया।*

आगे की राह:

- पुलिस बल देश के लोगों को बेहतर सुरक्षा एवं संरक्षण देने, उनके मानव अधिकारों को परिपुष्ट करने एवं आमतौर पर शासन में सुधार करने के लिए हैं। देश के लोगों की शिकायतों का निस्तारण कुशल, ईमानदार और पूर्णतया पेशेवर पुलिस बल की स्थापना पर निर्भर है।

VISION IAS

- इसलिए प्रधानमंत्री ने 30 नवम्बर, 2014 को, पुलिस महानिदेशकों के गुवाहाटी सम्मेलन में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा निरूपित की। इस अवधारणा के अनुसार पुलिस बल को संवेदनशील, सचल, सावधान, विश्वसनीय एवं तकनीक की समझ रखने वाला होना चाहिए।
- सुधार पैकेज के अंतर्गत वैधानिक संस्थागत व्यवस्था की स्थापना भी अनिवार्य रूप से सिम्मलित होनी चाहिए।
- गैर-कानूनी बाह्य नियंत्रण से पुलिस वर्ग को बचाने एवं उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- पुलिस को कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, अपनी गलतियों के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

जवाबदेही की वर्तमान व्यवस्था को अनिवार्यत: मजबूत किया जाना चाहिए एवं उसमें सुधार किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पुलिस की कार्यप्रणाली की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले एवं पुलिस के विरूद्ध जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नए तंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

1.4. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा

(Review of Status of National Party)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के चुनाव आयोग (EC) ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है। यह सातवाँ ऐसा दल बन गया है, जो पूरे देश में अपने चिन्ह पर लोक सभा और देश भर की विधान सभाओं में चुनाव लड़ सकता है।
- चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश में संशोधन किया गया।
- TMC ने चार राज्यों- **पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर** में तथाकथित राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की योग्यताओं को पूरा कर लिया है।

चुनाव आयोग (ECI) द्वारा हाल ही में किये गये परिवर्तन:

- चुनाव आयोग के संशोधित नियमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किसी दल के एक चुनाव में प्रदर्शन के स्थान पर अब निरंतर दो लोकसभा या विधान सभाओं के प्रदर्शन पर ही विचार किया जायेगा।
- इन परिवर्तनों से 2014 के चुनावों में बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले अन्य दलों को भी राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मान्यता बनाये रखने में सहायता मिली है।
- अन्य छह दल हैं– भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।

राष्ट्रीय दल बनने के मानदंड:

एक राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी यदि:-

- उसे **चार** या अधिक राज्यों में लोक सभा या राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम **छह प्रतिशत** (6%) प्राप्त हुआ हो; और इसके साथ ही किसी एक राज्य या राज्यों से लोक सभा में कम से कम **चार** स्थान प्राप्त हुए हों।

  अथवा
- उसे लोक सभा में कम से कम **दो प्रतिशत** (2%) स्थान प्राप्त हुए हों (अर्थात 543 सदस्यों के वर्तमान सदन में 11 स्थान) और यह सदस्य कम से कम **तीन** विभिन्न राज्यों से चुन कर आये हों।

  अथवा
- दल को कम से कम चार राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हो।

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?

- राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता से उसके प्रत्याशी पूरे देश में उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं।
- क्योंकि देश के अधिकांश मतदाता अशिक्षित हैं और दलों की पहचान के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- एक अखिल भारतीय चुनाव चिन्ह होने से सम्भावित मतदाताओं तक पहुंच बनाने में सहायता मिलती है।
- राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वह मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
- आम चुनावों के समय पर राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सार्वजनिक प्रसारकों पर समर्पित समयावधि उपलब्ध होती है।

- एक राष्ट्रीय दल जहाँ अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की सेवाएं ले सकता है, वहीं मान्यता-रहित दल अधिकतम केवल 20 स्टार प्रचारकों का ही नामांकन कर सकता है, जिनका यात्रा खर्च प्रत्याशी के व्यक्तिगत चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय दलों को प्राप्त सुविधाएँ:

- अपना विशिष्ट चिन्ह
- लोक सभा चुनावों में सार्वजनिक प्रसारकों – AIR, दूरदर्शन पर निशुल्क प्रसारण समय।
- मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क, यद्यपि उनके प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
- 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति, जिनका खर्च एक व्यक्तिगत प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा।

1.5. NGOs: विनियामक कानून की आवश्यकता:

(NGOs: Need of Regulatory Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- देश में कार्यरत कुल 29.99 लाख NGOs को मिलने वाले धन को नियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारत के विधि आयोग से एक प्रभावशाली कानून लाने के लिए कहने जा रहा है।
- सरकार ने चार अमेरिकी NGO- आवाज, बैंक इन्फोर्मेशन सेंटर (BIC), सिएरा क्लब और 350.org के विरुद्ध कठोर कदम उठाये हैं। इससे पहले इसने ग्रीनपीस के विरुद्ध कार्यवाही की थी। ये घटनाक्रम जनवरी 2015 में हुए थे।
- हाल ही में सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने का प्रस्ताव आया था।

आवश्यकता:

- इंटेलीजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट "विदेशी धन-प्राप्त कुछ चुनिन्दा NGOs द्वारा देश भर में चल रहे भारतीय विकास परियोजनाओं को गिराने का संगठित प्रयास," में वर्ष 2014 में आरोप लगाया गया कि कई कथित विदेशी सहायता प्राप्त पर्यावरण NGOs पूरे देश की विकास परियोजनाओं को लक्षित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण GDP के लगभग 2% तक की हानि हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज किये गये CBI रिकार्ड्स से पता चलता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कुल 29,99,623 NGOs में से केवल 2,90,787 ही अपना वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट्स दर्ज कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 82,250 NGOs में से केवल 50 ही अपना रिटर्न फाईल कर रहे हैं।
- NGOs पूरे विश्व से धन प्राप्त कर रहे हैं और इनमें कुछ शत्रु देश भी सम्मिलित हो सकते हैं।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने NGOs के "प्रतिनिधि वादकारी"(proxy litigant) और कम्पनियों के परस्पर विवाद या व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने हेतु एक मोहरा बनने पर चिंता व्यक्त की है।

NGOs का तर्क:

- कुछ वर्ष पूर्व FCRA के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सरल था, यह अब अत्यंत कठोर हो गया है।
- जहाँ तक धन-प्राप्ति की बात है, बड़े NGOs के समक्ष प्राय: कोई समस्या नहीं आती है, परन्तु छोटे NGOs के लिए यह कठिन होता है।
- अनेक NGOs ऐसे हैं, जिनका अस्तित्व केवल कागजों पर ही होता है। इस प्रकार के NGOs ने अन्य को बदनाम किया है, इसलिए कई क्षेत्रों में धन प्राप्ति के स्रोत्र समाप्त हो गये हैं।

आगे की राह:

- कोई भी व्यक्ति एक सोसाइटी का पंजीकरण करवा कर एक NGO का गठन कर सकता है। इसलिए एक उपयुक्त कानून की आवश्यकता है।
- सभी NGOs को FCRA के अधिनियम और नियमों के बारे में तथा जब विदेश से धन प्राप्त हो तो इनके प्रावधानों के पालन करने के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- जो संस्थाएं केवल भारत की राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध विरोध उत्पन्न करने में लिप्त पाई जाती हैं, उन्हें चयनित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- सरकार और सिविल समाज के मध्य व्याप्त विश्वास की कमी को समाप्त करने के लिए NGOs में धन का दुरूपयोग, पारदर्शिता का अभाव और जवाबदेही जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान आवश्यक है।
- सभी NGOs को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिए तथा संदेह से परे रहना चाहिए।
- हमें यह समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विकास के लिए NGOs एक अपरिहार्य साधन बन गये हैं। स्वयं-सेवी क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति में इसे आलोकित किया गया है। विभिन्न SHGs (स्वयं सहायता समूह), सरकारी योजनाओं और कानून जैसे FRA, CAMPA और EIA आदि की सफलता का श्रेय NGOs को ही जाता है। इसलिए इन्हें कारगर बनाने से देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

वर्तमान समय में गृह मंत्रालय **FCRA** के द्वारा NGOs और अन्य संस्थाओं को मिलने वाले दान की निगरानी करता है, परन्तु **प्रभावशाली निगरानी** के लिए मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय FEMA के अंतर्गत NGOs की निगरानी करने की अपनी शक्तियाँ उसे सौंप दे क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानी संस्थाएं जैसे फोर्ड फाऊंडेशन, UK का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसधान केंद्र का पंजीकरण FEMA के अंतर्गत किया गया है।

1.6. RTI में सुधार

(Improvement in RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) अब एक ई-कोर्ट की भांति कार्य करेगा। सभी फाईलें डिजिटल रूप से संचालित होंगी और सितम्बर 2016 से आवेदक को उसके प्रकरण की सुनवाई के सम्बन्ध में SMS और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

RTI की नई विशेषताएँ:

- सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत किसी शिकायत या अपील के दायर होने पर पर वास्तविक सामयिक प्रगति (real time update) उपलब्ध कराना।
- जैसे ही एक RTI आवेदक एक अपील या एक शिकायत दायर करेगा/करेगी, उसे एक पंजीकरण क्रमांक दिया जायेगा तथा उसके प्रकरण और उस पर हुई प्रगति की सूचना उसके ई-मेल और मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएगी।
- तत्पश्चात, उसका प्रकरण तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बन्धित सूचना आयुक्त के लेखागार में स्थानांरित हो जायेगा।
- अब तक CIC की 1.5 लाख फाइलों को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में परिवर्तित कर दिया गया है।
- आयोग, शिकायतों और अपीलों को एक दूसरे से अलग करने में सक्षम हो जायेगा।

इन परिवर्तनों का प्रभाव:

- वर्तमान में RTI की सम्पूर्ण प्रक्रिया कुछ दिन का समय लेती है परन्तु इन परिवर्तनों के क्रियान्वन के पश्चात यह प्रक्रिया कुछ घण्टों में हो जाएगी।
- इससे सुनवाई में तेजी आएगी और अधिक सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी।
- इस सुविधा से न केवल आवेदकों को लाभ होगा, अपितु सूचना आयुक्त भी प्रकरणों का निपटान शीघ्रता से करेंगे।
- इन परिवर्तनों से एक ही व्यक्ति की विभिन्न अपीलों पर सुनवाई एक ही दिन हो सकेगी।
- एक दिन में अधिक प्रकरणों का निपटान होने से अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीनता (pendency) में कमी आएगी।

1.7. सिंगूर भूमि परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

(SC Decision on Singur Land Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि सिंगूर परियोजना के लिये किये गये भूमि अधिग्रहण को **"जनहितकारी" नहीं कहा जा सकता है"** और इसलिए भूमि को 12 सप्ताह के भीतर किसानों को वापस किया जाना चाहिए।

प्रकरण का घटनाक्रम:

- **वर्ष 2006** में यह घोषणा की गयी थी कि टाटा मोटर्स अपने नैनो मॉडल के उत्पादन के लिए एक कार उत्पादन इकाई की स्थापना करेगी जिसके लिए उसे लगभग 1000 एकड़ भूमि का आंवटन किया जायेगा।
- **वर्ष 2008** में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के "**सर्वोपरि अधिकार सिद्धांत और अत्यावश्यक अनुच्छेद (eminent domain principle and urgency clause)**" के तहत टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के निर्माण के लिए कोलकता से 40 कि.मी. दूर सिंगूर में 997 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- परियोजना के लिए बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन हुए।
- यह एक विवादित मुद्दा बन गया क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कृषियोग्य भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण किया जा रहा था।
- **वर्ष 2008** में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस अधिग्रहण को जनहित में और सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस बीच टाटा समूह ने कानूनी पचड़ों से बचने के लिए अपनी नैनो परियोजना को पश्चिमी बंगाल से गुजरात स्थानांतरित कर दिया।
- **वर्ष 2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपील पर इस निर्णय को पलट दिया और 12 सप्ताह के भीतर किसानों को उनकी भूमि वापस करने का आदेश पारित किया।

भविष्य में होने वाले भूमि अधिग्रहणों पर इसका प्रभाव:

- यद्यपि यह एक इकलौता प्रकरण है और संभवतः भारत में व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव न पड़े, परन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के विकास पर और भूमि अधिग्रहण पर इसका कोई दुष्प्रभाव होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विकास की तुलना में व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्त्व दिया गया है।
- सरकार और कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए सम्भाव्य भूमि सुधार संशोधनों का अब अधिक विरोध किया जायेगा।
- इस निर्णय ने अब एक दृष्टान्त स्थापित कर दिया है। जनहित में भूमि अधिग्रहण के लिए अब उससे होने वाले लाभों को सिद्ध करना होगा।

'सर्वोपरि अधिकार का सिद्धांत'

किसी संप्रभु सरकार द्वारा व्यक्तिगत सम्पति को बिना भू-स्वामी की सहमति के जनहित में, न्याययुक्त मुआवजे के भुगतान के पश्चात, अधिग्रहीत करने का अधिकार या शक्ति ही सर्वोपरि अधिकार है।

1.8. आधार से संबंधित विवरणों को साझा करने पर रोक

(Ban on Sharing Aadhaar Details)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने, जिन एजेंसियों के पास लोगों का आधार नंबर है, उन एजेंसियों को उस आधार नंबर को या उससे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है ताकि उन विवरणों का गलत इस्तेमाल न हो सके।
- यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने इसके सम्बन्ध में आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचना जारी की है।
- बैंक विवरण के साथ कोर बायोमेट्रिक्स, जो कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन होते हैं, आधार में महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी का निर्माण करते हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

- जिन एजेंसियों के पास आधार सम्बन्धी विवरण है, उन एजेंसियों को 12-अंकों वाले इस पहचान नंबर की **सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित** करना होगा।
- UIDAI द्वारा एकत्रित किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी कारण से **किसी के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता** है।
- एजेंसियों को आधार धारकों को उन उद्देश्यों के बारे में भी बताना होगा जिस उद्देश्य से उनके विवरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आधार अधिनियम के तहत, नामांकन के समय किसी आधार धारक की छद्म पहचान धारण करने, डेटा के साथ छेड़छाड़ करने और पहचान सम्बन्धी जानकारी का खुलासा करने जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है।

1.9. वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल

(Web Responsive Pensioner's Service Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्री ने **डिजिटल इंडिया** के तहत एक नई पहल 'वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल' की शुरुआत की है, जिसका उत्तरदायित्व महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा लिया गया है।

यह क्या है?

- इस पोर्टल से पेंशनभोगियों को पेंशन के मामलों तथा केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग एवं बैंक द्वारा संसाधित की जाने वाली पेंशन के भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह पोर्टल, शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी मंच की भी भूमिका निभाएगा।
- इसे केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है।

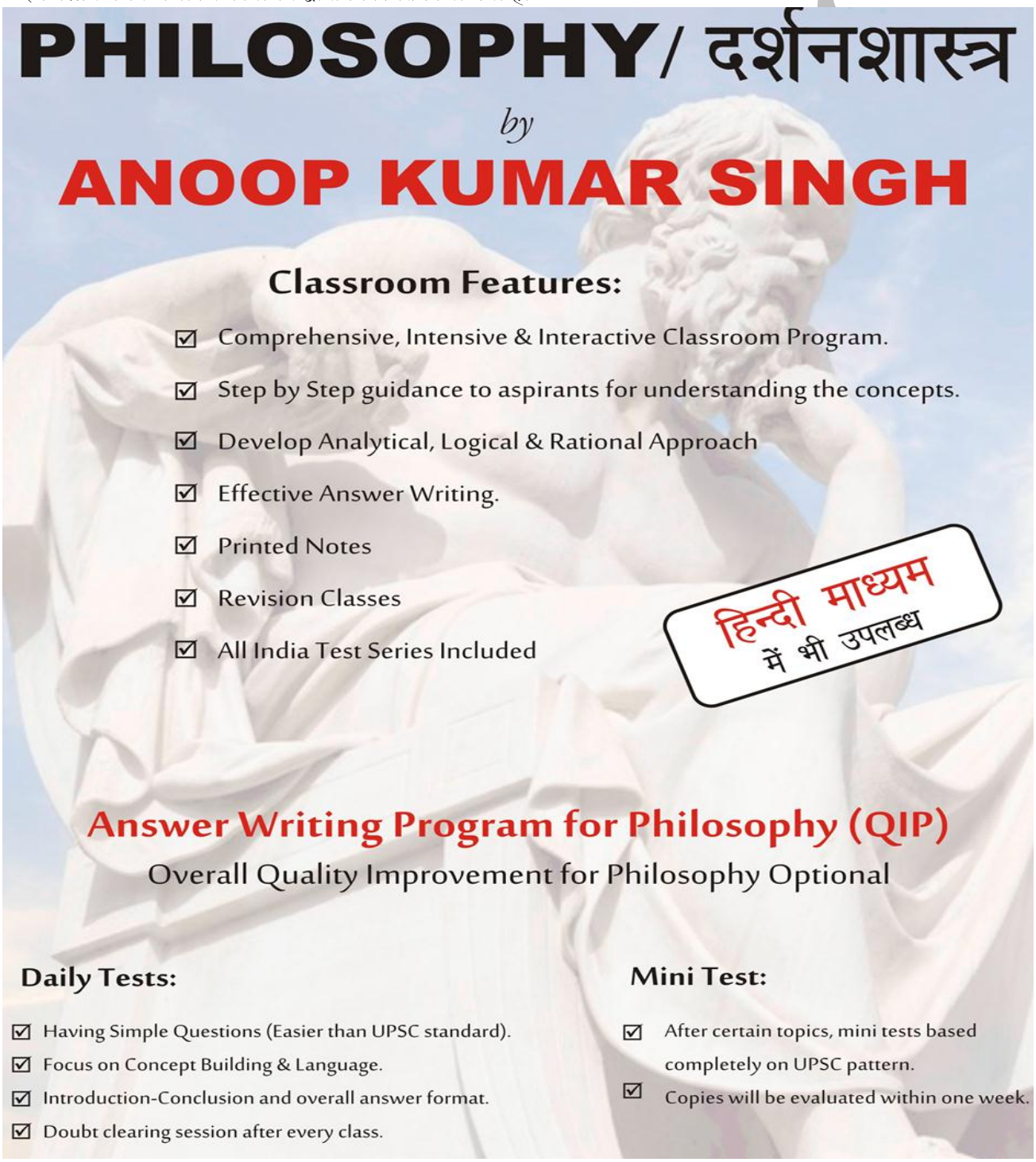

2. अंतर्राष्ट्रीय / भारत और विश्व

(INTERNATIONAL /INDIA AND WORLD)

2.1. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मलेन

(17th *Summit* of the *Non Aligned Movement* [*NAM*])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) का 17वां शिखर सम्मलेन वेनेज़ुएला के मार्गरिटा में संपन्न हुआ।
- भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने किया, न कि हमेशा की तरह सरकार के प्रमुख (प्रधानमंत्री) ने।
- इससे पूर्व केवल एक बार NAM शिखर सम्मलेन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था। तब प्रधानमंत्री चरण सिंह की कार्यवाहक सरकार थी और सम्मेलन 1979 में हवाना (क्यूबा) में संपन्न हुआ था।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

- सितंबर 1961 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में NAM में 120 सदस्य राष्ट्र एवं 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नूरुमाह और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप बरोज़ टिटो द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- पहला NAM शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।
- गुटनिरपेक्ष नीति और विचारधारा -
  - ✓ एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देना
  - ✓ हथियारों की होड़, जिसके कारण सम्पूर्ण पृथ्वी पर परमाणु विनाश का भय व्याप्त है ,के विरुद्ध अभियान करना।
  - ✓ समृद्ध पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व वाले विश्व में पूर्व उपनिवेशों तथा निर्धन राष्ट्रों की एक आवाज़ के तौर पर भी इस आन्दोलन की कल्पना की गयी थी।

शिखर सम्मलेन में उपराष्ट्रपति के संबोधन के मुख्य अंश

<u>आतंकवाद-विरोधी दबाव:</u>

- भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए "ठोस कदम" उठाने का आह्वान किया और 120 देशों के समूह को इस संकट से निपटने हेतु प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने की बात रखी।
- उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को "आज मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे प्रबल स्रोतों" में से एक बताया और राज्य नीति के एक साधन के रूप में इसके उपयोग की भर्त्सना की।

<u>UN सुधार:</u>

- उपराष्ट्रपति ने दृढ़तापूर्वक UN सुधार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने आगामी 71वें UNGA के मंच के प्रयोग द्वारा अंतर-सरकारी वार्ता में बातचीत आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
- इस बात का उल्लेख करते हुए कि भले ही 1961 में NAM के गठन के समय से अब तक वैश्विक परिदृश्य काफी बदल चुका है, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि वे आदर्श और सिद्धांत जिन पर आन्दोलन की नींव टिकी है, जैसे
  - ✓ "विवादों का शांतिपूर्ण निपटान" और
  - ✓ "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" -- ये सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले शिखर सम्मलेन के समय थे।

<u>सतत या संधारणीय विकास:</u>

- उन्होंने सदस्य राष्ट्रों से पूरी प्रतिबद्धता से और सम्पूर्ण रूप में SDG को लागू करने और एजेंडा 2030 को संशोधित या विकृत करने के किसी भी प्रयास पर नजर रखने का आग्रह किया।
- उन्होंने संधारणीय विकास को NAM देशों के प्रयासों का आधार और सर्वोच्च आकांक्षा कहा।

VISION IAS

शान्ति और संप्रभुता:

- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए शान्ति और संप्रभुता का होना आवश्यक है; एक शांतिपूर्ण वैश्विक वातावरण, विकास और विकासात्मक सहयोग के लिए अनिवार्य है।

शीत युद्ध के पश्चात् NAM में वैश्विक परिवर्तन

पिछले 60 वर्षों में, NAM के प्रभाव में कमी देखी गई है।

- 1980 के दशक के तीसरे वैश्विक ऋण संकट ने NAM राष्ट्रों की आर्थिक महत्वाकांक्षा को कुचलकर रख दिया।
- **एकध्रुवीय विश्व:** सोवियत संघ के पतन के बाद, अमेरिका ने पनामा और इराक पर बमबारी की और अमेरिकी प्रभुत्व के साथ इतिहास बनता दिखा।
- 1990 के दशक के आरंभिक दौर तक, NAM की कई महत्वपूर्ण शक्तियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया (अर्जेंटीना ने 1991 में समूह छोड़ दिया)। युगोस्लाविया का गृहयुद्ध के कारण विखंडन हो गया, जिससे यह अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर सका।
- भारत IMF के पास गया और इससे अमेरिका को इशारा मिला कि गुटनिरपेक्षता के दिन धीरे-धीरे खत्म होने लगे हैं। NAM, अपने सदस्यों के आर्थिक इंजनों को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी इरादों और प्रयासों के संदेह के बीच काफी आगे-पीछे होता रहा।
- **कोई बाध्यकारी सिद्धांत नहीं:** NAM का कोई बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है और यह असमान देशों के बीच सुविधा का एक माध्यम है। साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देने की मांग करने वाले एकजुट आन्दोलन की छवि के विपरीत, NAM के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर संस्थापक नेताओं के बीच सहमति कभी बनी ही नहीं।
- **NAM के भीतर विभाजन:** ईरान-इराक युद्ध, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्ज़ा, कम्बोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप तथा दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के लिए सैन्य समर्थन ने काफी हद तक NAM को विभाजित कर दिया।

NAM का महत्व/ प्रासंगिकता:

- NAM, **दक्षिण -दक्षिण देशों (South -South Nations) के बीच सहयोग** को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।
- NAM विशेष रूप से UN **में चुनाव में** महत्वपूर्ण है, जिसमें सुरक्षा परिषद् (UNSC) के नए स्थायी सदस्यों का संभावित निर्धारण भी सम्मिलित है। वास्तव में, NAM के माध्यम से ही हम लोगों ने सिर्फ जर्मनी और जापान को ही स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित कर UN सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रयासों के विरुद्ध अभियान चलाया था।
- कोई भी NAM देश पाकिस्तान को अलग-थलग रखने पर शायद सहमत नहीं हो सकता है लेकिन NAM का मंच **हमारी आतंकवाद-विरोधी भावनाओं को सामने रखने के लिए एक प्रभावी साधन** होगा। NAM के पास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त आन्दोलन के रूप में काम करने की क्षमता है। इसलिए NAM का अंतर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और विकास की खोज में लगे विकासशील देशों के आन्दोलन के रूप में जारी रहना आवश्यक है।
- NAM, कॉमनवेल्थ की भांति ही एक ऐसी **विरासत है जिसे हमें त्यागने की आवश्कता नहीं है।**
- NAM की अतिअनौपचारिक प्रकृति इसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से काम करने की अनुमति देती है। इसमें सदस्यों के लिए अपने दृष्टिकोण को आरक्षित रखने की भी सुविधा है जैसा हम लोगों ने अप्रसार को लेकर NAM के दृष्टिकोण पर किया था।

निष्कर्ष:

तीसरे विश्व की राजनीति ने वैश्विक एजेंडे के विषयगत (thematic)विन्यास को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है। आज उत्तर-दक्षिण सम्बन्ध और दक्षिण के देशों के विकास से जुड़े मुद्दे हमारे वैश्वीकृत विश्व की मुख्य निष्क्रिय प्रणालियों में से एक बन गए हैं, और वैश्विक चुनौतियों का संभावित जवाब तैयार करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। NAM के अस्तित्व को "पहले की भांति आवश्यक" बनाने के लिए ठोस प्रयासों और गठबंधन-निर्माण के रूप में गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमें केवल 21वीं सदी के अनुसार नई उम्मीदों और नई चुनौतियों के साथ आन्दोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.2. भारत-आसियान (India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियनतियाने में आयोजित 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मे भाग लिया।

<u>भारत-आसियान संबंधों का इतिहास एवं क्रमिक विकास</u> भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नीति का पालन किया एवं वह दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अपने क्षेत्र में उपनिवेशवाद की समाप्ति का चैंपियन बन गया। लेकिन 1970 के दशक के दौरान सोवियत संघ के प्रति भारत का झुकाव अनुभव किया गया जिसके कारण दक्षिण-पूर्व एशिया भारत से दूर होता गया क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों भिन्न –भिन्न प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का पालन कर रहे थे।

- भारत ने अपनी नीतियों में शीत युद्ध युग से बड़ा परिवर्तन करते हुए, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के शीघ्र बाद ही, चीन जैसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **"लुक ईस्ट नीति" (LEP)** को अपनाया। पिछले वर्षों में इस नीति द्वारा इस क्षेत्र में रणनीतिक और सुरक्षा पहलुओं पर घनिष्ठ संबंधों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **"लुक ईस्ट नीति"** (LEP) के चरण -

✓ **प्रथम चरण:** 1991 और 2002 के मध्य। इस चरण के दौरान प्राथमिक तौर पर आसियान देशों के साथ **नए सिरे से राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना** पर बल दिया गया था।

✓ **द्वितीय चरण** (2003 से 2012) के दौरान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सम्मिलित करने के लिए LEP का कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया था।

✓ LEP का नया चरण, **संचार की सागरीय लेन** की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों एवं **समन्वित आतंकवाद विरोधी गतिविधियों** के शुभारम्भ को सम्मिलित करते हुए **व्यापक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों** पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA),** आसियान के साथ भारत की संलग्नता के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। इसे गहन आर्थिक एकीकरण की ओर आवश्यक चरण के रूप में देखा गया था।

✓ इसके प्रारंभिक ढांचे पर बाली, इंडोनेशिया में 8 अक्टूबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे एवं 1 जनवरी 2010 से प्रवर्तित होने वाले अंतिम समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

✓ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार शुल्क बाधाओं को कम कर दिया एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया।

- भारत को आसियान क्षेत्रीय मंच में अपनी सदस्यता के बाद **1995 में पूर्ण आसियान वार्ता साझेदार की प्रस्थिति** प्रदान की गयी थी।। भारत-आसियान संबंधों ने शीघ्र ही राजनीतिक और साथ ही सुरक्षा क्षेत्रों में अपना सहयोग विस्तारित किया। भारत 2005 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट: EAS) में भी सम्मिलित हो गया।
- आसियान 2012 से भारत का **रणनीतिक साझेदार** रहा है। भारत और आसियान के बीच 30 वार्ता तंत्र हैं जो नियमित रूप से बैठक करते हैं।
- नवम्बर 2014 में म्यांमार में आयोजित **12वें** आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में **'एक्ट ईस्ट नीति' (AEP)** की स्थापना के बाद आसियान एवं वृहत्तर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता ने और अधिक गति प्राप्त कर ली है।
- **AEP** के अंतर्गत भारत से न केवल क्षेत्र के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है बल्कि यह **संभावित सुरक्षा सन्तुलनकर्ता के रूप में** उभरने के लिए भी उत्सुक है।
- **वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी** आसियान के साथ भारत की मजबूत संलग्नता के तीन स्तम्भ हैं।
- भौतिक, डिजिटल, अर्थव्यवस्था, संस्थागत और सांस्कृतिक इत्यादि सभी आयामों में **कनेक्टिविटी** को बढ़ाना देना आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के मूल में रहा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है ?

यह शिखर सम्मेलन आसियान सदस्यों एवं भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद एवं क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों के अन्य मामलों पर ऐसे समय पर चर्चा की गयी थी जब चीन, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र के स्वामित्व पर उग्र विवाद में संलग्न था।

VISION IAS

भारत के लिए आसियान का महत्व:

- **आर्थिक रूप से**: भारत, आसियान का एक रणनीतिक साझेदार है। 1.8 बिलियन की कुल जनसंख्या एवं 3.8 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ आसियान और भारत दोनों मिलकर **विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र** निर्मित करते हैं।

भूराजनैतिक रूप से

- भारत, भूराजनैतिक रूप से एवं साथ ही साथ आसियान एवं अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी नवीन मित्रता से लाभान्वित होने की अपेक्षा करता है।
- भारत ने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। **दक्षिण चीन सागर** में नौसंचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व का उल्लेख कर भारत ने चीन को एक दृढ़ संकेत दिया है।

समुद्री (maritime) महत्व: समुद्र के माध्यम से होने वाले अपने व्यापार को निर्बाध जारी रखने के लिए **दक्षिण चीन सागर में नौसंचालन की स्वतंत्रता** भारत के लिए आवश्यक है।

- समुद्री मार्ग "विश्व व्यापार की जीवन रेखायें" हैं। भारत नौसंचालन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) पर आधारित हो।
- नौसंचालन की स्वतंत्रता, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं साइबर अपराध इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने के लिए आसियान महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा से जुड़े पहलू: भारत और आसियान विविध क्षेत्रों जैसे आतंकवाद, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध एवं मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री डकैती इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

कनेक्टिविटी से जुड़े पहलू:

- नेपाल और म्यांमार तथा उससे आगे थाईलैंड जैसे ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों तक परिकल्पित राजमार्ग (निर्माणाधीन) एवं रेल कनेक्टिविटी लोगों के मध्य आपसी सम्पर्क में सुधार करेगी तथा इस प्रकार आर्थिक सहयोग और परस्पर निर्भरता के क्षेत्र को बढ़ाएगी।
- असीमित आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित भारत के अत्यधिक अविकसित पूर्वोत्तर राज्य, आर्थिक बदलाव के साक्षी बनेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा

- विशेष रूप से म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया जैसे आसियान देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संभावित रूप से योगदान कर सकते हैं।
- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार विद्यमान हैं।

आसियान के साथ व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2015-16 में भारत और आसियान के बीच 65.04 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ एवं यह विश्व के साथ भारत के व्यापार के 10.12% भाग का निर्माण करता है।
- जुलाई 2015 में आसियान-भारत निवेश एवं सेवा समझौता लागू होने के बाद, आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण होने से आसियान-भारत आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
- संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते का संपन्न होना, इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को और भी आगे बढ़ाएगा।

पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS)

- पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने एवं समकालीन चुनौतियों से निपटने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दे

पूर्व एशिया शिखर समलन (EAS) में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे: आतंकवाद का राज्य-नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा एवं दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

- प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिकतर देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का पालन कर रहे थे "किन्तु **भारत के पड़ोस में स्थित एक देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल आतंकवाद के उत्पादन और निर्यात में निहित है।**"
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए उन्होंने कहा कि इस समुद्र से गुजरने वाले संचार पथ **"वैश्विक पण्य व्यापार की मुख्य धमनियों"** के समान रहे हैं।
- भारत विशेष रूप से UNCLOS में परिलक्षित कानून के सिद्धांतों पर आधारित नौसंचालन एवं क्षेत्र के ऊपर से वायुयान संचालन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

2.3. भारत-वियतनाम (India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की वियतनाम यात्रा, भारत एवं वियतनाम के संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी जी की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने संबंधों को "कूटनीतिक साझेदारी" से उन्नत कर "व्यापक कूटनीतिक साझेदारी" का स्वरूप देने का निर्णय किया।

यात्रा के परिणाम:

- भारत और वियतनाम ने अपने कूटनीतिक संबंधों में मजबूत वृद्धि का संकेत देते हुए रक्षा, सूचना-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान एवं व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने इत्यादि को समाविष्ट करने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए ।
- **रक्षा समझौते:** उभरती क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत एवं वियतनाम दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को उन्नत कर व्यापक कूटनीतिक साझेदारी का स्वरूप दिए जाने के साथ, भारत ने इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश के साथ गहरे रक्षा सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया।
- भारत ने इससे पूर्व 2013 में वियतनाम को रक्षा हार्डवेयर खरीदने के लिए 100 करोड़ डॉलर की पेशकश की थी। हालांकि दोनों देश **ब्रह्मोस मिसाइलों** (भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित) की बिक्री के संबंध में बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इस नवीनतम यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

व्यापार और निवेश

- दोनों देशों के बीच लगभग 8 अरब डालर का द्विपक्षीय व्यापार है; पिछले छह-सात वर्षों में यह 400 प्रतिशत बढ़ गया है। दोनों पक्ष 2020 तक 15 अरब अमेरिकी डॉलर का एक नया व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सहमत हुए हैं।
- भारत वियतनाम में 93 परियोजनाओं का संचालन कर रहा है जिसमें इसने कुल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
- वियतनाम 23.6 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल निवेश के साथ भारत में तीन निवेश परियोजनाओं को संचालित कर रहा है।

दक्षिण चीन सागर विवाद

- भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे के "शांतिपूर्ण" समाधान एवं इस मुद्दे पर "आत्मसंयम बनाये रखने" का आह्वान किया।
- उन्होंने सभी पक्षों से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के प्रति "अधिकतम सम्मान" प्रदर्शित करने का भी आग्रह किया।

भारत के लिए वियतनाम का महत्व

- वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मज़बूत करना है।
- कनेक्टिविटी: भविष्य में, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पहले से विद्यमान सड़क मार्गों जैसे थाईलैंड को दा नांग के वियतनामी बंदरगाह के साथ जोड़ने वाला मार्ग, के साथ जुड़ सकता है।

VISION IAS

- वर्ष 2015-2018 के लिए भारत-आसियान संबंधों का समन्वयक देश होने के नाते, आसियान में भारत की संलग्नता के लिए वियतनाम एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है।
- कूटनीतिक स्थिति: वियतनाम कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है एवं उत्तर दिशा से दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रवेश करने के लिए "द्वार" के रूप में कार्य करता है।
- वियतनाम के साथ भारत के संबंध, बढती आर्थिक और वाणिज्यिक संलग्नता के माध्यम से चिह्नित हैं। भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में है।
- भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है एवं वियतनाम के पास हाइड्रोकार्बन का समृद्ध भंडार है, उदाहरणार्थ भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को 2006 में दो अन्वेषण ब्लॉक (ब्लॉक 127 और ब्लाक 128) दिए गए थे।

वियतनाम के लिए भारत का महत्व

- भारत, इस क्षेत्र में किसी एक देश के प्रभुत्व के विरुद्ध एक मजबूत चारदीवारी का कार्य कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ हनोई का लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, जिसकी स्थिति समय के साथ और भी अधिक खराब होती गयी है।
- भारतीय कंपनियां, वियतनामी बाजार को इसके पूर्वी एशियाई समकक्षों के स्तर पर लाने के लिए, इसमें अत्यधिक वांछित पूंजी और प्रौद्योगिकी का निवेश कर सकती हैं।
- अपने जन्म स्थान भारत से बौद्ध धर्म के वियतनाम में प्रसारित होने के कारण, इस संबंध का एक मजबूत सांस्कृतिक पहलू है। वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है एवं उनमें से कई भारत में स्थित बौद्ध धर्म के पवित्र धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के लिए आते हैं।
- आध्यात्मिकता ने भारत-वियतनाम संबंधों को एक नवीन एवं रोचक आयाम दिया है। वियतनाम में, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के साथ, यह देश बौद्ध धर्म के जन्म स्थान भारत के साथ गहरी आत्मीयता का साक्षी रहा है।

2.4. प्रवासी और शरणार्थी

(Migrants and Refugees)

2.4.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा

(New York Declaration on Migrants and Refugees)

घोषणा की आवश्यकता

- विश्व के समक्ष लगभग 21 मिलियन से अधिक शरणार्थियों की समस्या है, इनमें से लगभग 41 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित, 3.2 मिलियन शरण के इच्छुक हैं तथा इसके अलावा संघर्ष, दमन और निर्धनता के कारण मिश्रित प्रवासियों के प्रवाह में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- यह चिंताजनक प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन और आपदाओं तथा संसाधनों पर उनके द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप न्यूयॉर्क घोषणा की गयी ।

घोषणा का उद्देश्य

- यह घोषणा मानव जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने एवं वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी साझा करने के लिए विश्व के नेताओं की राजनैतिक इच्छाशक्ति को अभिव्यक्त करती है।
- इस घोषणा का उद्देश्य संसाधनों पर तनाव उत्पन्न करने वाले एवं अफ्रीका से यूरोप तक विभिन्न प्रभागों को ग्रसित कर चुके शरणार्थी संकट को, बेहतर रूप से समन्वित करना एवं मानवीय प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

शरणार्थी

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार शरणार्थी, सशस्त्र संघर्ष या उत्पीड़न के कारण पलायन हेतु विवश हुए लोग हैं, जबकि प्रवासी एक बेहतर जीवन की खोज में स्थानांतरण के विकल्प का चुनाव करते हैं।
- वर्तमान में विश्व भर में लगभग 21.3 मिलियन शरणार्थी, 3.2 मिलियन शरण के इच्छुक एवं 40.8 मिलियन प्रवासी हैं।

VISION IAS

इसकी प्रतिबद्धतायें क्या हैं?

न्यूयॉर्क घोषणा, वर्तमान में हमारे सम्मुख व्याप्त समस्याओं का समाधान करने और विश्व को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु ठोस प्रतिबद्धताएँ व्यक्त करती है। इसमें निम्नलिखित प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं:

- सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी शरणार्थियों और प्रवासियों के **मानव अधिकारों** का संरक्षण। इसमें महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों एवं समाधान खोजने में उनकी पूर्ण, बराबर एवं सार्थक भागीदारी सम्मिलित है।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी शरणार्थी और प्रवासी बच्चे आने के कुछ ही महीनों के भीतर **शिक्षा प्राप्त करने लगें**।
- यौन हिंसा एवं **लिंग-आधारित हिंसा** की रोकथाम करना एवं उसके प्रति अनुक्रिया करना।
- शरणार्थियों एवं प्रवासियों की बड़ी संख्या का बचाव करने वाले, शरण देने वाले एवं मेजबानी करने वाले देशों को सहयोग-समर्थन प्रदान करना।
- बच्चों को उनकी प्रवासी स्थिति निर्धारित करने हेतु निरूद्ध करने (Detain) के व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना।
- **शरणार्थियों** एवं प्रवासियों **के विरुद्ध विद्वेष** की दृढ़तापूर्वक निंदा करना एवं इसका प्रतिरोध करने के लिए विश्वव्यापी अभियान का समर्थन करना।
- अपने मेजबान देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रवासियों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदानों के महत्व को दृढ़तापूर्वक पुष्ट करना।
- नवोन्मेषी बहुपक्षीय वित्तीय समाधानों के माध्यमों सहित सभी प्रकार के वित्तपोषण अंतरों को समाप्त करने के उद्देश्य से सर्वाधिक प्रभावित देशों को मानवीय एवं विकास सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करना।
- जब भी शरणार्थियों का विशाल प्रवाह उत्पन्न हो या दीर्घकालिक शरणार्थियों की स्थिति उत्पन्न हो तो सदस्य राज्यों, नागरिक समाज भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र तंत्र की जिम्मेदारी को निर्धारित करने वाले नए ढांचे के आधार पर शरणार्थियों के प्रति व्यापक अनुक्रिया को कार्यान्वित करना।
- "शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त" (UNHCR) द्वारा पुनर्वास की आवश्यकता रखने वाले शरणार्थियों के रूप में पहचाने गए सभी शरणार्थियों हेतु नए घरों की खोज करना एवं शरणार्थियों के लिए अन्य देशों में स्थानांतरित होने हेतु श्रम गतिशीलता और शिक्षा योजनाओं जैसे अवसरों का विस्तार करना।
- प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में समाविष्ट कर प्रवासन के वैश्विक शासन को मजबूत बनाना।
- **कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं:** यह घोषणा कोई ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती एवं यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है बल्कि शरणार्थियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने, मानवीय सहायता एवं शरणार्थियों के पुनर्वास में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए देशों का आह्वान करती है।

2.4.2 शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

(UNICEF Report of Refugees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिसेफ ने 7 सितंबर 2016 को एक रिपोर्ट "अपरूटेड: द ग्रोइंग क्राइसिस फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन" नाम से जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में करीब 50 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं या उनको पलायन करना पड़ा है तथा लाखों की संख्या में बच्चे एक बेहतर और सुरक्षित जीवन पाने की आशा में पलायन कर रहे हैं।
- वे संघर्ष और हिंसा के सदमे में पलायन कर रहे हैं, उन्हें आगे जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वह निम्नलिखित हैं:

✓ समुद्र पार करने के दौरान डूबने का खतरा,

✓ कुपोषण,

✓ तस्करी,

✓ बलात्कार और हत्या।

- अपनी यात्रा के दौरान वे जिन देशों से गुज़रते हैं, वहां एवं उनके गंतव्यों पर भी उन्हें प्रायः विद्वेष और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- दुनिया में प्रत्येक 200 बच्चों में से 1 एक बच्चा शरणार्थी है।

- अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे 3 बच्चों में से लगभग 1 बच्चा शरणार्थी है।
- 2005 से 2015 तक बाल शरणार्थियों में दुगुनी वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य:

✓ विश्व के 5 बाल प्रवासियों में से 2 एशिया में रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल

- 'बाल अधिकारों का अभिसमय' (कन्वेंशन ऑफ़ द राइट ऑफ़ द चाइल्ड), **1989**
- कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजी (1951) एंड प्रोटोकॉल (1967)
- भूमि, समुद्र और वायु के रास्ते प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (2000)
- सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1990)।

कई देशों द्वारा अब तक इनकी पुष्टि करना शेष है। उनकी पुष्टि शरणार्थियों की सुरक्षा को मजबूत करेगी।

शरणार्थी और प्रवासी बच्चों की रक्षा के लिए छह विशिष्ट कार्रवाइयां

- बाल शरणार्थियों और प्रवासियों, विशेष रूप से अकेले बच्चों की शोषण और हिंसा से रक्षा करना।
- व्यावहारिक विकल्पों की एक श्रृंखला के माध्यम से शरणार्थी या प्रवासी का दर्जा चाहने वाले बच्चों का निरोध (detention) समाप्त करना।
- बच्चों की रक्षा और उन्हें कानूनी दर्जा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका परिवारों को साथ रखना है।
- सभी शरणार्थी और प्रवासी बच्चों के लिए सीखने और स्वास्थ्य तथा अन्य उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना।
- शरणार्थियों और विस्थापितों के रूप में व्यापक पलायन के मूल कारणों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालना।
- विदेशी लोगों को न पसंद करने की भावना(xenophobia), भेदभाव और उपेक्षा से निपटने हेतु उपायों को बढ़ावा देना।

2.5 भारत-मिस्र

(India-Egypt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने** भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के परिणाम:

राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग

- एक **"मजबूत रक्षा और सुरक्षा भागीदारी"** की घोषणा की गयी। यह घोषणा वर्ष 2006 में आरंभ किये गए संयुक्त रक्षा सहयोग को और ऊर्जा प्रदान करेगी। इसकी अब तक छह बैठकें हो चुकी हैं।
- दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत और मिस्र की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। दोनों राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सेना और पुलिस योगदान देने वाले दस सबसे बड़े राष्ट्रों में गिने जाते हैं।
- **आंतकवाद के विरुद्ध लड़ाई** को भारत और मिस्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिह्नित किया गया क्योंकि दोनों ही राष्ट्र इस्लामिक स्टेट (IS) के बढ़ते खतरे से चिंतित हैं।
- दोनों नेताओं ने **संयुक्त राष्ट्र** में जनरल असेंबली के पुनरोद्धार **सहित व्यापक सुधार** के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की क्योंकि केवल यही एक मात्र सार्वभौमिक संस्था है जो सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती है।
- दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की दृढ़ता से निंदा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म: CCIT) को समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र में साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प की पुन: पुष्टि की।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की चुनौतियों से निपटने के लिए, दोनों नेताओं के सिद्धांतों और विशेष रूप से इक्विटी के सिद्धांतों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और उसके पेरिस समझौते के प्रावधानों के आधार पर एक वैश्विक दृष्टिकोण तथा CBDR के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

VISION IAS

- दोनों नेताओं ने विकासशील देशों को विकसित राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी पर बल दिया। पर्याप्त, पूर्वानुमेय (predicatable) और कार्यान्वयन के संधारणीय साधन (विशेष रूप से **वित्त, तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण**) का प्रावधान विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहमत प्रतिबद्धताओं की आधारशिला है।

व्यापार और निवेश

- भारत और मिस्र ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के बीच के व्यापार को वर्तमान के 3 अरब डॉलर से निकट भविष्य में 8 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मिस्र में वर्तमान में 52 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें से 25 कंपनियां कुल 3 अरब डॉलर के निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रकों में संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रही हैं।
- लगभग 89 लाख उपभोक्ताओं के साथ 286 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला मिस्र अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार मिस्र में एक आर्थिक भागीदार बनने की जबरदस्त क्षमता है।
- राष्ट्रपति अल-सीसी ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय भागीदारी को आमंत्रित किया है, विशेष रूप से पेट्रो-रसायन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और IT जैसे क्षेत्रों में।

समुद्री परिवहन पर करार

- भारत और मिस्र ने समुद्री परिवहन से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से न केवल समुद्री वाणिज्य के मामले में बल्कि नौसेना के जहाजों के समुद्र मार्ग में सहयोग को आगे बढ़ाने के मामले में भी दोनों देशों को मदद मिलेगी।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
- दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि एक विशेष , 'इंडिया बाई द नील फेस्टिवल" (**"India by the Nile Festival"**) नामक आयोजन भारत की आजादी की 70 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2017 में किया जाएगा। उन्होंने 2017 में "इजिप्ट बाई द गंगा फेस्टिवल" (**"Egypt by the Ganga Festival"**) के उद्घाटन के प्रस्ताव का स्वागत किया।

2.6 भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उरी हमले के परिणामस्वरूप कई विशेषज्ञों ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रद्द करने और पाकिस्तान को दिये गये MFN दर्जे को वापस लेने की मांग की है।

सिंधु जल संधि (IWT)

- सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किये गए थे।
- भारत से होकर पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु और इसकी पांच सहायक नदियों के लिए वर्ष 1960 में हुई संधि की मध्यस्थता **विश्व बैंक (तत्कालीन IBRD)** द्वारा की गई थी और नियंत्रण रेखा पर यह संधि युद्ध और संघर्ष के बावजूद बनी रही है।
- संधि, दोनों देशों में प्रवाहित होने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग को प्रशासित करती है।
- संधि के अनुसार, **व्यास, रावी और सतलुज भारत द्वारा शासित होंगी, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण किया जाएगा।**
- सिंधु के भारत से हो कर बहने के कारण इसके 20 प्रतिशत जल का भारत द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन और परिवहन प्रायोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति है।
- संधि के कार्यान्वयन और इसके प्रबंधन हेतु एक **स्थायी द्विपक्षीय आयोग** की स्थापना की गई थी। आयोग, जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करता है।
- संधि भी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता तंत्र की व्यवस्था करती है।
- हालांकि सिंधु तिब्बत से निकलती है, लेकिन इस संधि से चीन को बाहर रखा गया है। यदि चीन नदी के प्रवाह को रोकने या बदलने का निर्णय करता है, तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करेगा।

- जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बत के पठार में बर्फ पिघल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में नदी पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
- भारत और पाकिस्तान, विभाजन के बाद से दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपस में टकराव हुए हैं लेकिन संधि के अनुमोदन के बाद से जल को लेकर कोई लड़ाई नही हुई है।
- उरी हमले के परिणामस्वरूप, कई विशेषज्ञों ने भारत द्वारा पाकिस्तान के प्रति उदार शर्तों वाली सिंधु जल संधि से स्वयं को अलग करने की मांग की है। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि IWT का पालन किया जाएगा, कम से कम वर्तमान में कुछ समय के लिए तो अवश्य ही। लेकिन केंद्र ने इसके स्थान पर सिंधु जल के उपयोग के इष्टतम उपयोग हेतु उपायों की एक सूची बनाई है। भारत अभी तक सिंधु के जल का इष्टतम उपयोग नहीं कर सका है।
- केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि पर भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने पश्चिमी नदियों पर अधिक रन-ऑफ-द-रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए, 18,600 मेगावाट की पूरी क्षमता का दोहन करने का निर्णय लिया (वर्तमान परियोजनाएं 11,406 मेगावाट तक की हैं)।
- तुलबुल नौवहन परियोजना को पुनः आरंभ करने के सबंध में पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1987 में पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद भारत द्वारा इसे निलंबित कर दिया था।

यदि भारत IWT रद्द करता है

- निरस्त करने से क्षेत्रीय स्थिरता और विश्व स्तर पर भारत की साख को खतरा होगा।
- यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के खेतों की सिंचाई के लिए बेहतर अल्पकालिक योजना से परे इन "पश्चिमी" नदियों के सन्दर्भ में भारत की मंशा क्या है ।
- पाकिस्तान में जल स्तर को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने के लिए सिंधु नदी की सहायक नदियों के जल को रोकने हेतु जिन बांधों की आवश्यकता होगी, उन्हें बनाने में दस वर्षों से भी अधिक समय लग जायेगा।
- ऐसे कार्यों के पर्यावरण और भू-राजनीतिक परिणामों को देखते हुए किसी भी अंतरराष्ट्रीय फंड के प्राप्त होने की संभावना नहीं है।
- सिंधु नदियों के जल को रोकने पर विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं:

✓ भारत की अन्य पड़ोसियों के साथ जल बंटवारे की व्यवस्था है। सिंधु संधि का सम्मान न करना उन्हें असहज और अविश्वासी बना देगा।

✓ यदि चीन, कुछ ऐसा ही करने का फैसला करता है तो भारत अपनी आवाज खो देगा।

सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)

- सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र एक व्यापार भागीदार को दिया जाने वाला दर्जा है। यह अन्य देशों की तुलना में दो व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव रहित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत एक सदस्य देश अपने व्यापारिक भागीदारों से भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि एक व्यापारिक भागीदार को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को यह दिया जाना होगा।
- यद्यपि भारत ने यह दर्जा पाकिस्तान को वर्ष 1996 में ही दिया था तथापि उसने ऐसा न करके अब तक इसका प्रतिफल नहीं चुकाया है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2015-16 में केवल 2.6 अरब डॉलर था (जिनमें से 2.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को भारत द्वारा किया गया निर्यात है)। यह एक वर्ष में भारत के वस्तु व्यापार (643.3 $ अरब डॉलर) के कुल मूल्य के केवल 0.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
- अतः भले ही भारत MFN का दर्जा रद्द कर दे, किन्तु इसका केवल **'प्रतीकात्मक' प्रभाव पड़ेगा**।

2.7. सार्क शिखर सम्मलेन (SAARC Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उरी हमले के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से और उसके आस-पड़ोस से अलग-थलग करने के लिए आक्रामक कूटनीतिक आरंभ कर दी है।

- भारत ने इस वर्ष नवम्बर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मलेन से बाहर रहने का फैसला किया है। अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी भारत का अनुसरण करने का फैसला किया है।

- यह फैसला अभूतपूर्व है क्योंकि इस प्रकार का फैसला पहली बार लिया गया है जब भारत ने पाकिस्तान अवस्थित तत्वों के कारण क्षेत्रीय समूह के शिखर सम्मलेन की बैठक में भागीदारी को रद्द कर दिया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा सम्मलेन की बैठक में भाग न लेना दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण में बाधा बन सकता है।

'पाकिस्तान रहित सार्क'

इस्लामाबाद में निर्धारित सार्क शिखर सम्मलेन में भाग न लेकर सरकार दो उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही है: पहला तो **उरी हमले** के मद्देनजर एक कठोर सन्देश भेजना और दूसरा यह कि भारत 'पाकिस्तान रहित सार्क' की अपनी योजना के साथ बढ़ रहा है।

- पिछले नेपाल शिखर सम्मलेन के बाद से, पाकिस्तान ने क्षेत्र में बेहतर जुड़ाव (लिंक) के सभी प्रोटोकॉल अवरुद्ध किये हैं, वहीँ दूसरी और भारत अपने पसंदीदा समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए 'पाकिस्तान रहित सार्क' योजना का अनुसरण कर रहा है।
- मोटर वाहन आवागमन समझौता (Motor vehicle movement agreement), रेलवे लिंकेज, और सार्क उपग्रह कार्यक्रम आदि पर पाकिस्तान के अतिरिक्त सभी सार्क देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत से अफगानिस्तान की जमीन तक पहुंचा नहीं जा सकता है, इसलिए दोनों सरकारों ने कार्गो के लिए एक अलग "हवाई गलियारे" पर चर्चा की है।
- उक्त विज़न (परिकल्पना) में अधिक स्पष्टता मध्य-अक्टूबर में प्रत्याशित है, जब गोवा (भारत) में ब्रिक्स शिखर सम्मलेन से अलग **बिम्सटेक आउटरीच शिखर सम्मलेन** का आयोजन किया जाएगा।
- भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, और श्रीलंका का एक अन्य समूह, प्रथम SASEC (सासेक) ऑपरेशनल प्लान 2016-2025 को जारी करने के लिए दिल्ली में **दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (साउथ एशिया सब-रीजनल इकोनोमिक कोऑपरेशन: SASEC) कार्यक्रम** में एकत्रित हुआ ।
- SASEC के प्रमुख वित्तपोषक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने लगभग 7.7 बिलियन डॉलर मूल्य की तकरीबन 40 आधारभूत संरचना और IT सम्बन्धी परियोजनाओं को मंजूरी पहले ही दे दी है।

पाकिस्तान की कार्रवाई

- पाकिस्तान को सार्क के बाहर कई अन्य देशों (मुख्य रूप से चीन) से समर्थन मिलता रहता है और साथ ही पाकिस्तान ने रूस के साथ भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। दोनों देशों ने अपना पहला सैन्य अभ्यास उरी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान में किया था। ईरान ने भी पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) में भाग लेने के लिए कराची बंदरगाह पर अपने चार नौसैनिक युद्धपोत भेजे थे।

भारत के लिए आगे की राह

एक आर्थिक संघ समय की मांग है। यदि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनने संबंधी अपनी वैश्विक इच्छाओं को पूरा करना है तो उसे ही नेतृत्व करना होगा और एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जो अवसर प्रदान कर सके तथा केवल सुरक्षा चिंताओं के कारण उसे आगे बढ़ाने से रोका न जाए।

2.8. भारत-अफगानिस्तान (India-Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

- भारत और अफगानिस्तान ने वांछित आतंकवादियों और अपराधियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों पक्षों ने बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण उपयोग तथा नागरिक व वाणिज्यिक मामलों में सहयोग पर भी समझौते किए।
- भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, अवसंरचना और लोकतान्त्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने जैसे क्षेत्रों में 'क्षमता और योग्यता निर्माण' के लिए एक बिलियन डॉलर के सहयोग का वादा किया है।
- भारत ने अफगानिस्तान को सस्ते औषधीय उत्पाद और दवाइयों का भी प्रस्ताव दिया है।

2.9. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता)

(APTTA [Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement])

अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता (जिसे **APTTA** के नाम से भी जाना जाता है) पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह समझौता दो देशों के बीच माल की आवाजाही को काफी हद तक सुगम बनाने के लिए किया गया है।

- 2010 में हस्ताक्षरित APTTA, दोनों देशों को नामित ट्रांजिट गलियारों से ट्रांजिट व्यापार के लिए एक दूसरे के हवाई अड्डों, रेल मार्गों, सड़कों, और बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देता है।
- यह समझौता किसी तीसरे देश के सड़क परिवहन वाहन को कवर नहीं करता है, चाहे वह भारत से हो या मध्य एशिया का कोई अन्य देश।
- APTTA समझौता अफगान ट्रकों को पाकिस्तान से होते हुए वाघा क्रॉसिंग पॉइंट तक भारत को किये जाने वाले निर्यात के परिवहन की अनुमति देता है, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के क्षेत्र से भारतीय माल को आयात करने का अधिकार नहीं देता है।

APTTA से जुड़ी समस्यायें

एकजुटता पैदा करने के बजाय APTTA स्वयं बहुत बड़ी कलह का कारण बन गया है।

- भारत-पाकिस्तान के कटु संबंधों का अर्थ यह है कि जल्दी खराब होने वाले फल लाने वाले अफगान ट्रकों को सीमा के दोनों तरफ लम्बी देरी का सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें अक्सर माल को एक बार से अधिक लोड और अनलोड करना पड़ता है।
- पाकिस्तान ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी द्वारा भारत को भी काबुल के साथ इस ट्रांजिट व्यापार संधि का एक पक्ष बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में आयोजित पिछले हार्ट ऑफ़ एशिया मंत्रीस्तरीय सम्मलेन में अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार और ट्रांजिट समझौते (APTTA) में सम्मिलित होने के संबंध में भारत की इच्छा व्यक्त की थी।

अलग व्यापारिक मार्ग

भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक दूसरे को व्यापार समीकरण से बाहर करने के लिए बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

- भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए एक गलियारे पर काम कर रहा है, जहाँ माल भूमि मार्ग से जाएगा और पाकिस्तान को छुए बिना ज़रांज-डेलाराम राजमार्ग तक पहुँच जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस राजमार्ग का विकास भारत द्वारा किया गया है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) तैयार हो जाने के बाद पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान दोनों की सीमा को छुए बिना PoK और गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरने वाली छोटी-सी पट्टी के माध्यम से सीधे चीन से जुड़ जाएगा।
- अफगानिस्तान भी उत्तर में अपने विकल्प खोज रहा है। यह चीन की *वन बेल्ट, वन रोड* योजना में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है।

2.10. G-20 शिखर सम्मेलन

(G-20 Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

11वाँ G20 शिखर सम्मेलन हांग्जो, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु "नवोन्मेषी, नवीन ऊर्जा से सराबोर, अंतर्संबंधित एवं समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था" की स्थापना करना था।

G-20 शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषतायें

- G-20 अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने **भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालित करने हेतु आम सहमति सहित** विभिन्न विकास मुद्दों पर पर्याप्त सफलतायें प्राप्त की हैं एवं फरार अपराधियों के प्रत्यावर्तन तथा साथ ही परिसंपत्ति वसूली के संबंध में चीन में एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

संधारणीय विकास

- इस शिखर सम्मेलन में पहली बार **वैश्विक समष्टि नीति ढांचे के विकास मोर्चे एवं केन्द्र** के मुद्दे को रखा गया, **संधारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडे** का कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य योजना निर्मित की एवं सामूहिक रूप से अफ्रीकी देशों एवं न्यूनतम विकसित देशों के औद्योगिकीकरण का **समर्थन** किया गया।

हांग्जो आम सहमति

- **"हांग्जो आम सहमति"** G20 देशों को **समन्वित समष्टि आर्थिक नीति, खुले व्यापार और नवोन्मेष** के माध्यम से अधिक समावेशी आर्थिक विकास प्रदान करने का आह्वान करती है। संक्षेप में, यह वैश्वीकरण को सभी के लाभ के लिए कार्य करने हेतु सक्षम करने के अपने मूल अधिदेश की पुष्टि करती है।

अंतर्राष्ट्रीय कर-परिहार

- G-20 के कई सदस्यों द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय कर-परिहार** के विरुद्ध प्रवर्तन को मजबूत करना **एवं आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण(Base Erosion and Profit Shifting) पर सहयोग को आगे बढ़ाना** जैसे अनेक कम महत्वपूर्ण उद्देश्यों को साझा किया गया।

जलवायु परिवर्तन

- अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद , **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि करने के लिए सदस्य-देशों के लिए दिसंबर 2016 की समय सीमा** का अंतिम G-20 विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- इसने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी समाप्त करने हेतु तिथि विशेष का निर्धारण भी टाल दिया गया है।
- चीन में सीमा से अधिक इस्पात क्षमता का प्रश्न, शिखर सम्मेलन में उल्लेखित प्रमुख मुद्दों में से एक था। इसके कारण भारत, ब्रिटेन एवं अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सस्ते आयातों की बाढ़ सी आ जाती है।
- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अत्यल्प वास्तविक प्रगति हुई थी।
- नेताओं का ध्यान आकर्षित करने वाले अन्य गौण विषयों में **सीरिया संकट, शरणार्थियों, आतंकवाद और प्रवासन इत्यादि** के लिए समन्वित अनुक्रियाओं संबंधी चुनौतियाँ **अब भी अनुत्तरित हैं।**

G-20

- G-20 का आरम्भ एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में हुआ।
- 20 देशों का यह समूह (G-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निर्णय-निर्धारण के लिए प्रमुख फोरम है। इसमें 19 देश एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं।
- G-20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 80%, विश्व की जनसंख्या के 65% का प्रतिनिधित्व करता है।
- 2008 में, G-20 नेताओं का सबसे पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट से अनुक्रिया करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई।

2.11. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन

(Regime Change in Brazil)

ब्राजील की डिल्मा राउसेफ को सीनेट में महाभियोग मतदान द्वारा देश के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। इस प्रकार लेटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वामपंथियों का शासन समाप्त हो गया।

राउसेफ पर लगाए गए महाभियोग के कारण:

- पिछले वर्ष के दौरान गहरे आर्थिक संकट एवं बढ़ते **भ्रष्टाचार के मामलों** के कारण सुश्री राउसेफ की लोकप्रियता धीरे-धीरे कम हो गयी थी। इन भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी वर्कर्स पार्टी के अनेक नेताओं पर आरोप लगाए गए।
- उनके द्वारा अपनाए गए कुछ उपाय जैसे कि **घाटे को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी करना** इत्यादि प्रति-उत्पादक थे क्योंकि इन उपायों ने वर्कर्स पार्टी (PT) के पारंपरिक आधार अर्थात कामकाजी लोगों को उनसे दूर कर दिया।

आर्थिक संकट:

- ब्राजील की जिंस वस्तुओं जैसे तेल, लौह अयस्क और सोया के मूल्यों में गिरावट के कारण ब्राजील की अर्थव्यवस्था तीन दशकों से अधिक समय से अपनी सर्वाधिक मंदी के दौर से गुजर रही है।
- 2015 में, अर्थव्यवस्था 1981 से अब तक का अपना सर्वाधिक बुरा वार्षिक प्रदर्शन करते हुए 3.8% तक संकुचित हो गयी।
- पिछले वर्ष के अंत में, मुद्रास्फीति की दर 10.7% तक पहुँच गयी, जो 12-वर्ष की अवधि में सर्वोच्च थी।
- 2015 में बेरोजगारी में 9% वृद्धि हुई एवं अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह दहाई के आंकड़ों में आ सकती है।

महाभियोग का प्रभाव:

- ऐसे समय में जबकि देश को विशेष रूप से वर्तमान आर्थिक संकट एवं अत्यधिक भ्रष्टाचार जैसी भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थिर प्रशासन की आवश्यकता है, इस महाभियोग से **ब्राजील का राजनीतिक संकट** और अधिक गहरा होने की संभावना है।
- वैश्विक राजनीति पर ब्राजील के राजनीतिक संकट का हानिकारक प्रभाव पड़ा है क्योंकि विश्व को इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश के योगदान की आवश्यकता है।
- भौगोलिक और राजनीतिक रूप से, ब्राजील को ऐसी धुरी बनने की आवश्यकता है जिसके चारों ओर इसके मुख्य रूप से स्पेनिश बोलने वाले पड़ोसी आकर्षित हो सकें और अपनी नीतियों का समन्वयन करें।
- रूस, चीन और भारत ने हाल के वर्षों में ब्राजील के साथ अपने राजनीतिक-आर्थिक द्विपक्षीय संबंधों को काफी मजबूत किया है तथा इस घटना के बाद भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सशंकित होंगे।
- पहले दक्षिण अफ्रीका और अब ब्राजील में नेतृत्व संकट के कारण BRICS, IBSA और BASIC की प्रभावकारिता संदिग्ध हो गयी है।

2.12. रूस-पाकिस्तान

(Russia-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस-पाकिस्तान ने पाकिस्तान में **'Friendship—2016'** के नाम से अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह दो पूर्व शीत-युद्ध प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को प्रतिदर्शित करता है।

भारत की चिंतायें:

- संयुक्त सैन्य अभ्यास ऐसे समय में आयोजित हुआ जब भारत, उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अलग-थलग करने, कश्मीर के भीतर नए सिरे से आरम्भ हुई राजनीतिक हिंसा का सामना करने एवं गिलगिट-बाल्टिस्तान पर भारत के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था।
- इस महत्वपूर्ण संकटकालीन दौर में भारतीय संवेदनशीलता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए रूस द्वारा अभ्यासों को स्थगित करने हेतु अनिच्छुक होने से यह पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के प्रति मास्को के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कोई मौलिक विचार कार्य कर रहा है।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास को सेना से सेना के बीच बढ़ते सहयोग की दिशा में एक ओर कदम के रूप में देखा गया है, यह इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है।
- 2014 में रूसी-पाकिस्तानी पुनर्जागरण आरम्भ हुआ जब क्रेमलिन ने इस्लामाबाद के विरुद्ध आयुध व्यापार पर लगायी अपनी रोक को हटा दिया।
- 2015 में मास्को, पाकिस्तान के लिए चार Mi-35M हेलिकॉप्टरों को बेचने हेतु सहमत हो गया और उसने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सम्मिलित होने के लिए इस्लामाबाद का स्वागत किया।

रूस की रणनीति में परिवर्तन:

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दृढ़ता प्रदर्शित की है।

- इसने पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप एवं इराक तथा लीबिया एवं अब सीरिया में सैन्यवादी सत्ता-परिवर्तन नीतियों का विरोध करने के संबंध में स्पष्ट स्थिति ग्रहण कर ली है।
- रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन करने हेतु इस्लामी राज्य के विरुद्ध संघर्ष में प्रतिबल का प्रयोग किया है।
- इसने 1950 में (सोवियत संघ संबंधी) ऐतिहासिक कारणों से यूक्रेन को अपने द्वारा भेंट किए क्रीमिया प्रांत को वापस ले लिया। यह कदम रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से एकपक्षीय प्रतिबंध लगाए जाने का कारण बना।
- पश्चिमी देशों द्वारा गलत ठहराए जाने पर रुस चीन का रणनीतिक भागीदार बन गया है और उनके हित आपस में काफी मेल खाते हैं।
- आयुधों और ऊर्जा के निर्यात पर निर्भर रूस निरंतर नए बाजारों की खोज कर रहा है एवं पाकिस्तान एक ऐसा ही संभावित बाजार है। ये पूर्व योजनाबद्ध अभ्यास इस खोज का विस्तार थे।

VISION IAS

भारत की नीति में परिवर्तन:

उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। भारतीय युद्ध-सामग्री नीतियों में कुछ **वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परिवर्तन** हुए हैं, जिनमें कई वर्षों तक रूस को प्रधानता दी जाती रही है।

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जिनमें से सभी किसी न किसी क्षेत्र में रूस को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्रेमलिन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग से सतर्क हुआ है।
- दोनों राष्ट्रों से प्रोत्साहन दिए जाने के बाद भी भारत-रूस व्यापार में अत्यधिक उच्चस्तरीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी तक रूस के दृष्टिकोणों के प्रति भारत का समर्थनकारी रूख रहा है एवं रूस की सभी कार्रवाईयों के प्रति भारत द्वारा सावधानीपूर्ण और जांच-परख कर अनुक्रिया की गयी है। चेचन्या, सीरिया, यूक्रेन और अन्यत्र भारत ने रूस का समर्थन किया है । रूस ने अपनी ओर से कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण का निष्ठापूर्वक समर्थन किया है।
- सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय निजी क्षेत्र को **सम्मिलित करने वाले आर्थिक संबंधों** की कमी है। भारत की विषम रक्षा खरीद एवं साइबेरियाई तेल या गैस क्षेत्र की इक्विटी में हिस्सेदारी, रणनीतिक संबंध का आधार होने के स्थान पर उसके विकल्प हैं।
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी ओर से सैन्य अभ्यास करता है एवं ऐसे लॉजिस्टिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय नौसैनिक अड्डों की उपलब्धता प्रदान की जा सकती है।

आगे की राह:

- सैन्य अभ्यास भारत-रूस संबंधों को अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है किन्तु सुनिश्चित रूप से इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि भारत रूस की गतिविधियों को अनदेखा नहीं कर सकता। रूस के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, भारत को अपनी क्षमताओं एवं रूस के साथ अपने साझा हितों को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है।
- रूस निकट भविष्य में शीघ्र ही पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी नहीं बनेगा एवं भारत के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहेगा। फिर भी, क्रेमलिन का यह कदम मोदी प्रशासन को प्रखर संदेश देता है। वस्तुत: नई दिल्ली, मास्को की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करती है, किन्तु यह भी समझती है कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग के समानुपात में, रूस-पाकिस्तान साझेदारी निरंतर विकसित होती रहेगी।

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. बजट संबंधी सुधार

(Budgetary Reforms)

बजट संबंधी सुधारों के बारे में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ ऐतिहासिक बजटीय सुधारों पर वित्त मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। ये सभी परिवर्तन 2017-18 के बजट से एक साथ प्रभाव में आ जाएंगे।

आम बजट के साथ रेल बजट का विलय

- अलग से रेल बजट को पेश करने का सिलसिला वर्ष 1924 में शुरू हुआ था, और स्वतंत्रता के उपरांत यह बजाए किसी संवैधानिक प्रावधानों के एक कन्वेंशन (परिपाटी/परंपरा) के रूप में जारी रहा।

लाभ

- यह विलय इसलिए भी अपेक्षित था ताकि लगभग **10,000 करोड़ रुपए की रेलवे की वार्षिक लाभांश देयता** को बचाया जा सके।
- वस्तुतः यह एक औपनिवेशिक प्रथा है, जो बदलती परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता। वर्तमान में किसी भी अन्य देश में अलग से रेल बजट को पेश करने की प्रथा नहीं है।
- इसका प्रयोग बिना किसी उपयुक्त आर्थिक औचित्य के मुख्य रूप से लोकलुभावन कारणों के चलते नेताओं द्वारा किया जाता है।
- वर्षों से आम बजट संबंधी व्यय रेलवे से कहीं अधिक रहा है और रक्षा मंत्रालय जैसे कई दूसरे मंत्रालयों का व्यय रेलवे की तुलना में अधिक है।
- एक एकीकृत बजट की प्रस्तुति वस्तुतः रेलवे के मामलों को केंद्र के अधीन लाएगा और सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर एक समग्र तस्वीर भी प्रस्तुत करेगा।
- वितरण और सुशासन के पहलुओं को ध्यान में लाने के बजाय इस विलय से प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कम होने की उम्मीद है।
- विलय के परिणामस्वरूप, रेलवे के लिए विनियोग मुख्य विनियोग विधेयक का हिस्सा बनेगी।

बजट की तारीख के लिए एडवांसमेंट

लाभ

- यह बजट चक्र के जल्दी पूरा होने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। पुनः इससे वित्त वर्ष की शुरुआत से बेहतर योजना बनाने और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मंत्रालयों और विभागों को सक्षम बनाया जा सकेगा।
- इससे पहली तिमाही सहित चालू सत्रों का पूरा उपयोग किया जा सकेगा।
- इस विलय के कारण 'लेखानुदान' के माध्यम से विनियोग की मांग की आवश्यकता पर अंकुश लगेगा और साथ ही कर में विधायी परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत से नए कराधान उपायों के लिए कानून बनाए जा सकेंगे।
- यह राज्यों को उनके अपने राज्य के बजटों के साथ धन के हस्तांतरण को सिंक्रोनाइज़ करेगा (अर्थात् उन्हें समकालिक बनाएगा)।
- हालांकि, यह चालू वित्त वर्ष में विभिन्न मंत्रालयों को अल्प व्यय के लिए प्रेरित करेगा, जो विकास के लिए एक अवरोध भी बन सकता है।

योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय

लाभ

- व्यय की योजनागत/गैर-योजनागत विभाजन ने विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन के एक खंडित दृष्टिकोण को प्रेरित किया, जिससे न केवल एक सेवा की डिलीवरी की लागत का पता लगाना मुश्किल हो गया, अपितु इसके आउटकम (परिणामों) को इसके परिव्यय से संबद्ध करना भी एक कठिन कार्य बन गया।
- केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से भी योजनागत व्यय के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये ने संपत्ति के रखरखाव और अन्य संस्थानों पर होने वाले व आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित व्ययों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया है।
- यह प्रणाली पिछले प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं तथा प्लान बजट के लिए अवशिष्ट संसाधनों के आवंटन पर आधारित है। इससे प्लान बजट के भीतर फंड आवंटन में होने वाले लचीलेपन में कमी आई है।
- यह विभाजन पहले महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले योजना आयोग योजना व्यय की मात्रा का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। हालांकि, योजना आयोग के उन्मूलन के साथ, योजनागत और गैर-योजनागत व्यय की प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है।

VISION IAS

- लाभकारी और सामान्य व्यय के लिए इन फंडों को राजस्व और पूंजीगत शीर्षकों के तहत स्पष्ट विभाजन करना ज्यादा बेहतर होगा। इस विलय से राजस्व, और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने वाले उचित बजटीय ढांचे की अपेक्षा है।

3.2. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर)

(India's First Coastal Economic Corridor)

इस तटीय आर्थिक गलियारे के बारे में

- भारत ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल तक अपने पहले **ईस्टर्न कोस्ट इकॉनोमिक कॉरिडोर (ECEC) (पूर्वी तट आर्थिक गलियारा)** के निर्माण की योजना तैयार कर ली है।
- इस परियोजना के एक भाग के रूप में, हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच औद्योगिक गलियारे (विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: VCIC) के निर्माण के लिए 631 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की।
- इस निधि की मदद से 2,500 किलोमीटर वाले ECEC के 800 किलोमीटर के प्रथम प्रमुख खंड को विकसित करने में सहायता मिलेगी। शेष 215 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इसके पीछे निहित विचार में न सिर्फ नए बंदरगाहों का निर्माण करना या पुराने का उन्नयन करना शामिल है, अपितु इसके द्वारा पूरे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊँचाई प्रदान करना है, जिसमें अनेक पत्तन सम्मिलित होंगे।
- ADB के इस ऋण की सहायता से सरकार को एक कुशल कार्यबल तैयार करने और अनुकूल व्यापार नीतियों के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक वाले औद्योगिक क्लस्टरों, सड़क, कुशल परिवहन, विश्वसनीय जल और विद्युत आपूर्ति आदि की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

तटीय आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन: CEZs)

- तटीय अवस्थिति कंपनियों को दुनिया के बाजारों में अपने व्यवसायों के निर्बाध संचालन हेतु एक अनुकूल स्थिति उपलब्ध कराता है। चीन ने अपने यहां इस अवसर का सफलतापूर्वक दोहन किया है।
- इसी कारण से नीति आयोग ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि भारत को भी तटीय आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण पर काम करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सागरमाला पहल के आलोक में यह (CEZs) और महत्वपूर्ण हो गया है।

महत्व

- इस नए औद्योगिक गलियारे से विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क, बुनियादी सुविधाओं, और औद्योगिक तथा अर्बन क्लस्टरों में मौजूदा निवेश के बढ़ने से आर्थिक वृद्धि को गति देने की उम्मीद है।
- विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और देश में विनिर्माण हबों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए VCIC भी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। ADB के आकलनों के अनुसार, इस गलियारे के तटीय जिलों में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग अगले दो दशकों में प्रति वर्ष 24% की दर से वृद्धि करेगा।
- विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों को डायनेमिक (स्फूर्त) औद्योगिक और अर्बन क्लस्टरों के साथ जोड़कर, VCIC वस्तुतः रोजगार के अवसरों को सृजित करेगा, जिससे गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। यह पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह (क्षेत्र) देश के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी पीछे है।
- यह वृहद घरेलू बाजार को एकीकृत करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरणस्वरुप, VCIC मुख्यतः चार आर्थिक केन्द्रों और नौ औद्योगिक क्लस्टरों को आपस में जोड़ेगा।
- यह एशिया के डायनेमिक वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करेगा और साथ ही भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को एक नयी दिशा प्रदान करेगा। दक्षिण एशिया और शेष एशिया के बीच वृहद कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की भरपूर संभावना है।
- एक तटीय गलियारे के रूप में, VCIC वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय गेटवे (प्रवेश द्वारों) तक बहुल पहुँच प्रदान कर सकता है।
- यह उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए आवश्यक व्यापारिक सुधारों के साथ संरेखित है।

VISION IAS

समुद्री क्लस्टर और CEZ (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन)

- जहाजरानी मंत्रालय के सगरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार की गई एक रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार, भारतीय समुद्र तट के साथ अवस्थित मेरीटाइम क्लस्टर्स वस्तुतः आर्थिक विकास के लिए विभिन्न ध्यान केन्द्रित वाले क्षेत्रों में से एक होंगे।
- तटीय आर्थिक क्लस्टरों के संबंध में पत्तन आधारित औद्योगिक विकास पर एक रिपोर्ट में अन्तर्निहित संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में **तमिलनाडु और गुजरात** में दो प्रमुख मेरीटाइम क्लस्टरों की पहचान की गयी है।

आवश्यकता

- विश्व स्तर पर, जहाज निर्माण बाजार में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का प्रभुत्व है, जो कुल मिलाकर दुनिया की जहाज निर्माण क्षमता के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण बाजार के केवल 0.45 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है और यह 2025 तक वैश्विक जहाज निर्माण क्षमता के 3-4 मिलियन DWT (Deadweight tonnes) का लक्ष्य हासिल कर सकता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत 2025 तक कुल GDP में समुद्री सेवाओं के 0.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।
- मेरीटाइम क्लस्टरों के सहायक उद्योगों का 5,000 करोड़ रुपए का बाजार वस्तुतः इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन (निर्माण) और मशीनिंग की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2025 तक एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है।
- रिपोर्ट के अगले हिस्से में सागरमाला के अंतर्गत समुद्री राज्यों और औद्योगिक क्लस्टरों के लिए प्रस्तावित 14 CEZs के माध्यम से देश के लिए बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के समग्र अवसर प्रदान करने का उल्लेख है।
- इन CEZs की प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थिति लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मददगार होगी, इस प्रकार इससे भारतीय व्यापार विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएगा।
- भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत विनिर्माण और औद्योगीकरण को गति देने के लिए औद्योगिक गलियारों से उत्पन्न अवसरों का दोहन करने के लिए इन प्रस्तावित CEZs की कल्पना की गई है।

3.3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार

(India Improves in Global Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम: WEF) की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, और यह अब 39वें रैंक पर पहुंच गया है।

मुख्य तथ्य

- 39वें रैंक पर पहुंचने के लिए भारत की रैंकिंग में 16 स्थानों का सुधार हुआ है, जिससे यह सर्वेक्षण में शामिल 138 देशों में सबसे तेजी से अपनी रैंकिंग सुधारने वाला देश बन गया है।
- वैसे तो संपूर्ण सूचकांक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार देखने को मिला है, लेकिन यह विशेष रूप से वस्तु बाजार दक्षता (60), व्यापार परिष्कार (35) और नवोन्मेष (29) के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है।
- BRICS देशों के बीच भारत दूसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश है । 28वें रैंक पर होने के कारण (BRICS देशों में) चीन प्रथम स्थान पर है।

VISION IAS

- सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदम जिनकी मदद से इसके रैंक में सुधार हुआ है, निम्नलिखित हैं:
  - ✓ सार्वजनिक संस्थानों में सुधार (16 स्थान ऊपर)।
  - ✓ विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना (4 स्थान ऊपर)।
  - ✓ वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना (15 स्थान ऊपर)।
- WEF ने अवलोकित किया है कि भारत को अभी भी निम्नलिखित समस्याओं से निपटने की आवश्यकता है:
  - ✓ श्रम बाजार में निहित कमियां,
  - ✓ बड़े सार्वजनिक उद्यम, जोकि आर्थिक क्षमता को कम करते हैं,
  - ✓ वित्तीय बाजार,
  - ✓ अवसंरचना का अभाव।

3.4. PSUs सुधार: विनिवेश नीति

(PSU Reforms: Disinvestment Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, PMO ने 22 सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों में रणनीतिक बिक्री के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन PSUs में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे लाना है।
- पुनः इसने PSUs सुधार के तहत उठाए जाने वाले कदमों के तौर पर घाटे में चल रही कुछ PSUs को बंद करने की नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने पहले ही विनिवेश विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ डिसइनवेस्टमेंट) का नाम बदलकर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट: **DIPAM**) कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- भारत की विनिवेश नीति में कई बदलाव आए हैं। वर्तमान NDA सरकार की नीति निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
  - ✓ PSUs राष्ट्र की संपत्ति हैं और इस संपत्ति को लोगों के हाथों में सुनिश्चित करने के लिए, CPSEs (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण) में सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा देना,
  - ✓ सूचीबद्ध CPSEs में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश को अपनाते हुए, सरकार बहुलांश हिस्सेदारी बनाए रखेगी, अर्थात् PSUs की हिस्सेदारी (शेयरधारण) और प्रबंधन नियंत्रण के लिए आवश्यक कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारण रखना; तथा
  - ✓ चिन्हित CPSEs में सरकार की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से सामरिक विनिवेश करना, जहां प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में 41,000 करोड़ रुपए के रणनीतिक विनिवेश का वादा किया था।

महत्व

- यह कदम सिर्फ सरकार के राजकोषीय आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता, अपितु इसके तहत अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन का दृष्टिकोण भी सम्मिलित है।
- यह PSUs से संबंधित सुधारों की लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
- नीति आयोग की भागीदारी इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाएगी।

3.5. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Funding)

दीर्घकालिक सिंचाई निधि (फंड)

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से 77,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न चरणों में उगाहेगा।
- इन उगाहे गए पैसों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKYS) के तहत अगले चार वर्षों में 56 सूखा प्रभावित क्षेत्रों सहित प्राथमिकता के आधार पर करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

VISION IAS

- सरकार लगभग 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में तब्दील करेगी, जहां मुख्य फोकस सिंचाई क्षमता उपयोग में वृद्धि करने पर होगा।
- कुल परियोजनाओं में से 26 महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 14 और तेलंगाना में 11 पूरे होंगे।

इस निधि से होने वाले लाभ

- इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र (खेत) स्तर पर सिंचाई से संबंधित निवेश के अभिसरण तथा सिंचित कृषि भूमि के विस्तार पर पर होगा, और
- पानी की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और कृषि के इस पहलू को कवर करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने में इससे मदद मिलेगी।

खेल क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा (इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस) प्रदान किया गया है

- RBI सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत **वित्त मंत्रालय** ने यह फैसला किया है कि स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्पोर्ट्स से संबद्ध अवसंरचनाएं) को **अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची** (**Harmonized Master List of Infrastructure Subsectors**) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- इसमें खेल तथा खेल से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण/अनुसंधान हेतु अकादमियों के लिए खेल स्टेडियम और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान सम्मिलित हैं।

लाभ

- यह अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- यह पब्लिक गुड (सार्वजनिक उपयोग वाले अवसंरचना आदि) में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिसके कई सामाजिक-आर्थिक लाभ होंगे।
- यह स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश में वृद्धि लाएगा, जो अंततः अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। पुनः इससे स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी यह सहयोग होगा।
- इससे हमारा देश भविष्य में एक खेल महाशक्ति बन सकता है।

अवसंरचना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 31,300 करोड़ रुपये को जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- यह कदम वस्तुतः अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों के लिए पूरक का कार्य करेगा। पुनः यह कदम एक अधिक टिकाऊ विकास के लिए राजस्व –पूंजी व्यय के मिश्रण को भी इंगित करता है।

अवसंरचना क्षेत्र पर खर्च का महत्व

- अवसंरचना सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय वस्तुतः किसी देश में विकास की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मुख्य मापदंडों में से एक है।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात वस्तुतः इसके (विकास की स्थिरता) मापन का एक मानदण्ड है।
- उपयुक्त घोषणा इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है।

रेलवे भारत विकास कोष (रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फंड: RIDF)

- रेलवे, देश भर में लाभकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 30,000 करोड़ रुपये के एक कोष की स्थापना कर रहा है, जो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए अपनी तरह का पहला कोष है।
- विश्व बैंक, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन और बीमा कोष तथा अन्य संस्थागत निवेशकों से RIDF का भागीदार बनने की उम्मीद की जा रही है।
- हालांकि, RIDF केवल उन रेल परियोजनाओं में ही निवेश करेगी जिनसे रिटर्न की उच्च दर (14% से 16% के बीच) प्राप्त होने की उम्मीद है। यह गैर-लाभकारी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा।
- RIDF माल-गाड़ियों के आवाजाही के लिए नए रेल लाइनों या स्टेशनों के पुनर्विकास पर ही फोकस करेगा और यह गैर-लाभकारी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा।
- चूँकि माल-गाड़ियों के आवाजाही वाली रेल लाइनें यात्री लाइनों की तुलना में अधिक लाभकारी होती हैं, अतः RIFD माल-गाड़ियों वाले लइनों पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा।
- वर्तमान में, रेलवे कई नई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जो सामाजिक रूप से तो वांछनीय हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं।

VISION IAS

3.6. सुस्त सड़क परियोजनाएं

(Languishing Road Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:
- NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा 4,860 किमी लंबाई वाले कुल 46 परियोजनाओं की पहचान की गयी है, जिनकी कुल परियोजना लागत 51338 करोड़ रुपये है, जो सुस्त पड़े हैं।
- इन 46 में से 27 परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान कर दिया गया है, जबकि 19 परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का अभी समाधान किया जाना शेष है।

परियोजना में देरी के लिए उत्तरदायी कारक

- **रियायतग्राही के साथ समता का अभाव (Lack of equity with the concessionaire):** इससे परियोजना के पूर्ण होने की तारीख में देरी होती है। इसलिए बैंक स्वीकृत ऋण का भी संवितरण नहीं करते हैं।
- **फंड्स का दिक्परिवर्तन (डाइवर्जन ऑफ़ फंड्स):** कार्य की भौतिक प्रगति सामान्यतया वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं होती है। परिणामस्वरुप रियायतग्राही को फंड्स के डाइवर्जन में कठिनाई आती है।
- भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण/वन मंजूरी / उपयोगिता स्थानांतरण / ओवर ब्रिज सड़कों आदि के लिए आवश्यक **विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में कठिनाई।**
- **टोल/वार्षिकी (एन्युटी) पर NHAI के अधिकार को स्वीकार करने से बैंकों की मनाही:** BOT (टोल/एन्युटी) मोड वाले किसी सुस्त राजमार्ग परियोजना, जिनका कम-से-कम 50 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चूका है, के लिए NHAI टोल/एन्युटी प्राप्तियों पर सबसे पहले शुल्क वसूलने की शर्त पर उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, बैंकों ने NHAI के टोल/एन्युटी प्राप्तियों पर इस सर्वप्रथम शुल्क वसूलने की नीति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, फलतः इन सुस्त परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।
- **राजस्व संग्रह की लंबी अवधि:** सामान्यतया ऐसी परियोजनाओं से राजस्व वसूली में 20 से 30 वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन परियोजना ऋण की अवधि 10 से 15 वर्षों की ही होती है। अतः कई बार इसे टिकाऊ तरीका नहीं समझा जाता है।
- **निर्माण के दौरान ब्याज की उच्च लागत:** रियायतग्राही (concessionaire) या प्राधिकरणों अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली देरी के चलते निर्माण की लागत में वृद्धि आ जाती है, जिससे कर्ज की लागत में वृद्धि होती है और अंततः इससे उक्त परियोजना अलाभकारी बन जाता है।
- अवरुद्ध परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।
- डेवलपर्स के अति ऋण वाले बैलेंस शीट।
- वित्तीय संस्थाओं की मौजूदा सड़क अवसंरचना ऋण पोर्टफोलियो पर दबाव।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनसुलझे मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- हाईब्रिड एन्युटी मॉडल का आरंभ।
- बोली प्रक्रिया के दौरान तय मानकों के संबंध में अब उक्त परियोजना के प्रीमियम का पुनर्निर्धारित किया सकता है।
- सामंजस्यपूर्ण ढंग से वित्तीय रूप से दबावग्रस्त परियोजना के संदर्भ में किसी रियायतग्राही को दूसरे विकल्पों को अपनाने की अनुमति देने के संबंध में सरकार की नीति।
- वन विभाग की मंजूरी से पर्यावरण मंजूरी का अलग किया जाना।
- कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के 2 वर्षों के उपरांत 100% डाईवेस्टमेंट (विनिवेश अर्थात् निवेश को बेचने की प्रक्रिया) की अनुमति दिए जाने के संबंध में अपनाई गई नीति। यह बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए लागू है।
- सरकार सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रही है कि वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और चर्चा के उपरांत आगे की राह के तौर पर एक व्यावहारिक रास्ता निकालने पर ध्यान दे रही है।

VISION IAS

3.7. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स)

(Economic Freedom Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित 2016 के रिपोर्ट में 159 देशों की सूची में भारत को 112वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 स्थानों के नुकसान को भी प्रदर्शित करता है।

यह क्या है?

- 'जब उपयुक्त पद्धति से हासिल किए गए लोगों की आर्थिक संपत्ति की रक्षा की जाए और लोग उसका उपयोग करने अथवा विनिमय करने या दूसरों के क़ानूनी अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपनी संपत्ति को दूसरे को सौंपने या देने के लिए के लिए स्वतंत्र हों' तो इसे व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के एक **क्लासिकल (आदर्श) परिभाषा** के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, आर्थिक स्वतंत्रता अग्रलिखित व्यापक आयामों पर निर्भर करता है: निजी-स्वामित्व वाली संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश क्षमता और कानून का शासन।
- इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मूल रूप से इसी स्वतंत्रता को मापने की कोशिश करता है और उसी के अनुसार विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करता है।
- ऐसे सूचकांक आमतौर पर आर्थिक थिंक टैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान सूचकांक वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से अमेरिका अवस्थित हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की गयी है।
- यह सूचकांक प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर आर्थिक समृद्धि का एक मापक है।

सूचकांक का महत्व

- पाँच व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत, भारत की रैंकिंग, **सरकार के आकार** (साइज़ ऑफ़ दि गवर्नमेंट) के संदर्भ में सबसे अच्छा रहा (8), जबकि **विनियमन** (132) और **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता** (144) के संदर्भ में इसका खराब प्रदर्शन रहा।
- वैश्विक आर्थिक सुस्ती और ढांचागत परियोजनाओं में भारत की अपनी लेटलतीफी की वजह से निर्यात के संदर्भ में इसका खराब प्रदर्शन रहा।
- इसी प्रकार, बहुत सारे विनियमों को आर्थिक विकास की संभावनाओं में बाधा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अब तक उन सभी कानूनों और विनियमों की अच्छी तरह से पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है जो वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं हैं।
- GST, दिवालियापन संहिता (बैंकरप्सी कोड), श्रम कानूनों में सुधार आदि जैसे कानूनों के कारण विनियम के स्तर पर उक्त सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार होगी।

3.8. सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं (माइक्रोफाइनेंस इंस्टिट्यूटंस: MFIs) के विकास में शहरी-ग्रामीण असमानता

(Urban-Rural Disparity in Growth of Microfinance Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- MFIs की स्व-नियामक संस्था Sa-Dhan की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में MFIs का विकास तीव्र रहा है।
- शहरी क्षेत्रों में 27% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में वार्षिक वृद्धि सिर्फ 14% दर्ज की गयी है।
- शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों का पहले से ही MFIs के ऋण पोर्टफोलियो में 72% की भागीदारी है। जबकि पिछले एक वर्ष में ग्रामीण अनुपात 30% से लुढ़ककर 28% पर पहुँच चुका है।
- यदि हम पुराने पीढ़ी के दो MFIs - बंधन और SKS – को छोड़ दें, तो शीर्ष चार MFIs के पोर्टफोलियो का लगभग 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों पर हीं केंद्रित है।

- MFIs की परिकल्पना वस्तुतः निम्न आय वाले समूहों, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है।
- शहरी क्षेत्रों की ओर MFIs का अधिक झुकाव वस्तुतः इनकी संकल्पना में निहित उद्देश्यों से भटकने की ओर इशारा करते हैं।
- MFIs समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं SC/STs के सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर अपनी भूमिका को प्रमाणित कर चुके हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधिक आवश्यकता है।

उक्त प्रवृत्ति के कारण

- चुकि MFIs बैंकों से लिए गए ऋणों की लागत पर 10% से अधिक चार्ज नहीं कर सकते, अतः वे अपने संचालन लागत में कटौती करने का हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं। दूर-दराज के छोटे गांवों की तुलना में शहरों की मलिन बस्तियां वस्तुतः ऑफिस-स्पेस, मानव संसाधन आदि के मामले में लागत प्रभावी बाजारों के रूप में इन MFIs के बीच लोकप्रिय हो रही हैं।
- इसके आलावा, ग्रामीण ऋण की मांग में कृषि ऋण का हिस्सा सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की विभिन्न 'कृषि' योजनाओं के तहत कृषि ऋण को बेहतर तरीके कम ब्याज दर पर सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है।
- यह उस बड़ी प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं कि भारत में बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मांग कम मूल्य के हैं।
- शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन की दर तीव्र है और इन प्रवासियों में अधिकतर माइक्रोफाइनेंस ग्राहक रहे हैं।
- शहर केंद्रित कुछ MFIs के लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि।

3.9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण

(Aadhar Based Biometric Authentication in PDS)

मुद्दा

- ज्यां द्रेज के नेतृत्व में 9 PDS राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश - में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि यह प्रणाली "गरीबी रेखा से नीचे (BPL)" वाले परिवारों के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। वे PDS के माध्यम से अपने लिए निर्धारित औसतन खाद्यान्न का 84 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं।
- हालांकि, "APL" (गरीबी रेखा से ऊपर) कोटे,में अत्यधित लीकेज जारी है, जहां केन्द्र सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त खाद्य भंडारों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में इसके इस्तेमाल किये जाने की प्रवृत्ति दर्ज की गयी है।
- PDS दुकानों पर पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) मशीनों की स्थापना एवं इन्टरनेट पर आधार डेटाबेस के साथ फिंगरप्रिंट्स के मिलान द्वारा कार्ड धारकों की पहचान व सत्यापन संबधी कार्यों ने झारखंड एवं राजस्थान जैसे राज्यों में अकुशलताओं को जन्म दिया है।
- इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए PoS मशीन, बॉयोमीट्रिक्स, इंटरनेट कनेक्शन, दूरस्थ सर्वर, और अन्य घटकों जैसे- स्थानीय मोबाइल नेटवर्क जैसी अनेक अस्थायी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, इसके लिए कम-से-कम घर के कुछ सदस्यों के पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है , जिनका PDS डेटाबेस में सही ढंग से पंजीयन हो।
- केंद्र सरकार अभी भी PDS में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के अनिवार्यता पर जोर दे रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने PDS उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ़ आदेश दिया है।
- वर्त्तमान में मुख्य समस्या पहचान संबधी धोखाधड़ी (उदाहरण के लिए फर्जी कार्ड) न होकर, लोगों को उनके लिए निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान का आवंटन करना है।
- इसके अलावा, PoS मशीनें उपर्युक्त धोखाधड़ी को रोकने में अप्रभावी रही हैं। वे पहचान से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने में मदद कर सकती हैं, जोकि वास्तव में होता है। किन्तु तकनीकी असफलता की स्थिति में लोगों को उनके लिए निर्धारित खाद्यानों के वंचन की स्थिति को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता ।

PDS प्रणाली का विश्लेषण

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पिछले 10 वर्षों के दौरान तेजी से सुधार हुआ है।
- प्रारंभ में यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत तथा कुछ राज्यों में 80 प्रतिशत तक लीकेज के साथ अप्रभावी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी।
- 2007 के आसपास छत्तीसगढ़ ने PDS में सुधार के प्रयास किए, फलतः इसे और अधिक समावेशी, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिली। अगले कुछ वर्षों में इस प्रणाली में कई सुधार किए गए।
- यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में अधिकाँश ग्रामीण परिवारों के पास एक राशन कार्ड है, और वे हर महीने समय पर अपने लिए निर्धारित खाद्यानों (आम तौर पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 7 किग्रा चावल) को पाने में सक्षम हैं।

- कई अन्य राज्यों ने भी छत्तीसगढ़ में अपनाये गए PDS से संबंधित सुधारों (यथा- व्यापक कवरेज, स्पष्ट पात्रता (clear entitlements), PDS दुकानों के निजीकरण को कम करना, कम्प्यूटरीकरण, निर्धारित वितरण कार्यक्रम, सख्त निगरानी, परिवहन एजेंसियों का वितरण एजेंसियों से वियोजन) को अपनाया है।

आगे की राह

विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए एक इंड-टू-इंड (आद्योपांत) प्रौद्योगिकीय समाधान की आवश्यकता है जोकि विसंगतियों का पता लगा सके और लीकेज को रोकने में सक्षम हो।

3.10. दाल संकट

(Pulses Crises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत पिछले कुछ वर्षों से दालों के संकट से जूझ रहा है। पिछले दो वर्षों में कमजोर मानसून के चलते दालों का उत्पादन काफी कम रहा, जिसके कारण मांग एवं आयत में वृद्धि हुई तथा मूल्य में भी वृद्धि दर्ज की गयी।
- हाल के महीनों में इस कमी का स्थान अधिशेष ने ले लिया है, फलस्वरूप कीमतों में गिरावट दर्ज की गयी। इस प्रकार कभी उपभोक्ताओं तथा कभी किसानों को प्रभावित करने वाले इस उतार-चढ़ाव (दाल की कीमतों में) ने सार्वजनिक नीति निर्धारण करने वालों के समक्ष दुविधाएं पैदा की हैं।
- इस वर्ष के आरम्भ में, इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के अधीन एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने सितम्बर माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महत्वपूर्ण सिफारिशें

- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर
- उपभोग की दृष्टि से, दालें अत्यंत शीघ्र औसत भारतीय उपभोक्ता की आहार आदतों का महत्वपूर्ण भाग बनने जा रही हैं। मानक रूप से, यह वांछनीय है क्योंकि औसत भारतीय प्रोटीन एवं दालों का अल्प उपभोग करता है जो कि प्रोटीन के सस्ते स्रोत हैं।
- मांग-आपूर्ति असंगति आयात द्वारा ठीक नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत पहले ही दुनिया में दालों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
- विदेशी आपूर्ति घरेलू उत्पादन से सहसम्बद्ध होती है और इस प्रकार दालों में खाद्य सुरक्षा केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ा कर प्राप्त की जा सकती है।
- अनाज के विपरीत, दलहन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जा रहा है। दाल उत्पादक किसानों की आय बढाने वाले उच्च समर्थन मूल्य नए निर्वाचक संघ के सृजन में मदद कर सकते हैं जो दालों का समर्थन करने वाली नीतियों के निर्माण हेतु लॉबिंग कर सकें।

दालों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता

- दालों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) न केवल किसानों को और अधिक दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों की सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है।
- केवल लाभकारी MSP किसानो को दालों के उत्पादन की ओर उन्मुख करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें समर्थन मूल्य/खरीद परिचालनों का भी सहारा मिलना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाज़ार मूल्य औंधे मुह न गिरे जिससे अगले मौसम में किसान दाल उगाना ही बंद कर दें। इस प्रकार, MSP को बाजार मूल्य के एक आधार के रूप में कार्य करना चाहिए ।

अन्य सिफारिशें

- खरीद की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- दालों में उपज बढ़ाने की जरूरत है। दालों में भारतीय उत्पादकता म्यांमार जैसे अन्य दाल उत्पादक देशों के उत्पादन का लगभग आधा है। GM प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दालों की देश में ही विकसित नई किस्मों को शीघ्र मंजूरी दें।
- राज्यों को अपनी APMCs से दालों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कृषि जिंसों के वायदा कारोबार की समीक्षा की जाए ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
- दालों की खरीद ,भंडारण एवं उन्हें बेचने वाले मौजूदा संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें पूरित करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) की तर्ज़ पर एक नयी संस्था बनायी जानी चाहिए

VISION IAS

चिंताएं

- दालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली फसलों के उत्पादन पर सामान्य संतुलन प्रभाव। यह तीन तरीकों से न्यून किया जा सकता है:

✓ सर्वप्रथम, मध्यम अवधि में दालों के उत्पादन को पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धान उत्पादन में सीमित कमी सामाजिक रूप से वांछनीय है। इस क्षेत्र में धान के भण्डार उच्च रहे हैं और इस क्षेत्र में धान की खेती की कई नकारात्मक बाह्यताएं (externalities) भी देखी गयी है।

✓ दूसरा, दलहन उत्पादन को पूर्वी भारत के अंचलों में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

✓ तीसरा, दालों तथा कपास जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों की उत्पादकता और उपज में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर प्रतिकूल परिणामों को भी कम किया जा सकता है।

उच्च मुद्रास्फीति: पैनल मुद्रास्फीति प्रभाव को खारिज करता है क्योंकि अनाजों के विपरीत दाल हेतु MSP को मूल्य समर्थन के तौर पर प्रदान किया जाता है, ऐसे में खरीद केवल प्रतिकूल दशाओं में की जाएगी।

3.10.1. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि

(Government Raises Buffer Stock of Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दालों की बफर स्टॉक सीमा को दोगुने से अधिक बढ़ा कर उसे 8 लाख टन से 20 लाख टन करने के फैसले को फैसले को मंजूरी दे दी।

महत्व

- दालों की खुदरा कीमतों में उछाल के मामले में सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच बार-बार आने वाले अंतर की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी ।
- बफर स्टॉक में वृद्धि कर इसे घरेलू खपत के कम-से-कम 10% तक लाने में मदद मिलेगी ।
- दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू किसान प्रोत्साहित होंगे।
- यह कदम जमाखोरों को भंडारण करने से रोकेगा और दालों के मूल्यों में कृत्रिम उछाल से राहत मिलेगी।

साधन

- 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' योजना के माध्यम से वित्तीयन।
- केंद्रीय एजेंसियों (FCI, NAFED और SFAC) या राज्य सरकारों द्वारा खरीद।
- बाजार मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में जो भी उच्च है उसके आधार पर खरीद।
- 20 लाख टन के बफर स्टाक में 10 लाख टन की घरेलू खरीद शामिल होगी और शेष भाग विभिन्न सरकारों के मध्य होने वाले अनुबंधों तथा वैश्विक बाज़ार से तात्कालिक खरीद द्वारा पूरा किया जाएगा।

3.11. सक्षम परियोजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडलीय समिति ने अप्रत्यक्ष कर विभाग (CBEC) के लिए 2,256 करोड़ रुपये की बैक-इंड सूचना प्रौद्योगिकी (IT) परियोजना को मंजूरी दे दी।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- यह 2013 में स्थापित एक 'गैर-लाभकारी', गैर सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
- भारत सरकार की GSTN में 24.5% हिस्सेदारी है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी सहित भारत के सभी राज्यों और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (EC) संयुक्त रूप से अन्य 24.5% इक्विटी धारण करते हैं।
- शेष 51% इक्विटी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारण की गयी है।
- इस कम्पनी का गठन प्राथमिक तौर पर GST के क्रियान्वयन हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को आईटी अवसंरचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

GST के लागू होने के बाद, GSTN के राजस्व मॉडल में प्रयोक्ता शुल्क शामिल किया जाएगा, जिसका भुगतान इस प्रणाली का उपयोग करने वाले हितधारक करेंगे और इस प्रकार GSTN वित्तीय रूप से एक आत्म निर्भर संगठन होगा।

महत्व

- CBEC के IT अवसंरचना को लेखा-परीक्षा, अपील और जांच जैसे प्रारंभिक-चरण के कार्यों के साथ ही पंजीकरण, भुगतान और CBEC को भेजे गए रिटर्न डेटा की प्रोसेसिंग के लिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- इस IT अवसंरचना की निम्न कारणों से भी तत्काल आवश्यकता है:
- सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में CBEC की ई-सेवाओं की निरंतरता के लिए।
- स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जैसे सुविधा की तरह ही अन्य करदाता सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए।
- भारतीय कस्टम की SWIFT पहल के विस्तार के लिए और
- ई-निवेश, ई-ताल और ई-हस्ताक्षर जैसी सरकार की पहलों के साथ एकीकरण के लिए।

मुख्य तथ्य

- यह नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (सिस्टम एकीकरण) परियोजना 'सक्षम' 1 अप्रैल, 2017 से वस्तु और सेवा (GST) कर के सुगम क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।
- इसे विप्रो की मदद से विकसित किया जाएगा जबकि GSTN को इन्फोसिस द्वारा विकसित किया गया है।
- परियोजना 'सक्षम' CBEC की बैक-इंड IT अवसंरचना है। एक निजी निकाय, जीएसटी नेटवर्क (GSTN), इंफोसिस की मदद से फ्रंट-इंड अवसंरचना विकसित कर रहा है।

3.12. प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों का विनियमन

(Regulation of Direct Selling Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने पोंज़ी स्कीमों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए प्रत्यक्ष विक्रय (direct selling) और बहु स्तरीय विपणन (multi-level marketing) के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को मॉडल दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रत्यक्ष विक्रय: प्रत्यक्ष विक्रय नेटवर्क के एक भाग के तौर पर सेवाओं की अदायगी या वस्तुओं का विपणन ,वितरण एवं विक्रय।

पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम: यह एक अधारणीय व्यवसाय को शामिल करता है जिसमें लोगों को उनके द्वारा एक ऐसे व्यवसाय में अन्य लोगों को शामिल करने या उनका नामांकन करने के लिए पुरस्कार स्वरुप धन या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमे किसी मूल्यहीन उत्पाद या किसी ऐसी वस्तु की पेशकश की जाती है जिसका अस्तित्व ही न हो।

पोंजी स्कीम: यह एक फर्जी निवेश घोटाला है जिसमे निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च दर के लाभ का वायदा किया जाता है।

पिरामिड योजनाएं पुरस्कार चिट और धन संचरण योजना (प्रतिबन्ध) अधिनियम ,1978 {**Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978**} के अधीन प्रतिबंधित हैं।

नियमन की आवश्यकता

- कई धोखाधड़ी योजनाएं विशेष रूप से पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम के रूप में प्रचलित रही हैं। उनकी प्रक्रियाएं इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समान हैं और यह न केवल भोले-भाले ग्राहकों के लिए एक समस्या पैदा करती हैं, बल्कि प्रमाणिक प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों के लिए भी माहौल को ख़राब करती हैं।
- पुरस्कार चिट और धन संचरण योजना (प्रतिबन्ध) अधिनियम,1978 के तहत धन के अनैतिक संचलन के लिए दो वर्ष पूर्व देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे के सीईओ तथा एमडी विलियम पिंकनी की गिरफ्तारी से यह विषय सुर्ख़ियों में आया।
- इसके अलावा, प्रत्यक्ष विक्रय की विशेष प्रकृति के कारण एजेंटों और ग्राहकों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना आवश्यक है।

मॉडल दिशा-निर्देश: प्रमुख बिंदु

धोखाधड़ी से संरक्षण:

- यह फ्रेमवर्क वैध प्रत्यक्ष विक्रय को परिभाषित करता है और उसे पिरामिड तथा मनी सर्कुलेशन स्कीम से अलग करता है ताकि धोखाधड़ी करने वाले कर्ताओं की पहचान में जांच एजेंसियों की मदद की जा सके।
- ये दिशा-निर्देश एक प्रत्यक्ष विक्रय व्यवसाय की स्थापना के लिए शर्तों को सूचीबद्ध करते हैं जिसमें ऐसी फर्मों का पंजीकृत कानूनी इकाई होने की शर्त शामिल है।

एजेंटों के हित :

- इन संस्थाओं को सीधे विक्रेताओं या एजेंटों के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करना होगा, तथा उन्हें बेचीं गयी वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूर्ण रिफंड या बाई बैक गारंटी की सुविधा प्रदान करनी होगी।
- ये दिशा-निर्देश कंपनियों द्वारा एजेंट से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा नहीं बिके हुए शेयरों को खरीदने के लिए एजेंटों को बाध्य करने की व्यवस्था पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।
- ये दिशा-निर्देश एक पारिश्रमिक प्रणाली को स्थापित करते हैं।

उपभोक्ता हित

यह शिकायत निवारण समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष

इन दिशा-निर्देशों का सभी हितधारकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों में धोखाधड़ी करने वाले लोगों का सफाया करने, गंभीर कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा एजेंटों व उद्यमियों के साथ ग्राहकों की रक्षा करने की, क्षमता है।

3.13. चालू खाता अधिशेष की स्थिति

(Current Account Moves into Surplus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 9 वर्षो के अंतराल के बाद भारत का चालू खाता चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अधिशेष की स्थिति में आ गया।

चिंताएं

- चालू खाता अधिशेष से यह अपेक्षित है कि वह रुपए को संभालेगा जो भारत के पहले से ही मंद निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में और कमी ला सकता है।
- आयात में मंद वृद्धि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेत है क्योंकि यह कमज़ोर निवेश मांग को दर्शाती है जिसका कारण यह है कि भारतीय फर्मों को विदेशों से पूंजीगत वस्तुएँ और यन्त्र खरीदने की आवश्यकता पड़ती है।

विश्लेषण

- भारत के चालू खाता घाटा (CAD) में सोने और कच्चे तेल के आयात का प्रमुख योगदान रहा है।
- लम्बी अवधी तक रहने वाले CAD के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तथा महंगाई की दर उच्च रही, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित हुआ।
- हाल के समय में सोने के आयात में हुई गिरावट और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई कमी ने इस घाटे को कम कर दिया है।
- एक चालू खाता अधिशेष का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का निर्यात,आयात की तुलना में अत्यधिक है।
- चालू खाता अधिशेष की स्थिति में क्या होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट सिद्धांत या नियम नहीं हैं। यह चालू खाते के आकार और चालू खाते के अधिशेष के कारणों पर निर्भर करता है।
- भारत के सन्दर्भ में, आयात में मंद वृद्धि (जो निवेश की भावना में व्याप्त निरंतर कमजोरी को दर्शाती है) इसके पीछे प्रमुख कारण है।
- पिछली बार वर्ष 2007 में जनवरी-मार्च तिमाही में चालू खाता अधिशेष की स्थिति थी।

VISION IAS

4. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL ISSUES)

4.1. भारतीय संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग

(Global Ranking of Indian Institute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- छह शीर्ष IITs के साथ ही बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की रैंकिंग नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016-17 में गिर गई है, जिससे प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में भी गिरावट आई है।
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, Quacquarelli Symonds (QS) द्वारा विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का वार्षिक प्रकाशन है। पहले इसे द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के रूप में जाना जाता था।

समाधान/आवश्यकता

- एक नई शैक्षिक अवसंरचना के विकास की ज़रूरत है जिसमें न सिर्फ ज्ञान प्रदान (नॉलेज डिलीवरी) करने की आवश्यकता है, बल्कि नए शिक्षण तंत्र और विचारों का संचार करने की आवश्यकता है, साथ ही नई सोच को प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ी में नवाचार की भावना का संचार करने की आवश्यकता है।
- विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थानों को बनाने के लिए एक वैश्विक संस्कृति अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से शिक्षा शास्त्र में विचारों को अपनाने और शिक्षा के टॉप-डाउन मोड से सीखने की एक मौलिक संस्कृति (organic culture) की ओर ले जाने की आवश्यकता है।
- ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकता है जो न केवल कुशल मानव संसाधन उत्पन्न करे, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा भी दें, देश के बौद्धिक और उद्यमशील नेतृत्व को ऊर्जा प्रदान कर सकें और जनता के बीच वैज्ञानिक सोच पैदा करने में सक्षम हों।
- उन संस्थाओं की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन सकें और विदेशी मुद्रा अर्जन और देश की सॉफ्ट पावर के प्रसार के जुड़वां उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकें।

रैंकिंग में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक

- पीएचडी अर्हताप्राप्त शोधकर्ताओं की भारत में अपेक्षाकृत कम संख्या है, जो अनुसंधान उत्पादकता और भारत के विश्वविद्यालयों की प्रभावशीलता पर असर डालता है।
- भारत के नौ विश्वविद्यालयों में शिक्षक/छात्र अनुपात भी कम है।
- संस्थानों में नवीन विचारों और नवाचारों की कमी।
- विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों का अभाव।
- पुराने पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि में कम प्रायोगिक कार्य।

4.2. उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA)

(Higher Education Finance Agency [HEFA])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना के निर्माण में विस्तार के लिए उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी: HEFA) के गठन की मंजूरी दे दी है।
- कैबिनेट ने पहले 2,000 करोड़ रुपये की इक्विटी हिस्सेदारी को मंजूरी दी थी जिसमे 1,000 करोड़ सरकार की ओर से दिया जा रहा था। बाद में इसके बजाय HEFA में अब सरकार की 1,050- 1,100 करोड़ रूपये की इक्विटी हिस्सेदारी होगी जिसका उपयोग बाजार से धन जुटाने के लिए किया जाएगा ताकि शैक्षिक संस्थानों को ऋण दिया जा सके।
- HEFA में संभावित इक्विटी पार्टनर्स इसमें 1,000 करोड़ के निवेश के लिए कठिनाई से तैयार हुए हैं, चूंकि इसके एक कम लाभ का व्यापार होने का अंदेशा है, जिससे सरकार इससे अपनी उम्मीदें कम रखने के लिए बाध्य हुई है।

HEFA के बारे में

- इसे कुछ चिन्हित प्रमोटरों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसे एक PSU बैंक/सरकार के स्वामित्व वाली NBFC (प्रमोटर) के अंतर्गत एक SPV के रूप में गठित किया जाएगा। यह इक्विटी द्वारा 20,000 करोड़ रुपये का कोष जुटाएगा जिससे IIT/ IIM/ NIT और इस तरह के अन्य संस्थानों में विश्व स्तरीय लैब्स के विकास संबंधी परियोजनाओं और अवसंरचना विकास का वित्तपोषण होगा।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी सीएसआर के रूप में धन जुटाएगा, जिसका प्रयोग अनुदान के आधार पर इन संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाएगा।
- यह 10 वर्ष की अवधि के ऋण के माध्यम से सिविल और प्रयोगशाला अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा।
- ऋण का मूलधन संस्थानों के 'आंतरिक स्रोतों' (शुल्क प्राप्तियों के माध्यम से अर्जित किया गया धन, अनुसंधान उपार्जन आदि) के माध्यम से चुकाया जाएगा। सरकार नियमित योजनागत सहायता के माध्यम से ब्याज वाला भाग अदा करेगी।
- सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए, संस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए HEFA में अपने आंतरिक स्रोतों से एक विशिष्ट राशि को जमा (escrow) करने के लिए सहमत होना होगा। बाजार से धन जुटाने के लिए HEFA इसका प्रतिभूतिकरण करेगा।
- सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षिक संस्थान HEFA के सदस्य के रूप में शामिल होने के पात्र होंगे।

महत्व

- HEFA भारत में बाजार से संबद्ध शिक्षा वित्तपोषण संरचना से जुड़ने और उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण के पारंपरिक अनुदान आधारित प्रणाली से प्रस्थान की शुरुआत का प्रतीक है।
- ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह एजेंसी सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करेगी। वर्तमान में ऐसे संस्थानों को एकमात्र आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है।
- HEFA द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जवाबदेही का भाव पैदा होगा। चूंकि संस्थानों को वापस भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए एक बाजार शक्ति पर आधारित शुल्क संरचना की आवश्यकता होगी। लेकिन अधिक फीस चार्ज करने के लिए, उन्हें बेहतर सुविधा, बेहतर अवसंरचना प्रदान करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। इस चक्र से जवाबदेही पैदा होगी।
- यह अनुसंधान उन्मुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अत्यावश्यक धन उपलब्ध कराएगा।

चिंताएँ

चूंकि संस्थान ऋण लेंगे और उसे वापस चुकाएंगे, अतः उनका राजस्व अधिशेष होना आवश्यक है, जिसके परिणाम के रूप में शुल्क वृद्धि पहली संभावना है। यह गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए हानिकारक होगा।

4.3. राष्ट्रीय मेडिकल आयोग मसौदा विधेयक, 2016

(The Draft National Medical Commission Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मार्च 2016 में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के कामकाज की कटु आलोचना की गई जिसके बाद नीति आयोग को MCI में सुधार के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक विभिन्न निकायों के लिए निर्वाचित सदस्यों के प्रावधान को समाप्त करता है।
- चिकित्सा सलाहकार परिषद: परिषद एक प्राथमिक मंच के रूप में काम करेगा जिसके माध्यम से राज्य, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) के समक्ष अपने विचारों और चिंताओं को रख सकेंगे।

राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी)

- आयोग स्वास्थ्य देखभाल के बदलते परिदृश्य का आकलन करेगा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए मानव संसाधन का आकलन करेगा और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप का विकास करेगा।
- यह चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन के लिए अपेक्षित नीतियाँ बनाएगा।
- यह बोर्डों की स्वायत्तता को समुचित सम्मान देते हुए उनके बीच व्यापक नीति समन्वयन को सुसाध्य बनाएगा।
- आयोग UGMEB, PGMEB और MARB के निर्णयों के संबंध में अपने अपीलीय प्राधिकारों का प्रयोग करेगा।

- **स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड** (UGMEB): UGMEB स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करेगा और मानक निर्धारित करेगा तथा इस संबंध में आदेश जारी करेगा।
- **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड** (PGMEB): PGMEB स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करेगा और मानक निर्धारित करने एवं इस संबंध में आदेश जारी करेगा।

चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड (MARB)

- यह बोर्ड UGMEB या PGMEB द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल शिक्षण संस्थानों की रेटिंग और उनके आकलन की प्रक्रिया का निर्धारण करेगा।
- उन संस्थाओं पर मौद्रिक और अन्य ऐसे दंड लगाएगा जो न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में असफल सिद्ध होते हैं।

चिकित्सा पंजीकरण के लिए बोर्ड (BMR)

- BMR सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों के लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर का संधारण करेगा।
- BMR पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करेगा और चिकित्सकों के लिए आचार संहिता बनाएगा।
- विधेयक स्नातक स्तरीय मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के अंतर्गत आयोजित किये जाने वाले "पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)" का प्रावधान करता है।
- विधेयक आयोग और बोर्डों के सदस्यों और अध्यक्ष, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक के भुगतान के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग कोष बनाने का प्रावधान करता है।

विधेयक का फोकस:

विधेयक का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बनाने का है जो :

- स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर उच्च गुणवत्ता सम्पन्न चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे।
- चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान शामिल करने के लिए और इस तरह के अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करे।
- विधेयक चिकित्सा संस्थानों के वस्तुनिष्ठ आवधिक मूल्यांकन का प्रावधान करता है।
- विधेयक भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर के संधारण और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करने को सुसाध्य बनाता है।
- विधेयक में लचीलापन है ताकि इसे बदलते राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाया जा सके।

4.4. दवाओं तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट

(United Nations High Panel Report on Access to Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र ने ऊंची कीमतों के कारण दवाओं तक पहुंच न होने पर चिंता जताते हुए दवाओं के उपयोग पर अपने उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट में सरकारों से आग्रह किया गया है कि
- "तत्काल" स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचार में निवेश के अपने वर्तमान स्तर में वृद्धि लायें।
- अनुसंधान एवं विकास लागत से दवाओं की कीमतों को डी-लिंक (असंबद्ध) करें।
- इबोला और ज़िका जैसे संक्रामक रोगों के बढ़ते मामलों, जिनकी उपचार संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, के मद्देनज़र उन पर अनुसंधान को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जाए।
- पैनल ने दवा की कीमतों को उपभोक्ताओं और सरकारों दोनों के लिए पारदर्शी बनाने की सिफारिश की है।
- रिपोर्ट मानव अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर वरीयता दिए जाने की सिफारिश करती है ताकि सभी देश सस्ती दवाओं का उपयोग करने के TRIPS के तहत दिए गए लचीलेपन का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।
- रिपोर्ट में TRIPS के इस लचीले प्रावधान के तहत दवा पेटेंट के उल्लंघन के लिए कमजोर देशों को धमकी देने के लिए शक्तिशाली देशों की आलोचना की गई है।

4.5. नया स्वास्थ्य सूचकांक

(New Health Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) के स्वास्थ्य लक्ष्यों पर विभिन्न देशों के प्रदर्शन का आकलन करने वाले पहले वैश्विक विश्लेषण को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष समारोह में जारी किया किया गया और इसका ऑनलाइन प्रकाशन 'The Lancet' में हुआ।
- स्कोर द्वारा उन देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब हैं।

रैंकिंग कैसे की गई थी?

- यह अध्ययन "ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (GBD)" पर एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा किया गया था। इसमें एक समग्र SDG सूचकांक स्कोर के निर्माण द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश की प्रगति का विश्लेषण किया गया था।
- GBD (अर्थात रोगों के वैश्विक बोझ) तथा चोटों और जोखिम कारकों के 1990 और 2015 के बीच किये गए अध्ययन के डेटा का उपयोग करके, स्वास्थ्य से संबंधित 47 संकेतकों में से 33 की वर्तमान स्थिति का अनुमान किया गया।
- तुलना को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित SDG सूचकांक 0-100 की रेटिंग पर तैयार किया गया जिस पर इन 33 स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर 1990 और 2015 के बीच 188 देशों की प्रगति को मापी गई।

भारत का प्रदर्शन

- 42/100 के स्कोर के साथ 188 देशों की सूची में भारत को 143वां स्थान दिया गया है। भारत पाकिस्तान से छह स्थान आगे किन्तु श्रीलंका (79), चीन (92) जैसे देशों से काफी पीछे भी है, यहाँ तक कि युद्धग्रस्त सीरिया (117) और इराक (128) से भी काफी पीछे है।
- कुछ स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर भारत का स्कोर इस प्रकार है:
- **मलेरिया:** इस पर भारत केवल 10 अंक दर्ज कर पाया।
- **पांच वर्ष के नीचे मृत्यु दर:** भारत का स्कोर 39 है।
- **सुरक्षित स्वच्छता कार्यपद्धतियों** पर, भारत का स्कोर 0-100 के पैमाने पर 8 है।
- भारत का सर्वोच्च स्कोर **'युद्ध' सूचक संकेतक** (93) पर है, जिसमें सामूहिक हिंसा और कानूनी हस्तक्षेप की वजह से प्रति 100,000 जनसँख्या पर आयु मानकीकृत मृत्यु दर का आकलन किया जाता है।

4.6. भारत बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित

(India Declared Free from Bird Flu)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने स्वयं को अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लूएंजा अथवा बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है।
- बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) इन्फ्लूएंजा वायरस के स्ट्रेंस के कारण होने वाली एक बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है।

कारण

- बर्ड फ्लू इन्फ्लूएंजा वायरस के स्ट्रेंस के कारण होता है, जिन्होंने एवियन कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलन विकसित कर लिया है। इन्फ्लूएंजा के तीन मुख्य प्रकार हैं: ए, बी, और सी।
- वह वायरस जो बर्ड फ्लू का कारण बनता है इन्फ्लूएंजा ए टाइप है जिसमे आठ आरएनए स्ट्रैंड हैं जो इसके जीनोम का निर्माण करते हैं।

VISION IAS

- इन्फ्लुएंजा वायरस को वायरस की सतह पर के दो प्रोटीनों का विश्लेषण करके आगे वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें प्रोटीन hemagglutinin (एच) और प्रोटीन neuraminidase (एन) कहा जाता है।
- hemagglutinin और neuraminidase प्रोटीन भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में पाए गए रोगजनक बर्ड फ्लू वायरस में टाइप 5 hemagglutinin और टाइप 1 neuraminidase था। इस प्रकार, इसका नामकरण "H5N1" इन्फ्लूएंजा ए वायरस किया गया।

4.7. मराकेश संधि लागू

(Marrakesh Treaty comes into Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्यों द्वारा 2013 में अपनाई गयी मराकेश संधि 29 सितंबर को 22 देशों द्वारा अंगीकृत करने के बाद लागू हो गयी ।

मराकेश संधि क्या है?

- मराकेश संधि या मराकेश वीआईपी संधि जिसे औपचारिक रूप से माराकेश संधि के रूप में जाना जाता है प्रिंट डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्तियों या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रकाशित साहित्य के उपयोग को सुसाध्य बनाता है।
- इसको "बुक्स फॉर ब्लाइंड" संधि भी कहा जाता है।

संधि की मुख्य विशेषताएं:

- यह संधि कॉपीराइट अपवाद की अनुमति देता है ताकि कॉपीराइट के अधीन आने वाली पुस्तकों और अन्य कार्यों का दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ संस्करण एवं प्रारूप का सृजन, निर्यात और आयात, साझाकरण, एवं अनुवाद किया जा सके।
- WHO के अनुसार यह उम्मीद है कि संधि द्वारा इस तरह की विकलांगता से पीड़ित 300 मिलियन लोगों द्वारा अनुभव किये जाने वाले "पुस्तकों के अकाल" को कम किया जा सकेगा।

संधि का कार्यान्वयन

- WIPO संयुक्त राष्ट्र संघ का जिनेवा में स्थित एक प्रभाग है, यह मराकेश संधि का प्रशासन करता है और निजी तथा सार्वजनिक भागीदारों के एक्सेसिबल बुक्स कंसोर्टियम (ABC) के गठबंधन का नेतृत्व करता है।
- ABC ने दुनिया भर के दृष्टिबाधित लोगों के लिए विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा सृजित पुस्तकों का एक नि:शुल्क केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस स्थापित किया है। यह एक पुस्तकालय-से-पुस्तकालय (library- to-library) सेवा है।

भारत और मराकेश संधि

- भारत जुलाई 2014 में पहला देश बना जिसने मराकेश संधि को अंगीकार कर अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
- WHO के अनुसार, भारत में 63 मिलियन दृष्टिबाधित लोग हैं, जिनमें से 8 लाख नेत्रहीन हैं।
- भारत ने एक बहु हितधारक दृष्टिकोण के साथ मराकेश संधि का कार्यान्वयन शुरू किया है, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों यथा सरकार के मंत्रालयों, स्थानीय चैंपियन जैसे भारत का DAISY फोरम, और निजी क्षेत्रक के बीच सहयोग शामिल है।
- मराकेश संधि के अनुगमन में, भारत ने सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) का शुभारंभ किया और सुगम्य पुस्तकालय, जिसमें 2000 पुस्तकें हैं, की स्थापना की।

(नोट: इसे **मराकेश समझौता** समझ कर भ्रमित नहीं होना चाहिए मराकेश समझौता वह है जिस पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हेतु विचार विमर्श के उरुग्वे दौर के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे।)

4.8. मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार के लिए 'मिशन परिवार विकास' की शुरूआत की है।
- इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के 145 उच्च फोकस जिलों में शुरू किया गया है।

लक्ष्य

उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों, जो अधिकार-आधारित ढांचे के भीतर आपूर्ति, विश्वसनीय सेवाओं और जानकारी पर आधारित हों, के प्रयोग में तेजी लाना।

जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

- **कम सामाजिक-आर्थिक विकास:** उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश जहाँ 56% की साक्षरता दर है, में प्रति युगल चार बच्चों का औसत है। इसके विपरीत, केरल में लगभग हर व्यक्ति साक्षर है, वहां प्रति युगल दो बच्चों का औसत है।
- **शिशु मृत्यु दर:** अनुभवजन्य सहसंबंध यह सुझाते हैं कि उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण समाज में बच्चों के लिए इच्छा और बढ़ जाती है। 1961 में शिशु मृत्यु दर (IMR) 115 था। वर्तमान अखिल भारतीय औसत 57 से कम है, हालांकि, ज्यादातर विकसित देशों में यह आंकड़ा 5 से भी कम है।
- **बाल विवाह:** देश भर में 20-24 की आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से लगभग 43% का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गया था।
- **गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल:** NFHS III (2005-06) के अनुसार, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में केवल 56% भारत में परिवार नियोजन की किसी विधि का प्रयोग करती हैं। उनमें से ज़्यादातर (37%) ने नसबंदी जैसे स्थायी तरीकों को अपनाया है।
- **अन्य सामाजिक-आर्थिक कारक:** बड़े परिवार की इच्छा, विशेष रूप से लड़का पैदा होने की चाहत के कारण भी जन्म दर उच्च है।
- यह अनुमान है कि लड़का पैदा होने की इच्छा और उच्च शिशु मृत्यु दर-इन्हीं दोनों कारकों के कारण देश में कुल 20% बच्चों का जन्म होता है।

इन जिलों को क्यों चुना गया?

इन 145 जिलों की कुल प्रजनन दर और 2025 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर के प्रजनन लक्ष्यों तक पहुंचने के तत्काल, विशेष और त्वरित प्रयासों के लिए सेवा प्रदान करने के आधार पर पहचान की गई है।

4.9. मातृ स्वास्थ्य

(Maternal Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मातृ स्वास्थ्य पर प्रकाशित नवीनतम लैंसेट श्रृंखला से पता चलता है कि दुनिया भर में अभी भी लगभग एक चौथाई बच्चे किसी कुशल जन्मसहायक परिचर (skilled birth attendant) की अनुपस्थिति में पैदा होते हैं।
- वर्ष 2015 में कुल मातृ मृत्यु में से एक तिहाई भारत और नाइजीरिया इन दो देशों में हुई है।

भारत में उच्च मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate: MMR) के कारण

- संस्थागत प्रसव: NFHS III के अनुसार 2005-06 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की दर क्रमश: 28.9% और 67.5% थी।
- महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल न मिलना: सर्वेक्षण के पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर तीन में से एक से अधिक महिलाओं (34%) की प्रसव पूर्व जांच नहीं हुई थी। केवल 7% महिलाओं की गर्भकाल की तीसरी तिमाही में प्रसव पूर्व जांच हुई।
- प्रसव के बाद देखभाल की अत्यधिक कमी है।
- किशोर गर्भावस्था और मृत्यु का खतरा:
- बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1978) के बावजूद, कुल महिलाओं में से 34 प्रतिशत का विवाह कानूनी न्यूनतम आयु (18 वर्ष) से नीचे कर दिया जाता है;
- 15-19 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कियों की प्रसव के कारण मृत्यु होने की संभावना, 20 वर्ष से ऊपर आयुवर्ग की महिलाओं की तुलना में दुगुनी होती है; जबकि 15 वर्ष की उम्र की लड़कियों में यह संभावना पांच गुनी होती है।
- महिला में गर्भावस्था देखभाल के महत्व और प्रसव/संस्थागत प्रसव के बारे में जागरूकता की कमी है (स्वास्थ्य शिक्षा में कमी)।
- परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं को नहीं दी जाती (लिंग पूर्वाग्रह)।
- स्वास्थ्य सेवाओं की अवस्थिति के बारे में जागरूकता का अभाव (स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी)।

- लागत: प्रत्यक्ष फीस के साथ ही परिवहन, दवाओं और आपूर्तियों की लागत (गरीबी)।
- स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं द्वारा ख़राब उपचार सहित सेवाओं की खराब गुणवत्ता भी कुछ महिलाओं को सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक बना देती है।

समाधान

- प्राथमिक स्तर पर एक बेहतर, जवाबदेह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वांछित स्तर तक मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- महिलाओं को नजदीक के स्थान पर प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस के लिए अस्पतालों को एक आपातकालीन परिवहन और अच्छी रेफरल प्रणाली के नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है।
- कुशल परिचर नर्सों या डॉक्टरों द्वारा प्रसव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों की ओर निर्देशित परिधीय / ग्राम स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4.10. घर के अन्दर शौचालय कवरेज: स्वच्छ भारत मिशन

(Household Toilet Coverage-Swachh Bharat Mission)

सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण विवरण

- प्रदर्शन का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए, स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कवरेज और ODF (खुले में शौच से मुक्त: Open Defecation Free) दोनों को संज्ञान में लेता है।
- यह सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- ODF को मल वाहित मौखिक संचरण की समाप्ति (the termination of faecal oral transmission) ' के रूप में परिभाषित किया जाता है, इस परिभाषा में पर्यावरण / गांव में कहीं भी मल का दिखाई न देना और हर घर के साथ ही सार्वजनिक / सामुदायिक संस्था द्वारा मल के निपटान के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग में होना शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष

- सिक्किम (100%) और हिमाचल प्रदेश (55.95%) में 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) गांवों का अधिकतम प्रतिशत है।
- देश भर में ODF घोषित किये गए जिलों की कुल संख्या 23 है।
- कर्नाटक में तीन शहर - तटीय मंगलुरु, उडुपी और मैसूर - 'खुले में शौच से मुक्त " घोषित किये गए हैं।
- मैसूर लगातार दो साल से "स्वच्छ शहरों" की सूची में सबसे ऊपर है।
- 476 शहरों के हाल के एक सर्वेक्षण में मंगलुरु को भारत में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था।

4.11. हिरासत में मृत्यु और जेलों में सुधार

(Custodial Deaths and Reforms in Jail)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्य के अधिकारियों द्वारा "मानव गरिमा के हनन" के एक साधन के रूप में यातना के प्रयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी थी।

समस्या की भयावहता

- 2014 में, प्रति दिन होने वाली मौतों की संख्या 5 तथा सप्ताह में 35 थी। इसी अवधि में, जेलों के अंदर होने वाली मृत्यु की दर में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इन मौतों में नब्बे प्रतिशत 'प्राकृतिक' और 'अन्य' के रूप में दर्ज किए गए, लेकिन हिरासत में 'प्राकृतिक' और 'अन्य' में क्या शामिल है, इस पर प्रश्न उठने चाहिए ।
- 1995 से 2014 के बीच, 999 आत्महत्याएँ भारतीय जेलों के अंदर रिकॉर्ड की गईं। अकेले तमिलनाडु में उनमें से 141 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।

समाधान

- जवाबदेही: इन संस्थानों में जो चल रहा है उसे विफल करने का एक ही रास्ता है-उन्हें जवाबदेह बनाना।
- निरीक्षण: उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल देश में सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया।
- निगरानी: जेल निरीक्षकों के लिए नियमित अंतराल पर जेलों का दौरा करना, कैदियों की शिकायतों को सुनना, समस्या के क्षेत्रों को पहचानना , और समाधान की तलाश करना अनिवार्य है। इन निरीक्षकों में मजिस्ट्रेट और जज, राज्य मानवाधिकार संस्थान और समाज से आने वाले गैर सरकारी निरीक्षक भी शामिल हैं।
- मनोवैज्ञानिक: कैदियों की कौन्सिलिंग महत्वपूर्ण है, ताकि वे हिरासत में रहने की पीड़ा का सामना कर पाएं।
- मामलों का पंजीयन और रिपोर्टिंग: हिरासत में हुई मौत के सभी मामलों की 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और इन घटनाओं को NHRC के समक्ष रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
- दिशानिर्देश: NHRC हिरासत में हुई मौतों को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बार बार दिशा-निर्देश जारी करता है। समय आ गया है कि राज्य सरकार इन दिशा-निर्देशों को गंभीरता से लेना शुरू करे।

4.12. अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक 2016 के नागरिक पहलू

(The Civil Aspects of International Child Abduction Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक, 2016, के नागरिक पहलुओं का मसौदा तैयार किया गया है जिसको यदि मंज़ूरी दे दी गई तो 16 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे, जिसका "गलत तरीके से स्थान बदला गया है या दूसरे राज्य में भेजा गया है, जिसका वह अभ्यस्त निवासी नहीं है", की शीघ्र वापसी सुनिश्चित होगी।
- विधेयक हेग कन्वेंशन के प्रावधान को लागू करने के लिए एक समर्थकारी विधान प्रदान करेगा।

विधेयक की विशेषताएं

- मसौदा विधेयक एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका प्राधिकारी केंद्र सरकार का एक अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।
- ऐसे बच्चे की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दिया जा सकेगा।
- केंद्रीय प्राधिकरण को इस प्रकार के सभी मामलों में फैसला करने की शक्ति होगी।
- केंद्रीय प्राधिकरण जब इस प्रकार के किसी भी मामले की जाँच करेगा तो उसके पास एक सिविल अदालत के समान शक्तियाँ होंगी।
- केंद्रीय प्राधिकरण उस उच्च न्यायालय (फर्स्ट स्ट्राइक प्रिन्सिपल) जिसके क्षेत्राधिकार में बच्चा शारीरिक रूप से मौजूद है या अंतिम बार देखा गया था, में उस बच्चे की वापसी निर्देशित करने वाले आदेशपत्र की प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
- केंद्रीय प्राधिकरण संबंधित राज्य के उपयुक्त अधिकारियों के साथ बच्चे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी का आदान-प्रदान कर सकता है।
- केंद्रीय प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आगे की राह

- विधेयक में अन्य देशों और उनके अनुभव की तर्ज पर आगे और सुधार किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप में, बच्चे का इंटर-पैरेंटल अपहरण एक गंभीर अपराध है, जहां आरोपी माता-पिता अपहरण के आरोप में जेल जा सकते हैं।
- विधेयक इस मुद्दे का सामना कर रहे बच्चों के लिए संकट को खत्म करने की दिशा में एक सही कदम है। इस पर विचार-विमर्श और बहस की जानी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इसे कानून के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

हेग कन्वेंशन के बारे में

हेग कन्वेंशन का लक्ष्य "बच्चों के गलत तरीके से किये गए अवस्थापन या गलत तरीके से उन्हें रखने के हानिकारक प्रभावों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की रक्षा करना और उनके अभ्यस्त निवास के राज्य में उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना, साथ ही उनके (गृह-राज्य तक) पहुँच के अधिकारों का संरक्षण सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की स्थापना करना है।"

94 देश अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के पक्षकार हैं। भारत ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कोई देश तब इसका हस्ताक्षरकर्ता बन सकता है जब वहां पर पहले से इस सम्बन्ध में घरेलू कानून लागू हो।

VISION IAS

4.13. आरम्भ पहल

(Aarambh Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह देश की पहली हॉटलाइन है जो बच्चों के इंटरनेट के माध्यम से यौन शोषण को रोकने के लिए और ऑनलाइन अनावृत चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री हटाने के लिए है।

पहल के बारे में

- उद्देश्य: ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इस बीमारी को खत्म करना और ऑनलाइन स्पेस में बाल संरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाना।
- यह देश में बाल संरक्षण पर काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों का एक नेटवर्क है, ब्रिटेन आधारित इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने इसके साथ सहयोग किया है।
- भारत में हॉटलाइन aarambhindia.org पर होस्ट की जाएगी और यह यूज़र्स को बेनाम रहते हुए और एक सुरक्षित वातावरण में बाल यौन शोषण के चित्र और वीडियो रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी।
- यह एक सरल, सुलभ प्रपत्र (हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध) है जिसका कोई भी जागरूक उपयोगकर्ता, जो सार्वजनिक इंटरनेट पर किसी बच्चे के यौन उन्मुक्त चित्र पाता है, उसे रिपोर्ट करने के लिए उपयोग कर सकता है। बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा।

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

5.1. GSLV F05 और INSAT-3DR

(GSLV F05 and INSAT 3DR)

- इसरो के GSLV F05 अंतरिक्ष यान द्वारा INSAT 3DR उपग्रह को सफलतापूर्वक जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित कर दिया गया है। यहाँ से यह उपग्रह अंत में भू-समकालिक कक्षा (Geosynchronous orbit) में स्थापित किया जाएगा।

INSAT-3DR

- ✓ यह एक उन्नत मौसम सम्बन्धी उपग्रह है जिससे देश को विविध प्रकार की मौसम संबंधी सेवाएँ प्राप्त होने की उम्मीद है।
- ✓ यह रात के समय अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर स्थित मेघ और कुहरे की मिडिल इन्फ्रारेड बैंड में इमेजिंग उपलब्ध करा सकता है।
- ✓ अधिक सटीकता के साथ समुद्र सतह तापमान (Sea Surface Temperature) के आकलन के लिए यह दो थर्मल इन्फ्रारेड बैंड में इमेजिंग प्रदान कर सकता है।

GSLV F05:

- ✓ GSLV-F05 भारत की भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) की दसवीं उड़ान थी।
- ✓ यह GSLV में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ तीसरा सफल प्रक्षेपण है।
- ✓ यह एक तीन चरण वाला वाहन है और इसमें तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है।
- ✓ GSLVs का उपयोग भारी उपग्रहों (आमतौर पर 2 से 2.5 टन) को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए किया जाता है।

महत्व

- ✓ यह GSLV में क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली परिचालन उड़ान (operational flight) थी।
- ✓ यह सफल प्रक्षेपण GSLV-MkIII के लिए इसरो के इंजीनियरों में और अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा।
- ✓ यह सफल प्रक्षेपण इसरो के बाजार मूल्य और इसकी उपग्रह क्षमताओं की विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा।
- ✓ INSAT-3DR उपग्रह, INSAT-3D उपग्रह मिशन का एक अग्रवर्ती चरण है। INSAT-3D को 2013 में लॉन्च किया गया था।
- ✓ INSAT-3DR पृथ्वी के वायुमंडल में नमी, तापमान और ओजोन की मात्रा में क्षैतिज परिवर्तन के मानचित्रण में सक्षम होगा। इस प्रकार यह देश की मौसमविज्ञान संबंधी दक्षताओं को बढ़ाएगा।

5.2. PSLV द्वारा 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

(PSLV Successfully Launches 8 Satellites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने अब तक के सबसे लंबे प्रक्षेपण मिशन में आठ उपग्रहों को प्रक्षेपित किया।
- यह ISRO का पहला मिशन है जिसमें उपग्रहों को एक ही रॉकेट PSLV-C35 (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) से दो अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया है।
- इस प्रक्षेपण में एक मौसम उपग्रह स्कैटसैट-1 और सात अन्य उपग्रह शामिल थे।

प्रेक्षपण के संदर्भ में अधिक जानकारी

- एडवांस मौसम उपग्रह स्कैटसैट-1 को ध्रुवीय सूर्य-समकालिक कक्षा (पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट) में लगभग 730 km की ऊंचाई पर स्थापित किया गया।
- स्कैटसैट-1, 2009 में प्रक्षेपित तथा अब निष्क्रिय हो चुके ओशनसैट -2 उपग्रह मिशन का अनुवर्ती मिशन है।
- स्कैटसैट-1 उपग्रह द्वारा भेजे गए आकड़े मौसम पूर्वानुमान सेवाएँ प्रदान करने में सहयोग देंगे।

VISION IAS

- अन्य सात उपग्रहों में आईआईटी मुंबई का PRATHAM (प्रथम) और बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय का पीआई सैट (Pisat) शामिल थे।
- इस मिशन में अल्जीरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पांच अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह शामिल थे।

चुनौतियां

- इस मिशन की मुख्य चुनौती चौथे चरण के इंजन को बंद करना (shut down) और उसे पुनः चालू (restart) करना था, जिसे बहु-दहन प्रौद्योगिकी (multiple burn technology) कहते हैं।
- इस कार्य को ठण्डे एवं कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में बहुत ही कम समय में किया जाना था।
- हालांकि, ISRO अपने पिछले दो PSLV प्रक्षेपण में इस तकनीक प्रदर्शन कर चुका है।

महत्व

- इस तकनीक में महारत हासिल करने का मतलब है कि ISRO अब एक ही रॉकेट से अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित कर सकेगा और इससे बड़ी मात्रा में धन की बचत होगी।
- इससे भविष्य में और अधिक वाणिज्यिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी सुविधा होगी।

5.3. फोटोकॉपी का अधिकार

(Right to Photocopy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बौद्धिक संपदा और ज्ञान तक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(i) के अंतर्गत प्रदत्त छूट फोटोकॉपी और पाठ्यक्रम से सम्बंधित पैक के सृजन को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है जिसमें किसी "शिक्षक या विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली साहित्यिक सामग्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार" है।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में तर्क

- पहुँच सुनिश्चित करने में जनता के हित के साथ कॉपीराइट संरक्षण में संतुलन करना।
- महंगी गुणवत्तायुक्त विदेशी शैक्षिक सामग्री तक वहनीय पहुँच सुनिश्चित करता है।
- पहले से ही कॉपीराइट संरक्षण की धारा 52 (1) शिक्षक या शिष्य द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक कृतियों की प्रतियाँ बनाने की अनुमति देती है। इस प्रकार की फोटोकॉपी केवल एक विस्तार है क्योंकि सामग्री ज्यादातर विश्वविद्यालय परिसर तक ही सीमित है।

विपक्ष में तर्क

- यह निर्णय लेखकों और प्रकाशकों के प्रयासों को महत्व नहीं देता है और उन्हें आजीविका से वंचित करता है। साथ ही यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- प्रकाशकों का वाणिज्यिक नुकसान: यदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों को ऐसा लगता है कि यहाँ कॉपीराइट संरक्षण अपर्याप्त है, तो वे भारतीय शिक्षा के बाजार से पीछे हट सकते हैं। दीर्घावधि में इससे अंतरराष्ट्रीय ज्ञान तक पहुँच कम होगी।
- मानविकी: भारतीय विश्वविद्यालयों में इन विषयों के सामान्य उपेक्षा के अलावा, मानविकी आगे और भी प्रभावित हो सकता है। चूंकि फोटोकॉपी के अधिकार की अनुमति दी गयी है, इसलिए इन क्षेत्रों में प्रकाशकों द्वारा कम संसाधन खर्च किया जाएगा।
- यह निर्णय हमारी IPR नीति के साथ असंगत हो सकता है।

आगे की राह

- बौद्धिक संपदा अधिकार और उपयोग के मुद्दों के बीच संतुलन: इससे भारत में पूरे विश्व से बुद्धिजीवियों को आकर्षित कर हमारे समाज में रचनात्मकता और बौद्धिकता के विकास में मदद मिलेगी और उसी समय हमारे शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक वहनीय पहुँच सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
- सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ ही साथ इस तरह की शैक्षिक सामग्री वाले शैक्षिक संस्थानों तक आसान पहुँच प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों या फोटोकॉपी की दुकानों को लाइसेंस प्रदान करना एवं फोटोकॉपी की दुकानों द्वारा प्रकाशकों को प्रत्येक कोर्स-पैक बेचने पर भुगतान किया जाएगा।

5.4. निधि

(NIDHI- National Initiative for Development and Harnessing Innovations)

- निधि (विकास और नवाचार दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है।

- यह सफल स्टार्ट-अप्स के लिए ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों और नवाचारों का पोषण करने की दिशा में काम करती है।
- इसका लक्ष्य समाज के उपयोग की आवश्यकता के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करना है और संपत्ति और रोजगार सृजन के लिए नए रास्ते बनाना भी है।
- NIDHI, अपने डिजाइन के माध्यम से नवाचार श्रृंखला की सभी कड़ियों- खोज, संधारणीयता, सुरक्षा, प्रवर्धन, प्रदर्शन-मंजूषा (scouting, sustaining, securing, scaling and showcasing) को जोड़ती और मजबूत करती है।
- NIDHI के प्रमुख हितधारकों में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय, राज्य सरकारें, शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थाएँ, मेंटर्स, वित्तीय संस्थाएँ, एंजेल इन्वेस्टर्स, वेंचर पूंजीपति, सफल उद्योग और निजी क्षेत्र शामिल हैं।
- एक नवोदित स्टार्ट-अप के प्रत्येक चरण का समर्थन करने वाले निधि के घटक हैं:

✓ प्रयास (PRAYAS- Promoting and Accelerating Young and Aspiring Innovators & Start- ups), जिसका लक्ष्य अपने विचारों के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए के अनुदान की उपलब्धता और निर्माण प्रयोगशाला (Fabrication Laboratory- Fab Lab) के उपयोग तक पहुँच सुनिश्चित कर नवीन आविष्कारों का समर्थन करना है।

✓ सीड सपोर्ट सिस्टम, जो प्रति स्टार्ट-अप एक करोड़ रुपये तक प्रदान करता है और प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटरों (Technology Business Incubators) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

- नवाचार और स्टार्ट अप केंद्रित नई पहल को गति प्रदान करने के लिए, ताकि देश भर में विभिन्न तरीके से इसकी व्यापक आउटरीच बढ़ाई जा सके, विभाग के बजट आवंटन में 450% की वृद्धि (रु. 180 करोड़ रुपये) वृद्धि की गई है।

5.5. एंटीबायोटिक प्रतिरोध

(Antibiotic Resistance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक प्रमुख अध्ययन में पाया गया है कि भारत में नवजात शिशु अपने जन्म के 72 घंटे के अन्दर प्रसव एवं प्रसवोपरांत इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से संक्रमित होने के बाद ड्रग रेजिस्टेंस के खतरनाक स्तर के कारण तेजी से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं।
- अध्ययन में पाया गया है कि रोगाणुता (sepsis) वाले बच्चों में से लगभग 26 प्रतिशत की मृत्यु मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के कारण हुई जिसके कारण रोग असाध्य बन जाता है।

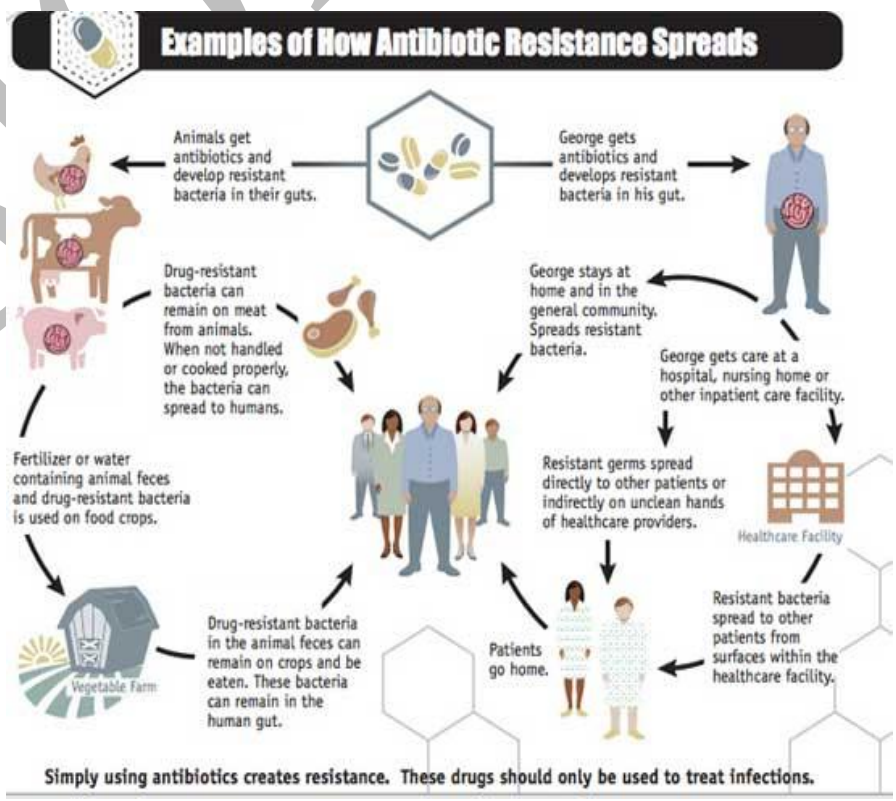

पृष्ठभूमि

- भारत ड्रग रेजिस्टेंस का इतना बड़ा केन्द्र बिन्दु हो गया है कि 2008 में पाए गए एंटीबायोटिक दवाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए रेसिस्टेंट नए जीवाणु का नाम न्यू डेल्ही मेटैलो-बीटा-लैक्टामेज़ 1(New Delhi-Metallo- Beta-Lactamase 1) रखा गया था।
- सभी उम्र के व्यक्ति अत्यधिक ख़राब स्वच्छता की स्थिति (खुले में शौच और अशोधित सीवेज सिस्टम) और एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित उपयोग के कारण उच्च ड्रग रेजिस्टेंस विकसित कर रहे हैं।
- भारत में मनुष्य, कृषि और पशुधन में जीवाणु आसानी से पनपते और प्रसारित होते हैं।

- एक प्रमुख समस्या यह है कि देश में TB के उपचार सही से नहीं होने के कारण AMR (एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस) विकसित हो रहा है।

क्या किया जा चुका है?

- फरवरी, 2016 में, भारत ने रेड लाइन अभियान (Red Line campaign) शुरू किया था। इस अभियान के तहत एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए प्रेस्क्रिप्शन में दी जाने वाली दवाओं में केवल एंटीबायोटिक दवाओं के पैक पर रेड लाइन से चिह्नित किया जाता है।
- सरकार ने भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए संचार अभियान माध्यम से इस बात का समर्थन किया है कि रेड लाइन दवाओं को डॉक्टर के सुझाव के बिना नहीं लेना चाहिए।

5.6. मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई

(Anti-Malaria Battle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

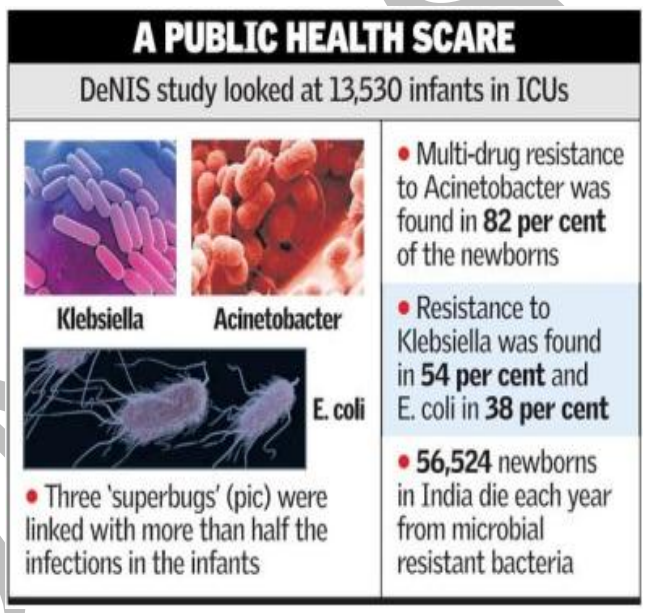

- नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक नए यौगिक bicyclic azetidine series की खोज की है जोकि मलेरिया परजीवी के सभी तीन स्तरों पर असरकारक है।

खोज के बारे में

- ऐसा पाया गया कि यौगिक के एकल व कम खुराक उपचार से ही बीमारी ठीक हो गई।
- इसके अलावा, यह रोग का निरोध-उपचार (prophylaxis) कर सकता है; प्रयोगशाला और पशुओं, दोनों में रोग संचरण को रोक सकता है।
- यौगिक परजीवी के प्रोटीन ट्रांसलेशन मशीनरी को निशाना बनाकर काम करता है। प्रोटीन ट्रांसलेशन प्लाज्मोडियम जीवन चक्र के हर स्तर पर महत्वपूर्ण है।
- चूंकि प्रोटीन ट्रांसलेशन परजीवी के कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उत्परिवर्तन (mutation) की ज्यादा संभावना नहीं है। इसलिए, यौगिक के खिलाफ परजीवी द्वारा ड्रग रेजिस्टेंस विकसित करने की संभावना कम है।
- यह खोज इस बीमारी के इलाज में प्रारंभिक प्रयास हो सकता है और इससे आने वाले वर्षों में अधिक चिकित्सीय उपकरणों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

5.7. खारे पानी को पीने योग्य बनाना

(Making Brackish Water Potable)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- IIT मद्रास में शोधकर्ताओं ने एक तरीका विकसित किया है जिससे प्रति लीटर 12 पैसे से कम खर्च में खारे जल को पीने योग्य जल में बदला जा सकता है।

यह क्या है?

- शोधकर्ताओं ने ग्रेफीन बनाने के लिए टिशू पेपर के स्टैक का इस्तेमाल किया है।
- इसके बाद ग्राफिक इलेक्ट्रोड को ग्रेफीन से कवर किया गया।
- इसके बाद इलेक्ट्रोड को खारे पानी में डुबा दिया गया।
- इलेक्ट्रोड पर 1.8 वोल्ट के विभव का प्रयोग किया गया, इससे खारा जल विआयनीकृत होकर पीने योग्य जल में बदल गया।

लाभ

- इससे 500 भाग प्रति मिलियन (ppm) से कम सोडियम क्लोराइड के साथ खारा जल, पीने योग्य जल में बदल गया। यह पेयजल हेतु स्वीकार्य सीमा के भीतर है।

- इसका फ़िल्टर 10 वर्षों तक चलता है जो इस आविष्कार को ज्यादा व्यवहार्य बना देता है।
- इसकी प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस की तुलना में न केवल सस्ती है, बल्कि यह काफी मात्रा में जल को भी बचाती है।
- रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और इसके द्वारा जल की 60-75 प्रतिशत मात्रा अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दी जाती है।
- कैपसिटिव विआयनीकरण (capacitive deionisation) में औसत जल अपव्यय केवल 25 प्रतिशत है।
- यह प्रक्रिया जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए विश्वसनीय प्रतीत होती है।

5.8. डीएनए: डेटा भंडारण

(DNA: Data Storage)

- माइक्रोसॉफ्ट और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ सैन फ्रांसिस्को अवस्थित स्टार्ट अप ट्विस्ट बायोसाइंस के एक दल ने सफलतापूर्वक DNA में 200 MB डिजिटल डाटा का भंडारण कर मील का पत्थर पार किया।
- DNA पीढ़ी-दर-पीढ़ी आनुवंशिक डेटा का वाहक है।

महत्व

- DNA ऐसे महत्वपूर्ण आकर्षक गुणों को धारण करता है जो डेटा भंडारण के लिए आवश्यक हैं।
- यह बहुत ही स्थिर है; सिंथेटिक DNA हजारों सालों तक अक्षुण्ण रह सकता है।
- DNA कभी भी लुप्त/बेकार (obsolete) नहीं हो सकता है क्योंकि यह जीवन तंत्र के ब्लूप्रिंट को समाहित करता है।
- इसमें उच्च पैकिंग घनत्व है- विश्व में उपलब्ध सभी डेटा के भण्डारण के लिए 1 किलोग्राम DNA पर्याप्त है।

सीमाएँ

- DNA में डेटा की इन्कोडिंग और डिकोडिंग एक जटिल कार्य है, इसके लिए अधिक समय और धन की आवश्यकता है।
- हालांकि यह सीमा तेजी से समाप्त हो रही है क्योंकि तकनीकी प्रगति के साथ DNA संरचना में डेटा का भंडारण सस्ता, त्वरित और कम जटिल हो जाएगा।

5.9. बौद्धिक विकलांगता के पीछे जीन

(Genes Behind Intellectual Disability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मॉलिक्यूलर साइकाइअट्री पत्रिका के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पहली बार 30 अप्रभावी अनुवांशिक जीनों की पहचान की है जो बौद्धिक विकलांगता के साथ ही अन्य मस्तिष्क विकारों में भूमिका निभाते हैं।
- यह अनुसंधान नीदरलैंड्स के रेडब्युड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर और पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।
- अनुसंधान पांच साल की अवधि में और तीन महाद्वीपों पर पूरा किया गया।

बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability): तथ्य

- बौद्धिक विकलांगता या ID (जिसे पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था) एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और व्यावहारिक कौशल को सीमित करता है।
- 213 मिलियन लोग न्यूरो विकासात्मक विकार (neuro-developmental disorder) से प्रभावित हैं।
- यह 70 से नीचे IQ (intelligence quotient) द्वारा मापा जाता है।
- आज, लगभग 1-3 प्रतिशत आबादी ID के किसी न किसी रूप से प्रभावित है।
- ID के प्रभावित आधे मामलों के पीछे निहित कारण में ख़राब पोषण और पर्यावरणीय कारक संबंधित हो सकते हैं, जबकि बाकी आधे मामले आनुवंशिक विकारों जैसे जीन म्यूटेशन के कारण है।
- इस शोध का अनुप्रयोग DNA जांच और युगल की ID बच्चे को जन्म देने की संभावना के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।

5.10. ओसीरिस रेक्स

(OSIRIS-REX)

- नासा ने पृथ्वी के नजदीक स्थित क्षुद्रग्रह बेन्नु (Bennu) के अनुसंधान के लिए मानवरहित अंतरिक्षयान ओसीरिस रेक्स OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification-Regolith Explorer) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।
- यह नासा का पहला क्षुद्रग्रह नमूना चयन (sampling) मिशन होगा।
- यह अंतरिक्ष यान बेन्नु तक 2018 में पहुंचेगा और उसके बाद क्षुद्रग्रह पर उतरे बगैर अपने रोबोटिक आर्म से 2 औंस धूल साथ लेगा और फिर पृथ्वी के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेगा।
- 1 अरब डॉलर का यह मिशन वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करेगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे सौर प्रणाली का निर्माण हुआ, और कैसे बेन्नु जैसे पथभ्रष्ट क्षुद्रग्रहों से हमारे ग्रह की रक्षा की जाए।

5.11. स्व-चालित कारें

(Self-Driven Cars)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक लघु फर्म नूटोनोमी (nuTonomy) ने एक प्रकार से इतिहास रच दिया जब इसने सिंगापुर में स्व-चालित टैक्सी सेवा की शुरुआत की।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये कारें दुनिया भर के परिवहन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं।

एक ऑटोमेटेड कार (ड्राइवररहित कार, स्व-चालित कार, रोबोट कार) एक वाहन है जो अपने परिवेश का संवेदन करने (sensing) और मानव इनपुट के बिना नेविगेट करने में सक्षम है। ऑटोमेटेड कारें रडार, लिडार, GPS, ओडोमेट्री, और कंप्यूटर विज़न जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए परिवेश का पता लगा सकते हैं।

महत्व

- उनमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की क्षमता है विशेष रूप से उन दुर्घटनाओं की जो मानव चालक की गलतियों की वजह से होती हैं।
- वे श्रम लागत को कम कर सकती हैं और परिणामस्वरुप यात्रा और परिवहन की लागत को कम कर सकती हैं।
- यह केबिन के आंतरिक भाग में विस्तृत रिक्त स्थान के अलावा श्रम-दक्षता संबंधी अधिक लचीलापन प्रदान करेगी।
- यातायात पुलिस, वाहन बीमा, या यहां तक कि सड़क चेतावनी संकेतक की कम आवश्यकता के संयोजन द्वारा इसमें बेहतर यातायात प्रबंधन करने की क्षमता भी होगी।
- कुल मिलाकर उनके द्वारा अर्थव्यवस्था, परिवहन क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवहन सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सीमाएँ

- उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दे: दुर्घटना के मामले में कानूनी दायित्व का निर्णयन कैसे किया जाएगा, यह इससे जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। दुर्घटना की जिम्मेदारी निर्माता या सॉफ्टवेयर डेवलपर या उपयोगकर्ता किस पर डाली जाएगी? यह प्रश्न बहस का मुद्दा है और अनुत्तरित बना हुआ है।
- बेरोजगारी: ड्राईवररहित कारें विशेष रूप से टैक्सियाँ मौजूदा टैक्सी और अन्य ड्राइवरों के लिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न करेगा।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं: प्रौद्योगिकी की विफलता और साइबर हमले जैसे मुद्दे बड़े पैमाने पर यात्रियों और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं।
- नैतिक मुद्दे: एक अपरिहार्य दुर्घटना के मामले में ड्राईवर रहित कार टक्कर के लिए कैसे/किसके बीच चुनाव करती है; यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। उल्लेखनीय है अपरिहार्य दुर्घटना की स्थिति में मानव चालक कम से कम नुकसान सुनिश्चित करता है।

VISION IAS

5.12. विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलिस्कोप का परिचालन प्रारंभ

(WORLD'S LARGEST RADIO TELESCOPE BEGINS OPERATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन, फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप या फ़ास्ट (FAST) का परिचालन चीन के गुइझोऊ प्रांत में शुरू हो गया।

यह क्या है?

- 500 मीटर व्यास में विस्तृत इस टेलिस्कोप को पिंटांग काउंटी के एक प्राकृतिक बेसिन में स्थापित किया गया है।
- इसे पूरा करने में 5 वर्ष और $ 180 मिलियन का निवेश किया गया है।
- यह प्यूर्टो रिको स्थित एरेसिबो ओब्जेर्वेटरी दूरबीन के 300 मीटर के व्यास से बड़ी है।

महत्व

✓ यह दूरबीन तारों और आकाशगंगाओं के साथ-साथ पार्थिव जीवन के अतिरिक्त जीवन (एलियन लाइफ) के संकेतों की खोज करेगी।
✓ यह परियोजना अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।

5.13. प्राप्त जीवाश्म से पृथ्वी पर 3.7 अरब साल पहले जीवन के संकेत

(Fossils Found Points to Life on Earth 3.7 Billion Years Ago)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड बर्फ टोपी वाली प्राचीन अवसादी चट्टानों में लघु संरचना के जीवाश्म प्राप्त किये हैं जिसे स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है।

स्ट्रोमेटोलाईट चूना स्रावित करने वाले सायनोबैक्टीरिया और इसके बीच फँसे तलछट की परतों से निर्मित चूनायुक्त टीले (calcareous mound) होते हैं। ये प्राचीनतम ज्ञात जीवाश्म हैं जो प्रीकैंब्रियन चट्टानों में पाये जाते हैं।

महत्व

- इस खोज ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की तारीख को काफी पीछे पहुंचा दिया है। (नोट: भूगर्भीय दृष्टि से, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी)
- चट्टान की संरचना और भूविज्ञान, जिसमें स्ट्रोमेटोलाईट जीवाश्म पाया गया है, पृथ्वी पर जीवन के तेजी से आविर्भाव के संकेत देते हैं।
- यह खोज पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक जीवन के अस्तित्व के प्रकार और वे किस प्रकार विकसित हुए, इसपर प्रकाश डालेगा।
- इस खोज का मंगल और अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में हमारी समझ के लिए व्यापक निहितार्थ होगा। शायद बहुत ही प्रारंभिक अवस्था का जीवन मंगल ग्रह पर अस्तित्व में रहा हो सकता है।

5.14. एक अरब से अधिक तारों का मानचित्रण

(More Than A Billion Stars Mapped)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गैया (Gaia) अंतरिक्ष अनुसंधान यान नामक यूरोपीय उपग्रह ने आकाशगंगा में मौजूद 1.14 लाख तारों की सटीक स्थिति और चमक का मानचित्रण किया है।
- आकाशगंगा के सबसे सटीक त्रि-आयामी नक्शे के लिए इसकी सराहना की जा रही है।
- इसने 2 अरब से अधिक तारों की दूरी और गति की स्पष्ट व्याख्या की है।

मिशन के बारे में अधिक जानकारी

- गैया, यूरोपीय अंतरिक्ष यान 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और इसने जुलाई 2014 से आँकड़े एकत्रित करना शुरू कर दिया था।
- इसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाते हुए एक बिलियन तारों की स्थिति, रंग और दीप्ति का आकलन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था।
- यह काफी सटीकता के साथ तारों का मानचित्रण करने के लिए सक्षम है। इसके लिए इसके ट्विन टेलिस्कोप और बिलियन पिक्सेल कैमरा धन्यवाद के पात्र हैं।
- गैया ने न केवल तारों के वितरण का मानचित्रण किया बल्कि पड़ोसी छोटे और बड़े मैगेलैनिक मेघों के वितरण का भी मानचित्रण किया है।

VISION IAS

6. सुरक्षा

(SECURITY)

6.1. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)

(National Cyber Coordination Centre [NCCC])

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र भारत में प्रस्तावित एक साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी संस्था है। इसका उद्देश्य संचार मेटाडाटा की जाँच करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया सूचना संग्रहण गतिविधि में समन्वय करना है।

- सरकार की साइबर सुरक्षा शाखा **इंडियन कम्प्यूटर इमरजेन्सी रिस्पांस टीम (CERT-In)** NCCC की स्थापना में मुख्य प्रबंधन एजेन्सी होगी।
- इस केंद्र में विभिन्न क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध शीर्ष विशेषज्ञ होंगे और अन्य देशों जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के समतुल्य संस्थाओं की तरह इसका संचालन किया जाएगा।
- NCCC से विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच नेटवर्क घुसपैठ और साइबर हमलों के दौरान समन्वय की उम्मीद है।
- इसके अधिदेश में साइबर खुफिया जानकारी को एजेन्सियों के बीच साझा करना भी शामिल हो सकता है।
- इंटरनेट निगरानी के अलावा NCCC साइबर हमले से उत्पन्न विभिन्न खतरों की भी छानबीन करेगा।
- NCCC देश में साइबर सुरक्षा खतरों के वास्तविक समय निर्धारण की सुविधा देगा और संबंधित एजेंसियों द्वारा सक्रिय कार्यों के लिए रिपोर्ट/एलर्ट भेजेगा।

NCCC से जुडी चिंताऐं

कुछ लोगों ने यह चिन्ता जतायी है कि किसी स्पष्ट गोपनीयता कानून के अभाव में नागरिकों के निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है।

6.2. मोरमुगाओ

(MORMUGAO)

स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल से लैस युद्धपोत का मुम्बई में जलावतरण किया गया।

- प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापतनम श्रेणी के जहाज मोरमुगाओ का निर्माण सरकार द्वारा संचालित मझागाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है।
- प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित मिसाइल विध्वंशक वस्तुतः नवीनतम अस्त्रों से सुसज्जित आधुनिक युद्धपोत है। यह अत्यधिक सफल दिल्ली और कोलकाता श्रेणी के क्रम में अगला युद्धपोत है।
- इस युद्धपोत से बराक-8 जैसी लम्बी दूरी वाली मिसाइलें भी दागी जा सकती है। मोरमुगाओ नाम गोवा के Picturesque पत्तन के नाम पर रखा गया है।
- यह युद्धपोत 31-32 समुद्री मील की अधिकतम गति को प्राप्त कर सकता है। यह सतह-से-सतह तथा सतह-से-हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलों, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचरों, मध्यम दूरी के वायु/सतह निगरानी रडार के साथ-साथ मल्टी मिशन निगरानी रडारों तथा अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित है।

विशाखापतनम श्रेणी (प्रोजेक्ट15B)

विशाखापतनम श्रेणी (प्रोजेक्ट 15B) स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंशक युद्धपोत है, जो वर्तमान में भारतीय नौसैना के लिए बनाया जा रहा है। कोलकाता श्रेणी के डिज़ाइन पर आधारित विशाखापत्तनम श्रेणी, युद्धपोतों के अति उन्नत संस्करण होगा।

- प्रोजेक्ट 15B उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। साथ ही यह अत्याधुनिक अस्त्रों और सेन्सरों, जिसमें लंबी दूरी के **सतह-से-वायु में मार करने वाली मिसाइल बराक-8** शामिल है, से भी लैस होगा।
- प्रोजेक्ट 15B, 15A के कोलकाता श्रेणी की तरह अपनी महत्ता बनाए रखेगा, लेकिन इस पोत के संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिससे जहाज की स्टील्थ तकनीक और उन्नत होगी।
- **विशाखापतनम** और **मोरमुगाओ** के बाद कतार में अगला यद्धपोत **पारादीप** है। इसके बाद अगले युद्धपोत का नाम गुजरात के तटीय शहर के नाम पर रखे जाने की आशा है।

6.3. उरी हमला

(Uri Attack)

18 सितंबर को जैश-ए-मोहम्मद फिदायीन समूह ने भारतीय सेना के 12-ब्रिगेड प्रशासनिक स्टेशन पर हमला कर 19 सैनिकों की हत्या कर दी। इसमें मारे गए आतंकवादियों के पास से जब्त GPS से प्राप्त आंकड़े वस्तुतः इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने की ओर इशारा करते हैं। फिदायीन आतंकियों ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पास उरी में स्थित सेना के शिविर पर हमला किया। यह "जैश-ए-मोहम्मद तंजीम" के लड़ाकों के द्वारा भारतीय सेना पर कश्मीर में किया गया सबसे बड़ा हमला था।

अन्वेषण

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने उरी हमले की जाँच शुरू कर दी है।
- NIA ने आतंकियों के DNA के नमूने इकट्ठा किए हैं। जनवरी में हुए पठानकोट एयरबेस हमलों से इसकी समानता की भी जाँच की जाएगी।

खुफिया मोर्चे पर शून्य(Vacuum) की स्थिति

- जुलाई में एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद से दक्षिणी कश्मीर में काफी लम्बे समय तक तनाव बना रहा।
- तीन महीने की अशांति ने **खुफ़िया मोर्चे पर एक बड़ी शून्य की स्थिति** उत्पन्न कर दी है तथा कई क्षेत्रों में कर्फ्यू के कारण मुखबिरों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।
- कश्मीर में जारी अशांति ने सेना के **रूटीन मूवमेंट और ऑपरेशन** के साथ खुफ़िया जानकारी जुटाने को भी प्रभावित किया है।

घुसपैठ का स्पष्ट रूप से बढ़ जाना

- न केवल हिंसक विरोध प्रदर्शन बल्कि हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद से घुसपैठ में भी स्पष्ट रूप से वृद्धि देखी गयी है।
- LeT के घुसपैठिये आतंकी घाटी में युवाओं में बढ़ते क्रोध और हताशा को और बढ़ाकर उन्हें प्रभावी आतंकी समूह की तरह तैयार करने की कोशिश में लगे हैं।

उरी हमले के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया

A. कूटनीतिक

उरी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पड़ोसी देशों में कूटनीतिक कार्यवाई की शुरुआत की है।

- भारत ने अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ मिलकर इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले SAARC सम्मेलन से बाहर रहने का फैसला किया।
- भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर उरी हमले से सम्बंधित सबूत साझा किये, जिसे इस्लामाबाद ने अस्वीकार कर दिया।
- भारत ने **सिन्धु जल संधि** की समीक्षा करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम-से-कम वर्तमान समय में सिन्धु जल संधि पर पूर्ववत स्थिति बरक़रार रखी जाएगी। जबकि केंद्र ने सिन्धु नदी के जल के अनुकूलतम उपयोग की एक सूची बनाई है, जिसे लागू करने में भारत अब तक नाकाम रहा है।
- **सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र** (मोस्ट फेवर्ड नेशन: MFN) के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए सरकार ने संकेत दिया है कि यह सामान्य व्यापारिक गतिविधि की स्थितियाँ नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री ने अपने भाषण में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों को बताया कि भारत को अपने शांति पहलों के प्रतिक्रिया स्वरुप सीमा पार आतंकवाद ही मिला है। उन्होंने **बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन** का मुद्दा भी उठाया।

B. सैन्य प्रतिक्रिया

भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी कैम्पों को लक्षित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। यह पहला मौका है जब भारत ने खुले तौर पर घोषणा की है कि उसने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इसी तरह का स्ट्राइक 2015 में NSCN (K) के उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा म्यांमार की सीमा पर किया गया था।

- भारतीय कमांडो ने नियंत्रण रेखा के पार तीन किलोमीटर की दूरी पर भिमवर, हॉटस्प्रिंग, केल और लीपा क्षेत्रों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये स्थान सीमा रेखा से 500 मीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

VISION IAS

- सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 7 आतंकी लांच पैड को नष्ट कर दिया गया।
- सीमा रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कथित तौर पर भारतीय सेना के पैरा कमांडो और इसके घातक प्लाटूनों के द्वारा किया गया।

सर्जिकल स्ट्राइक क्या है?

सैन्य दृष्टि से सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी विशेष लक्ष्य तक सीमित रह कर स्पष्ट व प्रमाणित क्षति पहुंचाने के इरादे से की जाती है। इसमें कोलैटरल डैमेज शून्य या नगण्य रहता है।

- सेना की भाषा में यह एक छोटी इकाई द्वारा तीव्र गति से किया गया ऑपरेशन या एक स्पष्ट लक्षित मिसाइल भी हो सकता है। वायुसेना की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक वस्तुतः किसी क्षेत्र में किए जाने वाले कारपेट बमबारी के विपरीत यह एकल भवन या वाहन को निशाना बनाने वाला एक एयरक्राफ्ट टारगेटिंग (अर्थात् वायुयान से साधे जाने व किए जाने वाले हमले) भी हो सकता है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की किसी भी घटना का खंडन किया है। पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय दावे को खारिज करते हुए इसे पूर्णतः निराधार और बेबुनियाद करार दिया है।

6.4.पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजक राज्य निर्धारण अधिनियम 2016

(Pakistan State Sponsor Of Terrorism Designation Act Of 2016)

जम्मू और कश्मीर के उरी में सेना के एक बेस पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर अमेरिका के प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव) में एक नया विधेयक लाया गया, जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में नामित करने का प्रावधान है।

- विधेयक में अफगानिस्तान में आतंकवाद को समर्थन प्रदान करने में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेन्स (ISI) की सहभागिता का भी उल्लेख है और संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट के 2016 के आतंकवाद पर देशवार जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने, उन्हें संगठित करने और चंदा एकत्र करने के कार्य में लगे हुए हैं।
- विधेयक में कहा गया है कि हक्कानी के गुप्तचर ISI के सर्मथन से अमेरिका के विरुद्ध अफगानिस्तान में कई हमले कर रहे हैं।
- विधेयक में 2012 की नाटो रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अफगान-तालिबान ने सीधे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से सहायता प्राप्त की है।
- विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकार और विशेषकर ISI अमेरिका द्वारा नामित विदेशी आतंकवादी संगठनों को समर्थन एवं सुरक्षित ठिकाना प्रदान करते हैं।
- अमेरिका ने इराक, सूडान और सीरिया को "स्टेट स्पोंसर ऑफ़ टेररिज्म" (आतंकवाद का प्रायोजक राज्य) घोषित किया है; जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों को नहीं बल्कि संस्थाओं को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित करता है।

6.5. आर्मी डिजाइन ब्यूरो

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय सेना ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो की स्थापना की औपचारिक घोषणा की है।

यह क्या है?

- यह भारतीय सेना के अंतरफलक (Interface) की तरह कार्य करेगा जो सेना की आवश्यकताओं की बेहतर समझ प्रदान करेगा।
- यह शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं और अत्याधुनिक रक्षा उत्पाद निर्माता उद्योगों के लिए एकल संपर्क बिन्दु की तरह कार्य करेगा।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- इसके पीछे मुख्य विचार स्वदेशी तकनीकी जानकारी (अर्थात् अनुभव) को विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों को एक साथ लाना है, और इस हेतु सेना अपनी दीर्घकालिक योजना के कुछ भाग को साझा करने के लिए तैयार है।
- प्राथमिक रूप से यह खरीद प्रक्रिया को तेज करने और द्वितीयक रूप से आधुनिकीकरण में भी मदद करेगा।
- यह स्वदेशी खरीद प्रक्रिया को तीव्र करेगा और आयात निर्भरता को कम करेगा जो सरकार के मेक इन इंडिया पहल का भी एक भाग है।

7. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

7.1. महासागरीय तापन और इसके प्रभाव

(Ocean Warming and its Effects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में IUCN द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट "एक्स्प्लेनिंग ओसियन वार्मिंग: कॉजेज, स्केल, इफ़ेक्ट एंड कंसिक्वेंसेस" में समुद्री तापन का प्रभाव दर्शाया गया है।

अवलोकन- चिंताएं

महासागरों पर प्रभाव

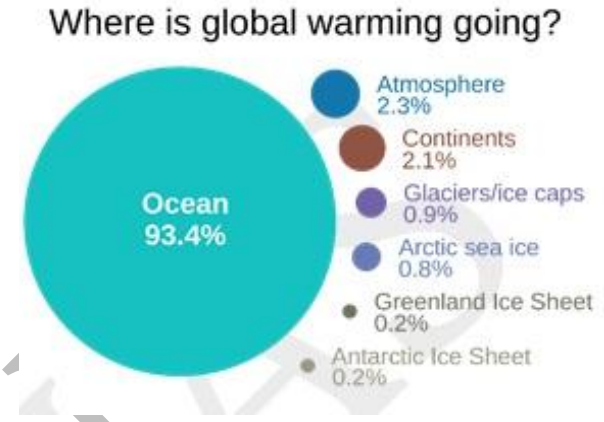

- 1970 के बाद से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हीटिंग का 93 प्रतिशत से अधिक महासागरों ने अवशोषित करके जमीन पर महसूस होने वाली गर्मी को कम किया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप समुद्री जीवन की लय में काफी परिवर्तन हुआ है।
- महासागर ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों से हमें बचाते रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा

- भारत तथा कई अन्य प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों की खाद्य सुरक्षा महासागरों के तापन के कारण होने वाले मौसमी प्रतिरूप (पैटर्न) के परिवर्तन के कारण संकट में है, महासागरीय तापन वर्तमान पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी छिपी चुनौती हो सकती है।
- वर्षा प्रतिरूप पर प्रभाव: वायुमंडल के महासागरीय तापन से बड़े पैमाने पर संपर्क के कारण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है।
- मध्य-अक्षांश और मानसून क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि और विभिन्न उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा में कमी आयी है।

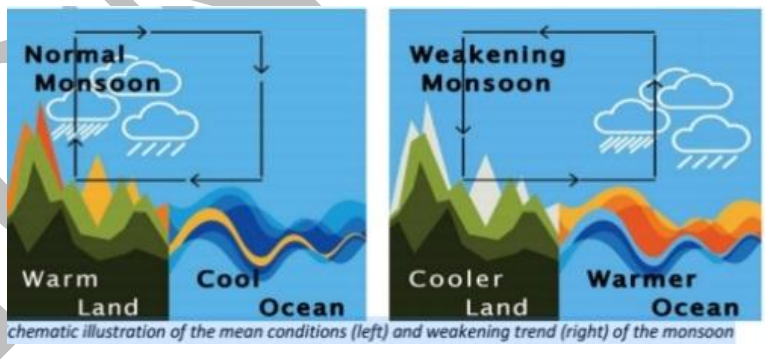

chematic illustration of the mean conditions (left) and weakening trend (right) of the monsoon

उपज पर प्रभाव:

✓ गेहूँ और मक्के की पैदावार तथा NAO (North Atlantic Oscillation: उत्तरी अटलांटिक दोलन) और PDO (Pacific Decadal Oscillation: प्रशांत दशकीय दोलन) के बीच अंतर्संबंध है, इसलिए इन महासागर-केन्द्रित वायुमंडलीय प्रतिरूपों का सीधा प्रभाव खाद्य उत्पादन पर पड़ता है।

✓ इसी तरह अन्य सभी बातों के एक समान रहने पर, तापमान में वृद्धि चावल, दलहन और मक्का की पैदावार को कम करता है।

✓ ग्लोबल वार्मिंग पशुओं और मनुष्यों के बीच रोगों के प्रसार कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सम्पूर्ण ग्रह की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।

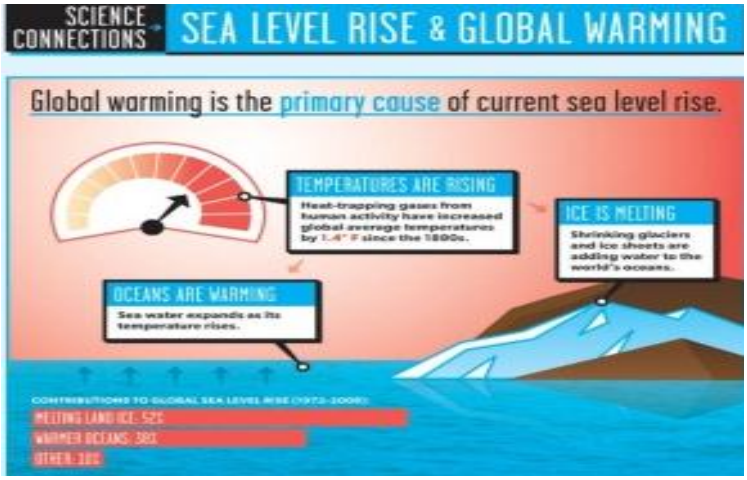

मानसून पर प्रभाव (इन्फोग्राफिक देखें)

पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- महासागर में परिवर्तन जमीन पर होने वाले परिवर्तन की तुलना में 1.5 से 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। इस तरह का परिसर (range) में

परिवर्तन संभवतः अनुत्क्रमणीय है।

- जलवायु परिवर्तन ने जानवरों की शीत निष्क्रियता (हाइबरनेशन) अवधि को प्रभावित किया है, यह उनके प्रजनन पैटर्न और चयापचय में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
- बड़े पैमाने पर जलवायविक विसंगतियां समुद्री शिकारी जानवरों के अपने लिए भोजन ढूंढने के व्यवहार (foraging behaviour) और जनसांख्यिकी (demography) को प्रभावित कर रही हैं।

✓ ऐतिहासिक विहिमनदन (deglaciation) के परिणामस्वरूप पूर्व अंटार्कटिक ऐडिली पेंगुइन का प्रसार।

मत्स्य पालन

- समुद्र में, तापमान का बढ़ना भोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली समुद्री प्रजातियों की सीमा और मात्रा में परिवर्तन का कारण होगा।
- निम्न के लिए व्यापक प्रभाव:

✓ अरब लोग जो प्रोटीन के अपने मुख्य स्रोत के लिए मछली पर निर्भर करते हैं और

✓ मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़े उद्योग

महासागरीय वार्मिंग के साथ-साथ, वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हुई है।

- नासा के रिकॉर्ड के अनुसार, 1880 में जब से रिकॉर्ड दर्ज करना प्रारंभ किया गया है जुलाई का महीना सबसे गर्म था। लेकिन अब नासा ने 'रिकॉर्ड गर्मी अगस्त में होना' अद्यतन किया है।
- आम तौर पर, मौसमी तापमान चक्र जुलाई में अपने उच्चतम स्तर पर जाता है, लेकिन असामान्य रूप से अगस्त 2016 को जुलाई 2016 के साथ अब तक के सर्वाधिक गर्म माह के रूप में रिकॉर्ड किया गया।

इसके कारण विहिमनदन, और समुद्री जल स्तर की वृद्धि हो रही है

डेनिश मौसम विज्ञान संस्थान (DMI) के अनुसार

- अभी तक दर्ज किए गए पूर्व के तीन शीर्ष तारीखों, जब 10% से अधिक बर्फ पिघलना शुरू हो गयी थी, से लगभग एक महीने पहले ही बर्फ की चादर का लगभग 12% पिघलना प्रारंभ हो गया था।
- ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर Tasiilaq में गर्मियों में औसत तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस (46.8 डिग्री फारेनहाइट) दर्ज किया गया, जो 1895 में रिकॉर्डिंग प्रारंभ होने के बाद से उच्चतम था।
- शोधकर्ताओं ने दिसंबर में कहा, ग्रीनलैंड बर्फ की चादर, जो समुद्र का स्तर बढ़ने के संदर्भ में एक संभावित बड़ा योगदानकर्ता है, ने 2003 और 2010 के बीच पूरी 20 वीं सदी की तुलना में दोगुना तेजी से द्रव्यमान खोया है।
- ***वाशिंगटन विश्वविद्यालय*** के अध्ययन के अनुसार: सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड किये गए आंकड़ों के आधार पर इस वर्ष आर्कटिक क्षेत्र का समुद्री-बर्फ विस्तार अभी तक दूसरी बार सर्वाधिक कम रहा।

✓ ध्रुवीय महासागर चुनौती (Polar Ocean Challenge) की एक नौका आर्कटिक के उत्तर पश्चिमी पैसेज को केवल 14 दिनों में ही पार करने में सफल रही क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से बर्फ से मुक्त था।

एक नए अध्ययन के अनुसार ध्रुवीय भालुओं पर प्रभाव

- आर्कटिक में सभी ध्रुवीय भालूओं की आबादी के लिए समुद्री बर्फ के मौसम की अवधि वर्ष 1979 के बाद से सात सप्ताह कम हो गयी है।
- ध्रुवीय भालू उनके मुख्य शिकार सील के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। वे सांस लेने के छेद पर घात लगाने या बर्फ तोड़कर सील की मांद तक पहुंचने के लिए प्लेटफार्म के रूप में इस बर्फ का उपयोग करते हैं।
- इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग IUCN द्वारा प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति के बारे में निर्णयन के लिए किया जाता है।

7.2. जैव विविधता अधिनियम 2002 की कार्यप्रणाली

(Working of Biodiversity Act 2002)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राज्य के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था जो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष दायर एक आवेदन का जवाब देने में विफल रहे।

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के लागू होने के बाद से पहली बार, राज्यों को अब इसके कार्यान्वयन पर गौर करने के लिए बाध्य किया गया है।

अधिनियम के आलोचनात्मक मूल्यांकन

- भारत के प्रसिद्ध **"ग्रीन जज", जस्टिस कुलदीप सिंह** ने **ICELA बनाम भारत संघ, 1996** के मामले में यह स्पष्ट किया कि 'किसी कानून का निर्माण करना और इसके उल्लंघन को बर्दाश्त करना कानून निर्मित न करने से भी बदतर है'। यह आम तौर पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 की वर्तमान स्थिति के लिए भी सत्य है।
- 15 राज्यों से प्राप्त RTI उत्तरों से पता चला है कि **61,000 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में** से **केवल 14 प्रतिशत (1400 से भी कम) के पास PBRs (पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर)** हैं।
- हालांकि अधिनियम में भारत की संकटग्रस्त जैव विविधता की रक्षा के लिए अपार क्षमता है, अधिनियम ज्यादातर कार्यान्वयन के संदर्भ में विफल रहा है।

जैव विविधता अधिनियम की विफलता

भारत के पर्यावरण कानूनों में से इस अधिनियम की सर्वाधिक उपेक्षा की गई है, और यह सबसे कम कार्यान्वित किये गए कानूनों में से भी है।

- भारत की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किया गया है। रिपोर्ट का मानना है कि विभिन्न कानूनों (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण अधिनियम), 1980, जैव विविधता अधिनियम, 2002) के बावजूद, जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रभावी प्रवर्तन की कमी है।
- भारत की वन भूमि के काफी भाग को औद्योगिक और अवसंरचनागत गतिविधियों के लिए दे दिया गया है।
- भारत के जंगलों का 40 प्रतिशत से अधिक विभिन्न स्तरों की गिरावट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट इस संकट के लिए इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और चराई के लिए घरेलू मांग को दोषी मानती है। वन क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भारी चराई की समस्या का सामना करता है जबकि आग 50 प्रतिशत वन क्षेत्र को प्रभावित करती है।
- भारत में अब केवल 12 किस्मों का भोजन रह गया है, जो खाद्य ऊर्जा का 80 प्रतिशत प्रदान करता है। बदलती जीवन शैली ने विविधता, स्वाद और भोजन के पोषण मूल्य को प्रभावित किया है।
- अधिक संख्या में फसलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है, इसके साथ भारत में कृषि जैव विविधता में कमी आ रही है। विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत उगाई जा रही किस्मों की संख्या में भी कमी आयी है। राष्ट्रीय जीन बैंक में रखे देशी पौधों के 300,000 से अधिक नमूने खेती से बाहर हो गए हैं।
- लगभग 140 कृषि पशुधन की देशी नस्लें अस्तित्व के खतरे का सामना कर रही हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में कम आनुवंशिक विविधता ने स्वदेशी जंगली प्रजातियों के क्रमिक विकास को प्रभावित किया है।
- भारत की पारंपरिक जड़ी बूटियों के 90 प्रतिशत का व्यापार किया जा रहा है। वैश्विक पूरक चिकित्सा बाजार जिसका मूल्य 62 बिलियन डॉलर है, में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.3 प्रतिशत है; इसमें से 70 फीसदी कच्चे माल के निर्यात से आता है।
- घास के मैदानों, नदियों, झीलों और तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियां संकट में हैं, जिसके चलते विभिन्न प्रजातियों के लिए सहायक प्रणाली में व्यापक क्षति हो रही है।
- घास के मैदान की प्रजातियां, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, खतरे में हैं।
- एक नदी प्रजाति, घड़ियाल (Gavialis gangeticus), जिसकी विश्व भर में कुल संख्या मात्र 180 बची है, IUCN की क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड सूची में शामिल है।

आगे की राह

- NGT की कार्रवाई BMC और PBRs के संबंध में जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की सही दिशा दिखाती है।
- PBRs फारेस्ट डायवर्जन प्रस्तावों और EIA रिपोर्ट में दिए गए झूठे और भ्रामक बयानों के विरुद्ध एक प्रभावी उपकरण हो सकते हैं।
- ये समुदाय को उस पारिस्थितिक इकाई, जिसका बलिदान किये जाने का प्रस्ताव है, के 'वास्तविक मूल्य' को उजागर करने के लिए सरकार के सामने तथ्यों को पेश करने में सहायता कर सकते हैं।
- सभी पंचायतों में BMC's और PBRs के सृजन और उनकी क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

7.3. विमानन जलवायु समझौता

(Aviation Climate Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन** ने मॉन्ट्रियल में अपने असेंबली सत्र में विमानन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दे दी।

समझौते के विषय में

- प्रस्ताव में विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन को प्रति संतुलित (ऑफसेट) करने के लिए विमान सेवाओं पर **`कार्बन उत्सर्जन टैक्स' के** लिए एक तंत्र शामिल है।
- एजेंसी की कार्बन प्रति संतुलन (ऑफसेटिंग) प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक उड़ानों से उत्सर्जन में वृद्धि को धीमा होने की उम्मीद है, इसकी लागत इस उद्योग के राजस्व के 2 प्रतिशत से भी कम होगी।
- समझौते के तहत, भाग लेने वाले देशों को 2020 तक उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2021 से प्रभाव में आने के बाद इसे सीमित करने की आवश्यकता है।
- 2021 से 2026 समझौते में भागीदारी स्वैच्छिक है, वर्ष 2027 से समझौता अनिवार्य हो जाएगा।
- अमेरिका और चीन जैसे देश समझौते के लिए सहमत हो गए हैं जबकि रूस ने स्वैच्छिक अवधि के दौरान भाग लेने से मना कर दिया है।

भारत का रुख

- यद्यपि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया गया है, यह विमानन जलवायु समझौते के लिए सहमत नहीं हुआ है।
- भारत का मानना है कि विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय होगा।

7.4. IGI एशिया-प्रशांत का पहला 'कार्बन न्यूट्रल' हवाई अड्डा

(IGI is Asia-Pacific's First 'Carbon Neutral' Airport)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा **"कार्बन न्यूट्रल"** का दर्जा हासिल करने वाला एशिया-प्रशांत का एक मात्र और विश्व के कुछ हवाई अड्डों में से एक बन गया है।
- वर्तमान में, दुनिया में 25 हवाई अड्डों ने कार्बन न्यूट्रल स्थिति अर्जित की है, उनमें से ज्यादातर यूरोप में हैं।

कार्बन न्यूट्रल टैग का महत्व

- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी **ग्रीन बिल्डिंग, सौर ऊर्जा संयंत्रों, वर्षा जल संचयन प्रणाली** आदि पर गर्व करता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने और प्रतिसंतुलन में मदद करती है।
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हवाई अड्डे ने उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया है, जिसके अंतर्गत एक 7.84MW सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी शामिल है।
- इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया भर में हवाई अड्डों के लिए उपलब्ध प्रमाण पत्र का उच्चतम स्तर **"लेवल 3 + न्यूट्रैलिटी"** प्राप्त हो जाएगा।

कार्बन न्यूट्रैलिटी क्या है?

- कार्बन न्यूट्रैलिटी तब प्राप्त होती है जब पूरे वर्ष की अवधि में नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है या हवाई अड्डे उत्पादित उत्सर्जन के बराबर मात्रा में उत्सर्जन का अवशोषण या समायोजन करता है।
- इस उपलब्धि का प्रमाणन ACI(Airports Council International) द्वारा एअरपोर्ट कार्बन प्रमाणन/प्रत्यायन के तहत किया गया है। ACI कार्बन उत्सर्जन के प्रबंधन और उसे कम करने के लिए हवाई अड्डों के प्रयासों पर नजर रखता है।

VISION IAS

आगे की राह

- इस उपलब्धि से हमारे क्षेत्र में अन्य हवाई अड्डों के लिए एक नया बेंचमार्क निर्धारित होगा।
- यह उपलब्धि भारत की प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक अच्छा कदम है।
- **ऊर्जा संरक्षण** और **हरितऊर्जा उत्पादन के लिए वैकल्पिक समाधान** की खोज पर फोकस बढ़ाया जाना चाहिए।
- अब IGI का लक्ष्य अपनी सौर बिजली उत्पादन क्षमता में 2020 तक **20MW** तक वृद्धि करना है।

7.5. वायु प्रदूषण के स्तर पर WHO का अध्ययन

(WHO Study on Air Pollution Levels)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- WHO द्वारा उद्योगों, कारों और बायोमास से उत्पन्न अत्यंत सूक्ष्मकणों की पहचान समय से पहले होने वाली मृत्यु के कारण के रूप में की गयी है।
- WHO द्वारा किए गए और सितंबर 2016 में सार्वजनिक किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण से 2012 में कम से कम 600,000 भारतीयों की मृत्यु हुई।
- यह दुनिया भर में हुई उन 30 लाख मृत्यु का पांचवां हिस्सा है जिनकी मृत्यु कणकीय पदार्थ (PM2.5) के संपर्क में आने से हुई।

वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण

- जब वायुमंडल की वायु कणकीय पदार्थ (PM) से भर जाती है तो यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है।
- शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहनों से उत्सर्जित धुआं है।
- जिन एयर कंडीशनर इकाइयों के फिल्टर नियमित रूप से नहीं बदले जाते हैं उनमें धूल जमा हो जाती है और ऐसी AC इकाइयाँ घर के अन्दर की वायु, जिसमें हम सांस लेते है, में प्रदूषकों का प्रसार करती हैं।
- रसायन और विषाक्त प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं। ये प्रदूषक कारखानों, ऑटोमोबाइल और किसी औद्योगिक या विनिर्माण संयंत्र से आते हैं।
- वायु प्रदूषण का एक अन्य स्रोत धूल और गंदगी है जो कि कृषि और निर्माण उद्योग में दैनिक श्रम के कारण वायु में चली जाती है।
- निर्माण उद्योग में सामान्य विध्वंस, खेतों पर काम कर रहे ट्रैक्टर और भूमि की सफाई के कारण उड़ने वाली धूल वायु में चली जाती है।
- पर्याप्त वेंटिलेशन के बिना घरेलू रसायनों का उपयोग घर के अंदर वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।
- ज्वालामुखी, धूल तूफान (डस्ट स्टॉर्म), और जंगल की आग वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण हैं।

अध्ययन की विधि

- इस अध्ययन के निष्कर्ष 3000 से अधिक स्थानों, ग्रामीण और शहरी दोनों, के लिए उपग्रह मापन, हवाई परिवहन मॉडल और भूमि स्टेशन मॉनिटर पर आधारित आंकड़ों के आधार निकाले गए हैं।
- यह प्रदूषक स्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राष्ट्रीय डेटा पर भी निर्भर करता है।
- यह ब्रिटेन के बाथ विश्वविद्यालय के सहयोग से WHO द्वारा विकसित की गयी है।

अध्ययन द्वारा निष्कर्षित प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, **भारत सिर्फ चीन से पीछे है,** जहाँ एक अनुमान के अनुसार इसी अवधि में 800,000 लोगों की मृत्यु हुई है।
- विस्तृत अध्ययन में भारत में होने वाली मौतों के लिए विभिन्न कारणों को नीचे दिखाया गया है।

✓ इस्कीमिक हृदय रोग के कारण 2,49,388 लोगों की मृत्यु

✓ स्ट्रोक के कारण 1,95,001 लोगों की मृत्यु

✓ क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से 1,10,500 लोगों की मृत्यु

✓ फेफड़ों के कैंसर से 26,334 लोगों की मृत्यु

- इस अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण का यह वास्तविक प्रभाव वस्तुतः एक **"रूढ़िवादी आंकड़ा" (conservative figure)** है,क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आक्साइड (NOx) या ओजोन (O3) जैसे अन्य वायु प्रदूषकों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव शामिल नहीं हैं।
- अध्ययन के अनुसार, दुनिया के सभी क्षेत्र प्रभावित हैं, हालांकि, **कम आय वाले शहरों** में आबादी सर्वाधिक प्रभावित है।
- अध्ययन के अनुसार, सभी प्रदूषकों में से सूक्ष्म **कणों का** स्वास्थ्य पर **सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।** PM 2.5 कई हृदय संबंधी रोगों और फेफड़ों के कैंसर के लिए सीधे तौर पर या उनके दुष्प्रभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

महत्व

वायु प्रदूषण के बारे में जानने के लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन WHO रिपोर्ट पुनः एक आंख खोलनेवाली बात के रूप में कार्य करती है। अध्ययन संख्यात्मक दृष्टि से प्रभाव के स्तर की ओर संकेत करता है।

- यह उपेक्षा के स्तर और हमारे देश में प्रदूषण के अंधाधुंध स्तर और इसके प्रतिकूल प्रभावों को दर्शाता है।
- यह PM2.5 के नकारात्मक परिणामों के बारे में नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा।
- वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

वायु प्रदूषण की सामाजिक और आर्थिक लागत

- विश्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के कारण कल्याण की लागत और खोयी श्रम आय (lost labour income) 2013 में भारत की GDP के 8.5% के बराबर थी।
- जहां प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
- विश्व बैंक और वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1990 और 2013 के बीच होने वाली समय-पूर्व मौतों में 94% की वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण से होने वाले कुल कल्याण घाटे में वृद्धि हुई।

आगे की राह

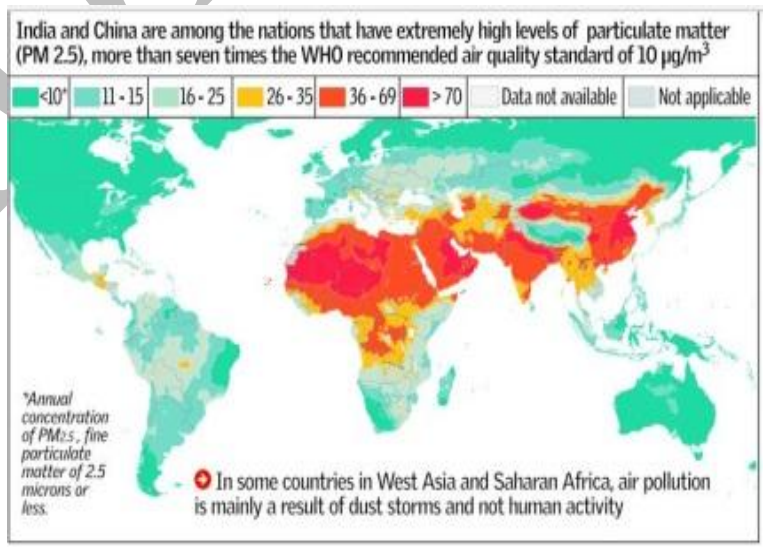

- वनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वन आवरण आवश्यक हैं।
- ग्रीन बेल्ट बनाया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को घनी आबादी वाले शहरों के आसपास विकसित किया जाना चाहिए।
- ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों के साथ बड़ी इमारतों और उद्योगों की स्थापना पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए।
- ऑटोमोबाइल इंजन को इस तरह से रिडिजाइन किया जाना चाहिए कि उनके उत्सर्जन से कम से कम प्रदूषण हो।
- जीवाश्म ईंधन के जलने से हानिकारक गैसें और कणकीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो वायु में चले जाते हैं। इसके लिए विकल्पों, विशेष रूप से हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- इनडोर प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन और वैज्ञानिक पद्धति से डिज़ाइन किया गया कुकिंग स्टोव प्रदान करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से एक सुरक्षित दूरी पर स्थित होना चाहिए।
- जंगल की आग की जाँच की जानी चाहिए। वनों की रक्षा के लिए पर्याप्त निवारक उपाय अपनाये जाने चाहिए।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सस्ते उपकरणों का विकास किया जाना चाहिए।

VISION IAS

7.6. GM सरसों

(GM Mustard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत की जेनेटिक इंजीनियरिंग विनियामक की तकनीकी उप-समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म DMH -11 (धारा सरसों हाइब्रिड 11) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पशुओं के लिए असुरक्षित नहीं है।
- इस संबंध में नियामक, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गयी है, जिसमें अगले 30 दिनों में जनता से सुझाव मांगे गए हैं।

विवरण

- ये नए प्रोटीन अर्थात् Barnase और Barstar खाद्य भागों में नगण्य से पता न लगाये जा सकने वाले स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं और इन्हें आमतौर पर पाए जाने वाले गैर-रोगजनक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है।
- बायोइन्फार्मेटिक्स और प्रायोगिक पशुओं में तीव्र विषाक्तता अध्ययन के माध्यम से इन तीनों में से किसी भी प्रोटीन को विषाक्त या एलर्जी कारक नहीं दिखाया गया है।

Barnase और Barstar जीन पौधों में पुरुष बाँझपन पैदा करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। यह TA29 जीन को लक्ष्य करता है।
बायोइन्फार्मेटिक्स: जैविक जानकारी के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

मंजूरी की प्रक्रिया

- जनता से प्राप्त सुझावों का GEAC द्वारा मूल्यांकन यह देखने के लिए किया जाता है कि कहीं जैव-सुरक्षा के संबंध में प्रमाणों को नजरअंदाज तो नहीं किया गया है।
- अगर ऐसी कोई चिंतायें नहीं है, GEAC को व्यावसायिक खेती के लिए DMH -11 की सिफारिश करने के संबंध में निर्णय लेना होगा।
- GEAC की सिफारिश को पर्यावरण मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

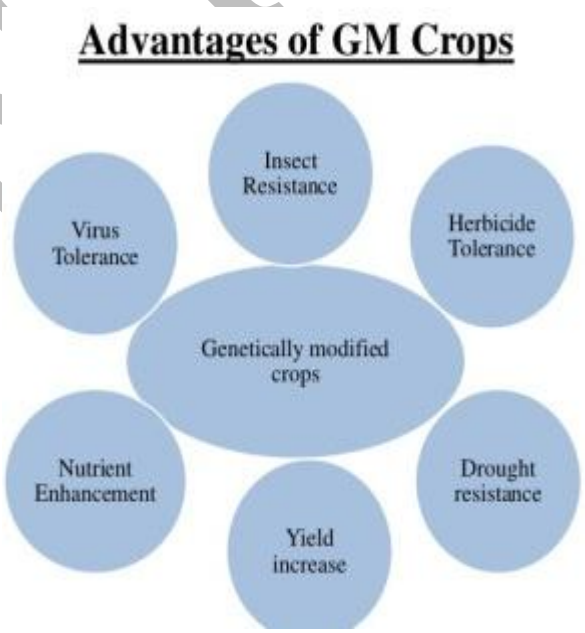

जैव संवर्द्धित सरसों के पक्ष में तर्क:

- वर्ष 2014-15 में भारत ने 10.5 अरब डॉलर का लगभग 14.5 लाख टन खाद्य तेल आयात किया था। इसलिए, घरेलू फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए तथा आयात पर निर्भरता में कटौती करने के लिए इसकी जरूरत है।
- वर्ष 2002 से अब तक बीटी संकर (Bt hybrids) के रोपण के कारण, देश में कपास के उत्पादन में ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। पुनः मानव पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है।
- हम जैव संवर्द्धित फसल का उपयोग करने वाले देशों से ही खाद्य तेल का आयात करते हैं।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के CGMCP केंद्र ने जैव संवर्द्धित सरसों को मुफ्त वितरित करने का वादा किया है।

प्रमुख चिंताएं

- GM फसलों का पर्यावरण और वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में ठीक से शोध नहीं किया गया है।
- कीट प्रतिरोधी फसलें, तितली, मधुमक्खी आदि जैसे गैर-लक्षित और सहायक कीटों को प्रभावित कर सकती हैं।
- इसके अलावा कीट और कीड़े विष के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं।
- एक संभावना यह भी है कि शाक प्रतिरोधी पौधे अनियंत्रित वीड या 'सुपर वीड' उत्पादित करें।
- वे उपज में वृद्धि करते हैं लेकिन यहाँ एक चिंता यह भी है कि एक ऐसे देश में जहां बड़े पैमाने पर किसान कर्ज में डूबे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ GM फसलें इनपुट लागत में वृद्धि करती हैं।

VISION IAS

- टर्मिनेटर बीज: GM फसलों के साथ प्रमुख मुद्दों में से एक यह है कि जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां (जैव विविधता पर UN कन्वेंशन के माध्यम से एक वैश्विक स्थगन के बावजूद) जेनेटिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी (GURT) का सहारा लेकर टर्मिनेटर बीज का उत्पादन कर सकती हैं, ये बीज एक फसल के लिए ही उपयोग किये जा सकते हैं तथा एक फसल के बाद अगली बुवाई के लिए बीज दिए बिना फसल समाप्त हो जाती है।
  - ✓ इससे किसानों को प्रत्येक रोपण के लिए नए बीज खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो उनकी आत्मनिर्भरता कम कर देता है और उन्हें प्रमुख बीज और रासायनिक कंपनियों पर निर्भर बनाता है।
  - ✓ इसके अलावा इस तरह की तकनीकों, जो भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, को निजी कंपनियों के हाथों में रखना खतरनाक है।
- बीटी कपास के मामले में, किसानों ने 'बीज एकाधिकार', स्थापित करने वाली कंपनी का विरोध किया है जो कि कीमतों में असंगति पैदा कर रही हैं तथा मूल्य नियंत्रण पर सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती।
  - ✓ इन कंपनियों को पिंक बुल्वार्म जैसे कीटों के हमले की वजह से हुए नुकसान के लिए अभी तक उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।
- मृदा स्वास्थ्य और मृदा जीवों पर GM फसलों के प्रभाव ज्ञात नहीं हैं।
- पादप (और जंतु) जैव विविधता पर प्रभाव को रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
- मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है: ऐसे जीवों के जीन को इन्सर्ट करने से जिनका भोजन के रूप में कभी उपयोग नहीं किया गया है, मानव और पशुओं की खाद्य श्रृंखला में नए प्रोटीन का प्रवेश होगा। इस संबंध में यह चिंता है कि यह एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य प्रभावों का कारण बन सकता है।
  - ✓ कई GM फसलों में ऐसे जीन हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं जैसे कि एम्पीसिलीन के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यहाँ चिंता यह है कि ये जीन मनुष्यों और पशुओं की आंतों में भोजन से बैक्टीरिया में जा सकते हैं।

आगे की राह

- एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक, जो कि किसी भी दबाव से मुक्त हो (जैसा कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक में कल्पना की गई थी)।
- बीज एकाधिकार जैसे मुद्दों पर जवाबदेही तय करने के लिए एक कानून भी वांछित है।
- इस साल अप्रैल में, CIC ने RTI के Sec IV और जैव सुरक्षा पर कार्टजेना प्रोटोकॉल के तहत GM सरसों जैव सुरक्षा डाटा को सार्वजनिक करने को मंत्रालय से कहा था। लेकिन मंत्रालय इसके विरुद्ध था। इसे परिवर्तित होना चाहिए क्योंकि GEAC के निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में लोगों के और वैज्ञानिक विश्वास को बढ़ाने के लिए आंकड़ों तथा कार्यकलापों के संदर्भ में पारदर्शिता आवश्यक है।

7.7. मोनसेंटो का स्वदेशी GM विकल्प

(Desi GM Alternative to Monsanto)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय वैज्ञानिकों ने कपास की खेती में स्वदेशी **ट्रांसजेनिक इवेंट** के दो नए सेट का विकास किया है जोकि मोनसेंटो बीजों के लिए एक संभावित विकल्प है।

प्रमुख बिंदु

- **दिल्ली विश्वविद्यालय** के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (CGMCP) के वैज्ञानिकों ने cry1Ac जीन की प्रविष्टि के लिए दो स्वतंत्र **इवेंट** को विकसित किया है।
- cry1Ac **जीन** एक मृदा जीवाणु Bacillus thuringiensis (Bt) से अलग किया गया है और अमेरिकी बॉलवार्म कीट के लिए विषैला होता है।
- अन्य प्रमुख स्वदेशी GM इवेंट **राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (NBRI) लखनऊ** द्वारा विकसित **व्हाईटफ्लाई-प्रतिरोधी कपास** है।
- वैज्ञानिकों ने एक खाद्य फर्न Tectaria macrodonta से एक जीन को अलग किया है और उसका क्लोन तैयार किया है।

- Tma12 जीन एक प्रोटीन को एनकोड करता है जो **व्हाईटफ्लाई** के लिए विषाक्त है।

महत्व

- CGMCP की दो नई इवेंट्स मोनसेंटो बॉलगार्ड II पर निर्भरता कम करेंगी।
- cry1Ac प्रोटीन अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) का स्तर मोनसेंटो द्वारा बॉलगार्ड I और बॉलगार्ड II तकनीक द्वारा विकसित बीटी कपास किस्मों की तुलना में बहुत अधिक है।
- दोनों **इवेंट** में cry1Ac प्रोटीन अभिव्यक्ति में एक से दूसरे फसली मौसम में गिरावट आती है, लेकिन कुल मिलाकर इसका स्तर मोनसेंटो की cry1Ac घटना MON531 की तुलना में दो-तीन गुना अधिक है।
- ये घटनायें बीटी कपास किस्म को बॉलवार्म हमलों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी कर देंगी।
- **उच्च प्रोटीन अभिव्यक्ति** बीटी कपास की पिंक बॉलवार्म के प्रति बढ़ती असुरक्षा को संबोधित करेगी।
- दोनों CGMCP और NBRI **इवेंट** ऐसे समय में आयी हैं जब वर्तमान में उगायी जा रही बीटी संकर में पिंक बॉलवार्म और व्हाईटफ्लाई की संवेदनशीलता बढ़ रही है।
- न केवल कुल उत्पादन गिर गया है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी कमी आयी है।

7.8. हेरिटेज हीरोज अवार्ड

(Heritage Heroes Award)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- असम के पर्यावरणविद और संरक्षण कार्यकर्ता **बिभूति लहकर** IUCN के प्रतिष्ठित हेरिटेज हीरोज अवार्ड से सम्मानित किये जाने वाले पहले एशियाई बन गये हैं।
- उन्होंने IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस में यह अवार्ड प्राप्त किया।

बिभूति लहकर का कार्य

- वे पिछले दो दशकों से मानस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के घास के मैदानों, वनस्पतियों और जीवों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
- वर्तमान में वे पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन आरण्यक के लिए मानस लैंडस्केप प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- उन्होंने **मानस वन्यजीव अभयारण्य** को **भूटान में स्थित रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान** के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- उन्होंने मानस क्षेत्र का एक GIS सर्वेक्षण भी किया था और उनके शोध के निष्कर्ष मानस बाघ संरक्षण में अत्यधिक लाभकारी थे।

हेरिटेज हीरोज अवार्ड क्या है?

- हेरिटेज हीरोज अवार्ड IUCN द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक कोने में, कुछ बहादुर लोगों के उत्कृष्ट प्रयासों को पहचान प्रदान करना है, जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की पद्धतियों में बदलाव लाने के लिए लगातार, कभी-कभी जानलेवा स्थितियों के बावजूद, प्रयास कर रहे हैं।
- इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के महत्व को पहचानने के लिए लोगों को प्रेरित करना और सामूहिक रूप से उनके संरक्षण में निवेश करने की आवश्यकता की पहचान करना है।

7.9. राष्ट्रीय गंगा परिषद

(National Ganga Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) के प्राधिकार के आदेश, 2016 को मंजूरी दी गई।
- यह आदेश नीति और कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचा लागू करता है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को स्वतंत्र और जवाबदेह ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करता है।
- प्राधिकरण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक मिशन का दर्जा और तदनुरूप शक्ति भी प्रदान की जाएगी।

प्रमुख निष्कर्ष

- गंगा नदी के लिए नई परिषद प्रदूषण की रोकथाम और गंगा के कायाकल्प के लिए मौजूदा **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण** (NGRBA) का स्थान लेगी।
- एक अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की स्थापना जो विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और राज्यों के तहत एक कार्य योजना के अस्तित्व और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- NMCG में एक शासी परिषद और एक कार्यकारी समिति के साथ एक दो स्तरीय संरचना होगी।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णय का अनुपालन करेगी।
- राज्य स्तर पर उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य गंगा समितियों गठन किया जाएगा।
- इसी प्रकार, गंगा के किनारे स्थित प्रत्येक जिले में जिला गंगा समितियों गठन किया जाएगा और राज्य समितियों द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी।
- जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास के उद्देश्य के साथ पुर्नोत्थान संरचना का विशेष ध्यान गंगा में पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखने पर होगा।
- गंगा बेसिन में मलजल उपचार के बुनियादी ढांचे के त्वरित गति से निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी पर आधारित एक अभिनव मॉडल को भी मंजूरी दी गई है।

महत्व

- NMCG के पास अब आदेश जारी करने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग की शक्ति होगी। अब यह प्रदूषकों पर जुर्माना लगा सकती है।
- NMCG केवल गैर-अनुपालन के मामले में कार्रवाई करेगी जब CPCB ऐसा नहीं करे।
- CPCB, NMCG के साथ संयुक्त रूप से भी कार्रवाई कर सकता है।
- यह बुनियादी ढांचा, पारिस्थितिक प्रवाह, प्रदूषण में कमी और नदी के कायाकल्प को सुनिश्चित करेगा।
- प्राधिकरण प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने और अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए निरीक्षण करने के लिए भी सक्षम होगा।

7.10. गंगा डॉल्फिन

(Gangetic Dolphins)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वैज्ञानिकों और वन्य जीवन संरक्षणवादियों का मानना है कि **राष्ट्रीय जलमार्ग -1** (NW-1) परियोजना के तहत गंगा का विकास **गंगा डॉल्फिन** के अस्तित्व के लिए खतरा है।
- **गंगा नदी डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र** नदियों में पाई जाने वाली **नदी डॉल्फिन** की एक उप-प्रजाति है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना **के तहत अंतर्देशीय परिवहन के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच** एक **1600 किलोमीटर जलमार्ग** को विकसित करने की एक योजना बनाई है।
- अभी परियोजना का प्रथम चरण हल्दिया से वाराणसी (1300 किमी.) जारी है।
- NW1 को संभावित यातायात भीड़ को कम करने के साथ उत्तरी भारत के लिए एक लोजिस्टिक्स प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है।
- NW1 को कवर करने वाला यह विस्तार नदी डॉल्फिन के लिए आवास है।
- गंगा में लगभग 2500 नदी डॉल्फिन हैं और इनकी संख्या कम हो रही है।
- नदी डॉल्फिन को 1966 में IUCN द्वारा 'इन्डेन्जर्ड' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये प्रजातियां व्यावहारिक रूप से दृष्टिहीन होती हैं और आस-पास गति के लिए जैव-सोनार तरंगों पर निर्भर करती हैं।

7.11. मदुरै में लागर फाल्कन (बाज) के निवास का विनाश

(Habitat Destruction of Laggar Falcon in Madurai)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लागर फाल्कन, एक समय जिनकी पर्याप्त संख्या अस्तित्व में थी, अब मदुरै में अरित्तापत्ति चट्टान की चोटी पर इस प्रजाति के केवल दो पक्षी शेष हैं।
- वे शायद पिछले दो साल में पूरे दक्षिण भारतीय क्षेत्र में देखे गए इस प्रजाति के दो मात्र पक्षी हैं।
- प्राकृतिक निवास में पक्षियों के अध्ययन करने वालों के लिए, अमेरिका स्थित वेब पेज eBird पर लागर फाल्कन का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

संख्या में गिरावट के कारण

- वैगई नदी की तली से अंधाधुंध रेत उत्खनन और मदुरै के कई हिस्सों में अंधाधुंध ग्रेनाइट और पत्थर उत्खनन ने इन पक्षियों के निवास स्थान के विनाश को प्रेरित किया है।
- इन क्षेत्रों में खजूर के पेड़ों की कटाई, जो कई रैप्टर प्रजातियों के लिए नेस्टिंग स्पॉट है, भी पक्षियों के विलुप्त होने के कारणों में से एक है।

लागर फाल्कन बारे में

लागर फाल्कन सफेद और भूरे रंग के पंखों वाली एक स्वदेशी रैप्टर प्रजातियां हैं, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से उड़ और शिकार कर सकती हैं। यह लानर बाज़ जैसा दिखता है, लेकिन रंग में अधिक गहरा होता है।

7.12. विशालकाय पांडा अब लुप्तप्राय नहीं

(Giant Panda no Longer Endangered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- IUCN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पांडा अब **'इन्डेन्जर्ड'** के बजाय **"वल्नरेबल"** के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- IUCN की रिपोर्ट जंगली पांडा की बढ़ती संख्या के लिए वर्गीकरण में परिवर्तन को जिम्मेदार बताती है।
- चीनी एजेंसियों द्वारा अवैध शिकार प्रतिबंध को लागू करने और वन आरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में प्रयास के परिणामस्वरूप पांडा की आबादी वर्ष 2004 में 1,596 से बढ़कर 2014 में 1,864 हो गयी।
- रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 80 वर्ष में पांडा के प्राकृतिक बांस निवास स्थान (bamboo habitat) के 35 प्रतिशत से अधिक के समाप्त होने का अनुमान है।

7.13. इंडियन पेंटेड फ्रॉग /भारतीय चित्रित मेंढक

(Indian Painted Frog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक दुर्लभ **इंडियन पेंटेड फ्रॉग** तेलंगाना के आदिलाबाद में बेज्जुर(Bejjur) वन में पहली बार देखा गया।
- यह उस क्षेत्र के बाहर पाया गया है जो इस प्रजाति के लिए मैप्ड वितरण क्षेत्र नहीं है।

भारतीय चित्रित मेंढक

- यह प्रजाति पेड़ की कोटर, बिल, प्रदूषण मुक्त झीलों और नदी क्षेत्रों में पायी जाती है।
- इसे IUCN द्वारा संकटमुक्त (least concern) प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।

बेज्जुर रिजर्व वन

- बेज्जुर रिजर्व वन तेलांगना जिले के पूर्वी भाग में प्राणहिता नदी के तट पर स्थित है।
- पेड्डवागू धारा बेज्जुर रिजर्व वन के बीच से बहती है।
- यहाँ 50 से अधिक प्रकार के पेड़ हैं। यहाँ दुर्लभ धारीदार लकड़बग्घा, तेंदुआ और गौर को छोड़कर लगभग सभी खुर वाले जानवरों की उपस्थिति है।

7.14. पीका की नई प्रजाति

(New Species of Pika)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सिक्किम में हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में "ओकोटोना सिकिमरिया" (“Ochotona sikamaria") नामक एक नई पीका प्रजाति की खोज की गई है।
- इस नई प्रजाति की खोज आनुवंशिक डेटा और खोपड़ी के माप के आधार पर किये गए अध्ययन से हुई है।
- यह अध्ययन "मॉलिक्यूलर फायलोजेनेटिक्स एंड एवोलूशन" नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

सिक्किम पीका के विषय में और अधिक जानकारी

- पीका परिवार ये सदस्य बिना पूंछ वाले चूहों की तरह दिखते हैं।
- वे जलवायु परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं।

7.15. प्रकम्पन-2016

(Prakampana-2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तीन दिवसीय संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास प्रकम्पन ('cyclone’ अर्थात चक्रवात के लिए संस्कृत शब्द) का आयोजन सितंबर 2016 में विशाखापत्तनम (विजाग) में किया गया।
- अभ्यास का आयोजन संसाधनों और आपदा प्रबंधन में शामिल सभी एजेंसियों के प्रयासों के बीच तालमेल के उद्देश्य से किया गया था।
- इसका आयोजन **पूर्वी नौसेना कमान** द्वारा संबंधित केन्द्र और राज्य के प्राधिकारियों के सहयोग से किया गया।

महत्व

- **प्रकम्पन** मानवीय सहायता और आपदा राहत स्थितियों के दौरान सशस्त्र बलों और नागरिक प्रशासन के बीच एक सहक्रिया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा राहत बल के सहयोग से सशस्त्र बलों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
- यह अभ्यास वर्तमान परिदृश्य में महत्व रखता है क्योंकि भारत में प्राकृतिक खतरों और आपदाओं का जोखिम पर्याप्त है।
- इसी तरह के अभ्यास को विशिष्ट क्षेत्रों में आपदाओं के लिए आयोजित किया जा सकता है जैसे हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, मध्य भारत में सूखे की स्थिति और यहां तक कि उच्च दुर्घटना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के लिए।

VISION IAS

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1 जोगी आदिवासी कला

(Jogi Tribal Art)

सुर्खियों में क्यों?

- राजस्थान सरकार ने पूरे जयपुर में जोगी आदिवासी कला के चित्रों को प्रदर्शित किया है। सरकार ने यह कदम लोगों को जागरूक करने और पारंपारिक कलाओं को जीवित रखने के लिए उठाया है।
- इन चित्रों को रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बसों, होर्डिंग इत्यादि स्थानों पर लगवाया गया है।

जोगी आदिवासी कला क्या है?

- जोगी कला आदिवासी कला का एक रूप है जिसमें लाइनों और डॉट्स का प्रयोग किया जाता है।
- इसमें मुख्यतः सफेद और काले रंग का प्रयोग किया जाता है परंतु हाल ही में जयपुर में किए गए चित्रों के प्रदर्शन में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है।
- यह राजस्थान के सिरोही जिले के रियोदर तहसील के मगरीवाड़ा के कलाकारों द्वारा बनाया जाता है।
- दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में यह चित्रकला सिर्फ एक ही परिवार द्वारा बनाई जाती है।

8.2 चित्रकला की बूँदी शैली

(Bundi School of Painting)

सुर्खियों में क्यों?

- राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सजाने के लिए प्रयुक्त कला शैलियों में से एक बूँदी चित्रकला शैली भी है।
- कोटा रेलवे स्टेशन को सजाने के लिए इस कला का प्रयोग किया गया है।

बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी

- बूँदी चित्रकला शैली भारतीय मिनिएचर (लघुचित्र) पेंटिंग की राजस्थानी शैली है जो 17वीं से 19वीं सदी तक प्रचलित थी।
- इसका अस्तित्व मुख्य रूप से बूंदी और पड़ोसी रियासत कोटा में भी था।
- बूंदी शैली की विशेषताओं में मुख्यतः हरे भरे पेड़-पौधे, काली रात और अलग तरीके से पानी में हल्की उथलपुथल का चित्रण किया जाना है।
- बूंदी शैली का मुगल शैली के साथ नजदीकी संबंध है।
- बूंदी शैली में कृष्ण की जीवन लीला, शिकार दृश्य, जुलूस, प्रेम दृश्य, पशु पक्षियों इत्यादि के चित्रण पर बल दिया जाता है।

8.3. नाथद्वारा पेंटिंग

(Nathdwara Painting)

सुर्खियों में क्यों?

- राजस्थान सरकार ने उदयपुर रेलवे स्टेशन को नाथद्वारा चित्रकला से चित्रित करवाया है। यह पारंपरिक कला रूपों के जीवंत बनाए रखने के प्रयासों में से एक है।

नाथद्वारा पेंटिंग के बारे में अधिक जानकारी

- यह राजस्थान के नाथद्वारा के कलाकारों द्वारा विकसित एक शैली है।
- नाथद्वारा पेंटिंग मेवाड़ शैली की एक उपशैली मानी जाती है, जिसे 17वीं से 18वीं सदी के मध्य एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में माना जाता था।
- इन चित्रों की कई उपशैलियाँ है जिसमें पिछवाई चित्रकला सबसे लोकप्रिय है।
- पिछवाई चित्रकला को कपड़े पर बनाया जाता है, जिसे हिन्दू भगवान श्रीनाथजी की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है।
- पिछवाई कला में भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया जाता है।

VISION IAS

8.4 एम एस सुब्बलक्ष्मी

(M S Subbalaxmi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एम. एस. सुब्बलक्ष्मी के जन्मदिवस की 100 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुस्वरलक्ष्मी एकेडमी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एण्ड परफोर्मिंग ऑर्ट्स, बंगलोर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में जानकारी

- 16 सितंबर 1916 को मदुरै शेनमुखावादिउ सुब्बलक्ष्मी का जन्म हुआ। उन्हें महान कर्नाटक संगीत गायिका के रूप में जाना जाता है। उनका निधन 11 दिसंबर 2004 को हुआ।
- वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतकार थीं, साथ ही रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी थीं।
- उन्हें अपने कैरियर के दौरान कई पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि प्राप्त हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके सम्मान में उनकी 100 वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया।

कर्नाटक संगीत क्या है?

- कर्नाटक संगीत को कर्नाटका संगीता या कर्नाटका संगीतम् के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो उप शैलियों में से एक है, जो हिन्दू परंपराओं से विकसित हुई है। इसमें दूसरी शैली हिन्दुस्तानी संगीत है।
- यह संगीत मुख्यतः दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है।
- कर्नाटक संगीत में गायन पर बहुत बल दिया जाता है। अधिकांश सुर जो वाद्ययंत्र पर भी बजाये जा सकते हैं उन्हें भी गाया जाता है।
- हिन्दुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो मुख्य तत्वों राग और ताल पर निर्भर है।
- कर्नाटक गायन कला प्रदर्शन में वायलिन, मृदंग, तम्बूरा,घटम्, कंजीरा, मोर्सिंग, वेणुबाँसुरी, वीणा, और चित्रवीणा इत्यादि वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2009

शास्त्रीय संगीत की हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली में क्या समानता और विषमताएँ हैं?

8.5. एशिया में सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में शामिल भारतीय संग्रहालय

(Indian Museums in Best 25 in Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ट्रिप एडवाइजर द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में 5 भारतीय संग्रहालयों को शामिल किया गया है।
- इसी सर्वेक्षण में लेह के "हॉल ऑफ़ फेम" संग्रहालय को शीर्ष अवश्य-दर्शनीय स्थलों (must-visit places) की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- सूची में शामिल अन्य चार संग्रहालय हैं: बागोर की हवेली (उदयपुर), विक्टोरिया मेमोरियल (कलकत्ता), सालार जंग संग्रहालय (हैदराबाद) और जैसलमेर युद्ध संग्रहालय (जैसलमेर)।
- भारत के शीर्ष 10 की सूची में शामिल संग्रहालय हैं: दर्शन संग्राहालय (पुणे), डॉन बोस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर्स (शिलोंग) और गाँधी स्मृति (दिल्ली)।

लेह का हॉल ऑफ़ फेम

- लेह एयरफील्ड के निकट हॉल ऑफ़ फेम का निर्माण भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था।
- इसका निर्माण भारतीय सेना द्वारा किया था और देखरेख भी भारतीय सेना द्वारा ही किया जाता है।
- संग्रहालय में न केवल सैनिकों के सन्दर्भ में बल्कि विभिन्न युद्ध में प्रयुक्त हथियारों के बारे में भी जानकारी दी गयी है।

बागोर की हवेली

- बागोर की हवेली राजस्थान के उदयपुर में एक प्राचीन भवन (हवेली) है जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है।
- इसका निर्माण 18वीं सदी में मेवाड़ के प्रधान मंत्री अमीर चंद बडवा द्वारा किया गया था।
- संग्रहालय में मेवाड़ की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है। इसके आंतरिक भाग को शीशा और दर्पण का उपयोग कर सजाया गया है।
- यहाँ परंपरागत और आधुनिक कला का भी प्रदर्शन किया गया है।
- संग्रहालय में मेवाड़ में बनाये गए भित्तिचित्र भी दर्शाये गए हैं।
- राजपूतों के अद्वितीय प्रतीक जैसे गहने-जेवरात के डब्बे, डाइस गेम, हुक्का, पान के बक्से, हाथ पंखा, सुपारी तोड़ने वाला यंत्र (नट क्रेक्कर्स), गुलाब छिडकाव यंत्र भी यहाँ प्रदर्शित किये गए हैं।

सालार जंग संग्रहालय

- सालार जंग संग्रहालय भारत के तीन राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है जो हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दरुशिफा में स्थित है।
- संग्रहालय के संग्रह के स्रोत सालार जंग परिवार की संपत्ति है।
- संग्रहालय में जापान, चीन, बर्मा, भारत, नेपाल, फारस, मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से लाये गए मूर्ति, पेंटिंग्स, नक्काशी, वस्त्र, पाण्डुलिपि, मिट्टी के बर्तन, धातु कलाकृति, कालीन, घड़ी और फर्नीचर का संग्रह है।
- कुछ महत्वपूर्ण भारतीय ऐतिहासिक संग्रह: राजा रवि वर्मा की चित्रकारी, औरंगजेब की तलवार और टीपू सुल्तान की आलमारी है।

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल

- विक्टोरिया मेमोरियल हॉल महारानी विक्टोरिया की याद में 1906 और 1921 के बीच निर्मित एक विशाल संगमरमर का भवन है। वर्तमान में यह एक संग्रहालय है।
- इस भवन की डिज़ाइन रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमर्सन द्वारा तैयार की गई थी।
- इस वास्तुकला का ताजमहल के साथ एक विलक्षण सादृश्यता है, हालांकि दोनों पूरी तरह एकसमान नहीं हैं।
- संग्रहालय में 25 गैलरियाँ हैं जिसमें रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी और द न्यूअर कलकत्ता गैलरी शामिल हैं।
- संग्रहालय में थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल के कार्य का सबसे बड़ा एकल संग्रह है।
- इसके अलावा यहाँ दुर्लभ और पुरातात्त्विक पुस्तकों का संग्रह भी है।

जैसलमेर युद्ध संग्रहालय

- जैसलमेर युद्ध संग्रहालय, जैसलमेर से 10 किमी दूर जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर स्थित है।
- इस संग्रहालय का निर्माण और देखरेख भारतीय सेना द्वारा किया जाता है।
- इस संग्रहालय का निर्माण 1965 के भारत-पाक युद्ध के युद्ध नायकों और लौंगेवाला की लड़ाई के बलिदान की यादगार के रूप में किया गया है।
- संग्रहालय भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाता है।
- यह युद्ध प्रदर्शनीय वस्तुओं को भी प्रदर्शित करता है जिसमें 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान कब्जा किये गए वाहन और उपकरण शामिल हैं।

8.6 ऑस्टेलिया ने चोरी की गई प्रतिमाएँ भारत को वापस की

(Australia Returns Stolen Sculptures to India)

सुर्खियों में क्यों?

- ऑस्टेलिया ने भारत को तीन प्राचीन प्रतिमाएँ वापस की हैं जिन्हें तस्करों द्वारा भारत से ले जाया गया था।

ये क्या हैं?

- वापस की गई प्रतिमाओं में से एक तीसरी सदी की है जो चट्टान नक्काशी से बनी है। इसका मूल्य 8,40,000 डॉलर आँका गया है। अन्य प्रतिमाओं में एक 900 वर्ष प्राचीन देवी प्रत्यंगीरा की मूर्ति और दूसरी बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है।

VISION IAS

- इन प्रतिमाओं को फोटोग्राफीक प्रणाम के आधार पर लौटाया गया है, जो कुछ दशक पूर्व तक इनके भारत में होने की ओर इशारा कर रहे थे।
- इन मूर्तियों को भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाएगा।
- ऑस्टेलिया की नेशनल गैलरी में ऐसी सात और वस्तुओं की जांच की जा रही है।

8.7 तिरूमलई नायक महल

(Trinumalai Nayak Palace)

सुर्खियों में क्यों?

- तिरुमलई महल में प्रतिदिन लाईट और साउंड शो के माध्यम से राजा के जीवन और महल के वास्तुकला का प्रर्दशन किया जाता है।
- यह मदुरै के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।

तिरूमलई नायक महल

- 17वीं सदी में 20 एकड़ भूमि पर बने इस महल में राजा तिरूमलई नायक ने दक्षिण भारत की भव्यता का प्रदर्शन किया था।
- यह महल द्रविड और राजपूत शैली का शास्त्रीय संगम है।
- 1636 में निर्मित यह महल अपने 248 खंभों के लिए प्रसिद्ध है।
- वर्तमान में मूल संरचना का सिर्फ एक चौथाई अंश ही बाकी है।
- स्वतंत्रता पश्चात इस महल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया।

8.8 कनक मूर्ति

(Kanaka Murthy)

सुर्खियों में क्यों?

- कनक मूर्ति कन्नड मूर्तिकार हैं जिन्होंने कर्नाटक का सर्वोच्च मूर्तिकला पुरस्कार प्राप्त किया है।

कनक मूर्ति कौन है?

- कनक मूर्ति देश की एकमात्र महिला मूर्तिकार है जिनकी बनाई प्रतिमाओं की मंदिरों में पूजा की जाती है।
- उनकी मूर्तियों में चोल, होयसल और चालुक्य शैलियों की यथावत प्रतिकृतियां शामिल हैं।
- उनकी बनाई मूर्तियाँ कई विशिष्ट स्थानों पर लगाई गई हैं जैसे विश्वेश्वरैया औद्योगिक संग्रहालय में राइट बंधुओं की प्रतिकृति।
- उन्होंने कई मूर्तिकला वर्कशॉप (कार्यशालाओं) को भारत भर में आयोजित किया है।

VISION IAS

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. अपने निजी कृत्यों के लिए सरकारी अधिकारियों का नैतिक उत्तरदायित्व

(Ethical Responsibility of Public Officials for Their Private Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ऐसे कई उदाहरण हैं जो अक्सर इस सन्दर्भ में ज्वलंत बने रहते हैं कि "क्या सरकारी अधिकारी अपने ऐसे निजी कार्यों के लिए नैतिक दृष्टि से ज़िम्मेदार हैं, जो विधिक रूप से तो सही हैं किन्तु सामजिक रूप से विवादास्पद हैं?"

सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनैतिक आचरण

- सरकारी नैतिकता के विवादास्पद क्षेत्रों में से एक सरकारी अधिकारियों का व्यक्तिगत नैतिक आचरण है। यहाँ अंतर्निहित चिंता का विषय यह है कि क्या लोक सेवक या निर्वाचित अधिकारी अच्छे नैतिक चरित्र का व्यक्ति है और सार्वजनिक पद धारण करने योग्य है।
- कई देश अनैतिक आचरण के कुछ रूपों को निषिद्ध करते हैं, विशेष रूप से ऐसे आचरण जो प्रत्यक्षतः सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए,

✓ सह-कर्मचारियों एवं अधीनस्थों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार,

✓ भेदभाव का निषेध,

✓ वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता के साथ संबंधों में सामान्यतः उनसे ईमानदार होने की उम्मीद की जाती है।

- अनैतिक आचरण के अन्य रूपों , खास तौर पर जिनका व्यक्ति के आधिकारिक कर्तव्यों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, का विनियमन इससे कहीं अधिक विवादस्पद विषय है।
- कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि निजी जीवन में विवाहेत्तर संबंधों में या अतीत में मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त लोगों का नैतिक चरित्र खराब है अतः ऐसे लोगों पर एक लोक अधिकारी के रूप में विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, यह तर्क दिया जा सकता है कि सरकारी अधिकारियों का मूल्यांकन उनकी पेशेवर योग्यताओं के आधार तक सीमित होना चाहिए न कि उनके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर। यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सरकारी अधिकारियों को अपने निजी जीवन में एक निश्चित सीमा तक गोपनीयता का अधिकार है।

क्या एक राजनीतिज्ञ सार्वजनिक जीवन नैतिक हो सकता/सकती है यदि अपने निजी जीवन में अनैतिक है?

- यह सवाल अनेक प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा समर्थित लम्बे समय से चली आ रही बहस "सदगुणों की एकता (unity of virtues)" से सम्बंधित है।
- **सदगुणों की एकता:** एक व्यक्ति- विवेक, संयम, साहस और न्याय जैसे सभी मौलिक गुणों से युक्त हुए बिना इनमें से किसी एक गुण को अकेला धारण नहीं कर सकता। अर्थात कोई व्यक्ति या तो इनमें से सभी गुणों को धारण करेगा या किसी भी गुण को नहीं। उदाहरण के लिए, अपनी पत्नी को धोखा देने वाले राजनेता पर लोक कार्य के मामले विश्वास नहीं किया जा सकता।
- इसके अलावा यह तर्क भी दिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय कार्यों में से एक कार्य शैक्षणिक भी है - जिससे अगली पीढ़ी की सोच को आकार देने में सहायता करना है। इसलिए, एक लोक सेवक को अच्छे आचरण के एक उदाहरण के रूप में कार्य करना चाहिए।
- किन्तु राजनीतिक पद वर्तमान में वह नहीं है जो प्राचीन समय में हुआ करता था। प्राचीन नेताओं के लिए नैतिक विशेषज्ञता का सर्वाधिक महत्व था। लेकिन आज, हम अपने नेताओं से नितांत भिन्न प्रकार की - जैसे आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक नीति के क्षेत्र इत्यादि में विशेषज्ञताओं की अपेक्षा करते हैं।

एक राजनीतिज्ञ के निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा कहाँ है?

- सार्वजनिक हस्तियों सहित हर व्यक्ति निजता के अधिकार का हकदार है।
- किन्तु कुछ मुद्दे, जिन्हें सामान्य व्यक्ति के लिए निजी मामले के तौर पर देखा जाता है, वे तार्किक रूप से सार्वजनिक हित के मामले भी बन सकते हैं यदि वह व्यक्ति कोई लोक अधिकारी हो।
- एक लोक सेवक बनने का अर्थ जनता के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर रखना है।

VISION IAS

- यदि कोई निजी मामला पदाधिकारी के कर्तव्यों को दुष्प्रभावित करता है तो वह निजी नहीं है। अतः ऐसे व्यवहार, जो पदाधिकारी के प्रदर्शन पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं, जैसे वित्तीय समस्यायें, खास कर उस व्यक्ति के सन्दर्भ में जो बजटीय जिम्मेदारियों से युक्त है, तो वे निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के विषय हैं ।
- चूंकि एक राजनीतिज्ञ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में निर्वाचकों का बेहतर प्रतिनिधित्व तभी सुनिश्चित होगा यदि वह व्यक्तिगत और निजी जीवन दोनों में ईमानदारी और विश्वसनीयता के गुणों का अभ्यास करता/करती है।

राजनीतिज्ञों का निजी व्यवहार कौन सी नैतिक दुविधाएं उत्पन्न करता है?

- क्या राजनेता अभी भी इस व्यवहार में संलिप्त हैं?
- क्या राजनीतिज्ञ पाखंडी रहा है? उदाहरण के लिए, प्रेम संबंधों का सार्वजनिक हो जाना किसी ऐसे राजनेता के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकता है जिसने पारिवारिक मूल्यों को अपने अभियान का मुख्य स्तम्भ बनाया है।
- क्या उसका व्यवहार उसके पद से जुड़े कर्तव्यों के साथ हितों का टकराव पैदा करता है?
- क्या अपेक्षाकृत बड़े नैतिक वातावरण पर उसके व्यवहार का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव है?

अन्य संलग्न नैतिक मुद्दे

- **मीडिया का निजता का नीतिशास्त्र:** सार्वजनिक हस्तियों के जीवन के अभद्र विवरणों की प्रस्तुति कई मीडिया के लिए एक केंद्रीय सामग्री है। इस सन्दर्भ में प्रकाशन को केवल इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि सूचना सही है। निजता भी एक अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ निरंतर टकराव की स्थिति में है।

इस मामले में प्रासंगिक एक नेता के नैतिक गुण

- ईमानदारी
- उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करना
- मूल्य जागरूकता
- विश्वसनीयता

9.2. नेत्र दान और प्रत्यारोपण

(Eye Donation and Transplant)

पृष्ठभूमि

प्रत्यारोपण चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है हालांकि; इसे अनेक प्रकार की नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अवलोकन

- प्रत्यारोपण और अंग दान एक महान कार्य माना जाता है क्योंकि यह किसी को जीवन जीने का एक दूसरा अवसर प्रदान करता है।
- स्वस्थ जीवित अंग (विशेष रूप से मृतक के अंगों के मामले में) व्यर्थ नहीं जाते और एक जीवन को बचाने में मदद करते हैं।

यद्यपि दोनों पक्षों को इसमें कोई नुकसान नहीं होता (जीवित अंग प्रत्यारोपण के मामले को छोड़कर), तथापि कुछ नैतिक मुद्दे उभरकर अवश्य सामने आते हैं।

महत्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ

- देश में दान के लिए उपलब्ध अंगों की संख्या आवश्यकता से काफी कम है। यह स्थिति पारदर्शिता और वितरण मूलक न्याय का सवाल उठाती है।
- हालांकि जीवित अंग दान एक विकल्प है, अंग का मुख्य स्रोत एक मृत व्यक्ति होता है जिसके लिए उस व्यक्ति के परिवार की सहमति आवश्यक होती है।
- दूसरी ओर यह सहमति न केवल प्रक्रिया पर निर्भर करती है बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों पर भी निर्भर करती है।

नैतिक प्रश्न जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है

- मांग के मुकाबले आपूर्ति की अत्यधिक कमी को देखते हुए क्या अंग प्रत्यारोपण को 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए?
- एक व्यक्ति जो बाद में आता है किन्तु उसकी आवश्यकता कहीं ज्यादा गंभीर है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को केवल वितरण मूलक न्याय का अभ्यास करने के क्रम में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए?
- जबकि स्वयं मृतक अपने अंग दान करने का इच्छुक न रहा हो, ऐसे में क्या एक परिवार के सदस्य को मृतक के अंग को दान करने की अनुमति देने का अधिकार मिलना चाहिए?

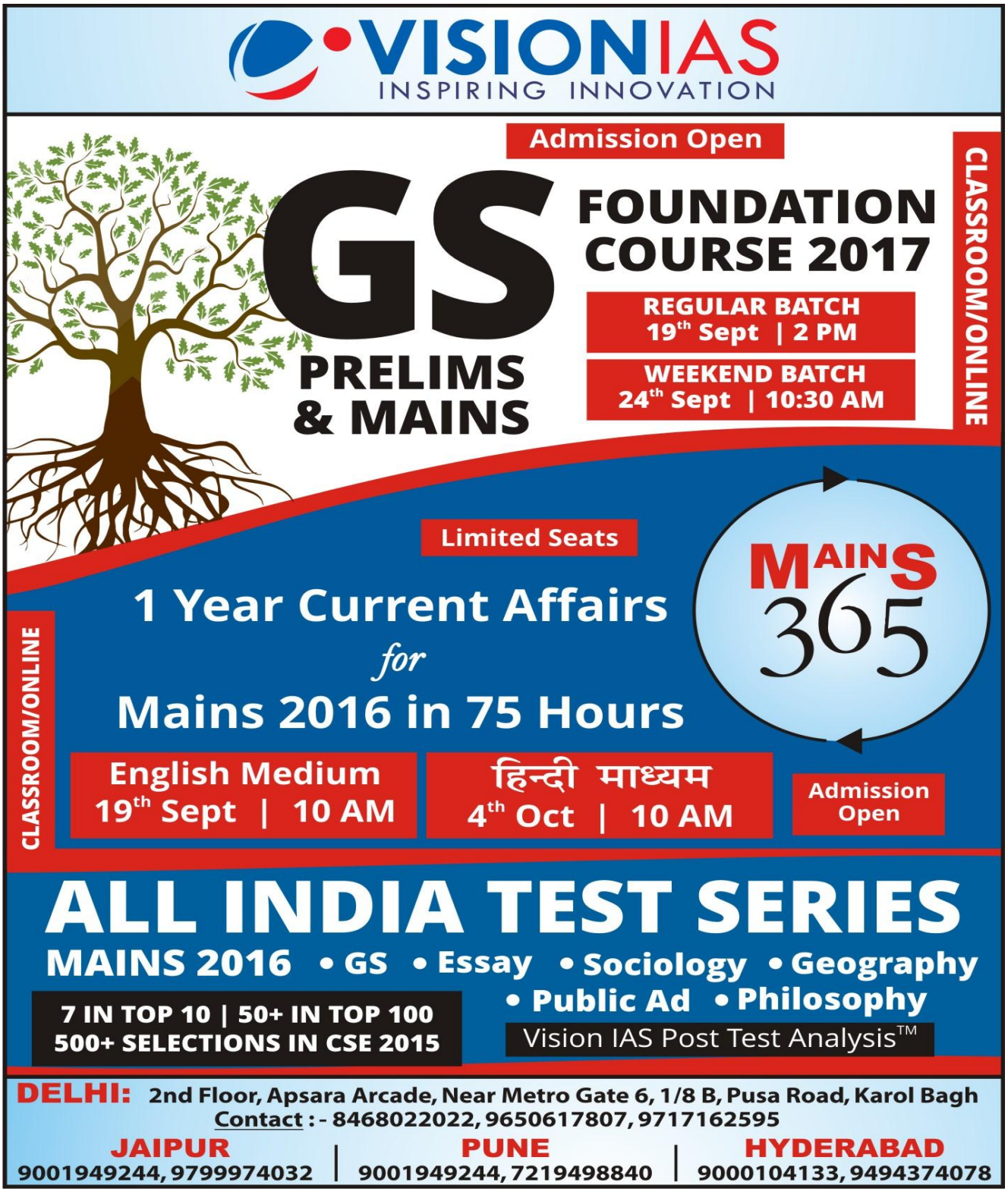

10. सुर्ख़ियों में

(ALSO IN NEWS)

10.1. उत्तराखंड आपदा: GVK पर 2013 की बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जुर्माना

(Uttarakhand Disaster: GVK Fined for Aggravating the Impact of 2013 Floods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- GVK पावर कंपनी जिसे अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (AHPCL) भी कहा जाता है को 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जुर्माने के रूप में 9.26 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
- यह निर्णय **राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण** (NGT) द्वारा दिया गया।
- मुआवजे के साथ-साथ, प्रत्येक आवेदक को एक लाख रुपये भुगतान करने के लिए NGT ने कंपनी को निर्देश दिया है।
- निर्णय में कहा गया है कि भले ही आपदा बादल फटने का परिणाम थी लेकिन कंपनी को इस परियोजना के एक भूवैज्ञानिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में जानकारी थी।
- यह एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि भारत में कंपनियों को बिना किसी दंड के संचालित होने का एक लंबा इतिहास रहा है।

पृष्ठभूमि

- GVK पावर कंपनी उत्तराखंड में **श्रीनगर जल विद्युत परियोजना** को क्रियान्वित कर रही है।
- उत्तराखंड के गढ़वाल, श्रीनगर में विनाश के लिए काफी हद तक कंपनी के जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया।
- कंपनी पर्याप्त एहतियाती उपाय किये बिना पहाड़ी ढलानों और नदी तल पर भारी मात्रा में मलबे और गाद की डंपिंग कर रही थी।
- न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाया गया आरोप सही साबित किया गया है।

10.2. वन्य जीव पैनल ने केन-बेतवा परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी

(Wildlife Panel Clears First Phase of the Ken-Betwa Project)

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा को जोड़ने की मंजूरी दे दी है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में गठित पैनल मध्य प्रदेश की केन और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को जलमग्न करने पर सहमत हो गया है।
- 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना से 600,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1.34 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

10.3. राष्ट्रीय अपशिष्ट जल पुनरुपयोग नीति की आवश्यकता

(Need for National Waste Water Reuse Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वैश्विक परामर्श फर्म PwC की, "क्लोजिंग द वाटर लूप: रियूज़ ऑफ ट्रीटेड वेस्टवाटर इन अर्बन इंडिया" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी जल संकट की अपनी **"स्थाई चिंताओं"** को हल करने के लिए भारत को **एक राष्ट्रीय अपशिष्ट जल पुनरुपयोग नीति** की आवश्यकता है।

PwC अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान से वर्ष 2050 के बीच शहरी आबादी में लगभग 404 मिलियन लोग और जुड़ेंगे, जिससे शहरी जल संकट पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- उपचारित जल के पुन: प्रयोग को संस्थागत करना इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने का दीर्घकालीन उपाय हो सकता है।
- अपशिष्ट जल क्षेत्रक सरकारी पहलों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और इसी के अनुसार कार्यान्वयन मॉडल डिजाइन किया जाना चाहिए।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नीतिगत पहलों के माध्यम से सम्मिलित होना चाहिए।
- उद्योगों को भूजल संसाधनों का दोहन करने से रोकने के लिए नियामकीय ढांचा महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- भूजल दोहन की वर्तमान कम लागत जल के पुन: प्रयोग को अलाभकारी बना देती है और भूजल संसाधनों को हमेशा के लिए समाप्त भी कर देती है।
- अध्ययन, औद्योगिक जल की विभिन्न श्रेणियों (ग्रेड) के गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को मिलकर काम करने का सुझाव देता है।
- इससे सम्पूर्ण राष्ट्र में अपशिष्ट जल के पुन:प्रयोग का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सफल बनाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

महत्व

- रिपोर्ट भारत में शहरी जल संकट की बुनियादी हकीकत को बताती है।
- हाल ही में कावेरी विवाद के दौरान हुई हिंसा या जाट आन्दोलन के दौरान दिल्ली का जल संकट इसकी एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है।
- रिपोर्ट में कुछ ठोस सिफारिशें हैं जोकि जल सम्बन्धी मुद्दों को काफी हद तक हल करने में भारत की सहायता कर सकती हैं।

UPSC - 2015 (मुख्य परीक्षा)

भारत अलवणजल (फ्रेश वाटर) संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है।

10.4. केन्द्र द्वारा नागरिकता विधेयक से सम्बंधित शंका का निवारण

(Centre Addresses Fears on Citizenship Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को धार्मिक आधार पर नागरिकता देने पर आपत्ति जताने वाले सांसदों के दबाव के कारण, सरकार ने जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किये गए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 में "विभेदित" शब्द जोड़ने का निर्णय लिया।

परिवर्तन और प्रभाव

- विधेयक में "धार्मिक अल्पसंख्यक" शब्द को अब "विभेदित धार्मिक अल्पसंख्यक "(discriminated religious minorities) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इसका मतलब यह है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करने वाले शिया और अहमदिया जैसे मुस्लिम संप्रदाय भी नागरिकता के लिए पात्र होंगे।
- मुसलमानों के अतिरिक्त सभी धार्मिक समुदायों को भारत में अनुमति देने की सरकार की योजना की कई सांसदों द्वारा आलोचना के बाद यह परिवर्तन किया गया।

[नोट: विधेयक में प्रस्तावित सभी संशोधनों को जानने के लिए विजन करंट अफेयर्स का अगस्त 2016 अंक देखें।]

10.5. केन्द्र ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की

(Centre Hikes Minimum Wages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्च मजदूरी की मांग और ट्रेड यूनियनों द्वारा रखी गई 12 सूत्री मांगों को मानने की सरकार की अनिच्छा के खिलाफ ज्यादातर ट्रेड यूनियनों ने 2 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल की।

मुद्दा

- श्रम मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस पर नियम बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी की सीमा घोषित करने की शक्ति है।
- न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार ने केंद्र सरकार के अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की।
- वेतन 246 रुपये प्रति दिन से बढ़ा कर 350 रुपये प्रति दिन कर दिया जाएगा।
- वेतन वृद्धि के कदम से खानों, विनिर्माण और सफाई व्यवस्था जैसे क्षेत्रों के 10 लाख से अधिक श्रमिकों को फायदा होगा।

- हालांकि, श्रम संघ असंतुष्ट रहे और श्रम सुधारों, लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश और कर्मचारियों के संविदाकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित हड़ताल पर जाने का फैसला किया।

10.6. विश्व लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक

(World Logistics Performance Index)

- किसी देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गेटवे पर उसके लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन को मापने वाले विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के द्विवार्षिक आंकलन, जिसे लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक (LPI) कहा जाता है, में 2016 में भारत को 35 वां स्थान दिया गया है, वर्ष 2014 में भारत का इस सूचकांक में 54 वां स्थान था।
- जर्मनी 2016 की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, वहीं भारत, पुर्तगाल और न्यूजीलैंड जैसी अपेक्षाकृत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आगे है।
- लॉजिस्टिक में बेहतर प्रदर्शन न केवल भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाकर मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है बल्कि व्यापार की वृद्धि में भी मदद कर सकता है।
- LPI मापक छह घटकों अर्थात सीमा शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट, लॉजिस्टिक गुणवत्ता और क्षमता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, और समयबद्धता में प्रदर्शन पर आधारित है।
- यह सूचकांक सम्बद्ध हितधारकों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है, इस सर्वेक्षण का आधार, इन हितधारकों द्वारा जहा संचालन किया जाता है, उन देशों के तथा जिनके साथ हितधारक व्यापार करते हैं, उनके सन्दर्भ में लॉजिस्टिक के प्रति उन देशों की अनुकूलता के विषय में दिया गया फीडबैक है।
- लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक यह नहीं स्पष्ट करता है कि देश के भीतर या दूरदराज के इलाकों में वस्तुओं का आवागमन कितना सुगम या कठिन है।

10.7. FDI संवर्द्धन : विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा

(FDI Promotion: Permanent Residency Status for Foreign Investors)

- भारत ने, न्यूनतम निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास का दर्जा (Permanent Residency Status: PRS) देने का निर्णय लिया है।
- यह योजना PRS स्थिति की अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों और उनके परिवारों को, उनके प्रवास के दौरान बिना किसी शर्त के, अधिकतम 20 साल तक देश में बहु प्रवेश की अनुमति देगी।
- लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट और रहने के लिए एक आवासीय संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विदेशी निवेशकों को 18 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपये या 36 महीने के भीतर 25 करोड़ का ऐसा न्यूनतम निवेश करना होगा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 निवासी भारतीयों के लिए रोजगार का सृजन हो।
- PRS पहले 10 साल के लिए आवंटित होगा जिसकी समीक्षा अतिरिक्त 10 साल के लिए की जा सकती है, अगर PRS धारक के खिलाफ कोई प्रतिकूल सूचना ना हो।
- यह योजना दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पसंदीदा स्थलों सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की इसी तरह की अन्य योजनाओं के समान है।

10.8. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना

(National Apprenticeship Promotion Scheme)

- सरकार ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय और 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना को अधिसूचित किया है।
- यह अद्वितीय है क्योंकि, यह नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली पहली योजना है जिसमें एक प्रशिक्षु को देय निर्धारित मानदेय का 25% सीधे भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।
- प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं द्वारा पंजीकरण, अनुबंध का पंजीकरण तथा नियोक्ताओं को भुगतान सहित सभी लेनदेन ऑनलाइन किये जायेंगे।
- पात्र नियोक्ता, प्रतिष्ठान की कुल संख्या के 2.5% से 10% तक प्रशिक्षुओं को संलग्न करेगा।

- किसी पूर्व औपचारिक व्यापार प्रशिक्षण के बिना प्रशिक्षण के लिए आने वाले नव प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण लागत को प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझा करने के द्वारा यह योजना बुनियादी प्रशिक्षण को भी समर्थन प्रदान करती है।
- यह एक उद्यम केन्द्रित, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015, भारत में कुशल श्रमशक्ति निर्मित करने के एक प्रमुख घटक 'प्रशिक्षुता' पर केंद्रित है।

10.9. भारत विश्व व्यापार संगठन में अपील हारा

(India Lost Appeal in WTO)

पृष्ठभूमि

- भारत ने अपने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बड़ी सौर परियोजनाओं के लिए 'स्थानीय-क्रय' (buy-local) प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इसके तहत परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर निर्मित उपकरणों का प्रयोग किये जाने पर परियोजनाओं को सब्सिडी और सरकारी खरीद का आश्वासन दिया गया था।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इससे पहले इस वर्ष के शुरुआत में भारत में आयातित सौर उपकरणों के लिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के क्रम में इस प्रावधान के खिलाफ फैसला सुनाया था।
- WTO के अनुसार, स्थानीय सामग्री को प्रयोग करने का उपबंध स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को कमजोर करेगा, क्योंकि इस उपबंध के तहत अधिक महंगे और कम कुशल स्थानीय उपकरणों के उपयोग की अनिवार्यता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लागत प्रतिस्पर्धी होने को और अधिक कठिन बना देगी।
- हालांकि, यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में भारत के प्रयासों के लिए एक झटका साबित हुआ है।
- भारत के अनुसार, 'स्थानीय-क्रय' से संबंधित प्रावधान आर्थिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक और लोकप्रिय समर्थन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्योंकि वे रोजगार के अवसर निर्मित करते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, प्रक्रिया को लागत प्रभावी बनाते हैं, ट्रेड यूनियनों और वोट बैंक को उनके सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- इस प्रकार, भारत ने WTO के समक्ष इस मुद्दे पर एक अपील दायर की थी। हालांकि, हाल ही में अपील को खारिज कर दिया गया।

(इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए विजन करंट अफेयर्स का फरवरी 2016 संस्करण देखें)

10.10. भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)

(Merchandise Exports from India Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय निर्यातकों के सम्मुख निरंतर आने वाली चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण की पृष्ठभूमि में, वाणिज्य विभाग ने भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) के तहत कुछ नए उत्पादों को प्रोत्साहन दिया है और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पादों के लिए प्रोत्साहन दर में इजाफा किया है।

प्रोत्साहन के मुख्य बिंदु

- **नए उत्पादों की वृद्धि**: 2901 अतिरिक्त उत्पाद विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत जोड़े गए हैं। इसमें शामिल है:
- अश्वगंधा जड़ी और इसका अर्क, अन्य जड़ी बूटी, विभिन्न वस्तुओं के अर्क जैसी पारंपरिक दवाओं के कई मद
- कुछ समुद्री उत्पाद, समुद्री खाद्य वस्तुएँ
- सूखे प्याज, प्रसंस्कृत अनाज उत्पाद और प्लास्टिक की अन्य मूल्यवर्धित वस्तुयें, चमड़े की वस्तुएँ, सूटकेस आदि
- इंजीनियरिंग वस्तुएँ, कपड़े, वस्त्र, रसायन, चीनी मिट्टी, कांच उत्पाद, चमड़े के सामान, समाचार पत्र, पत्रिकायें, रेशम की वस्तुएं, कृत्रिम वस्तुएँ, ऊन उत्पाद, ट्यूब, पाइप आदि सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत औद्योगिक उत्पाद।

10.11. निर्यात बंधु योजना

(Niryat Bandhu Scheme)

- 2011 में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श देने पर केंद्रित निर्यात बंधु योजना की घोषणा की गई थी।

- इस योजना के तहत DGFT (निर्यात बंधु) के अधिकारी कानूनी तरीके से व्यापार का संचालन करने के इच्छुक व्यक्तियों को परामर्श देने में अपने ज्ञान और समय का निवेश करेंगे।
- नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में इस योजना पर विशेष बल दिया गया था।
- **Niryat Bandhu@Your Desktop** नामक एक कार्यक्रम ऑनलाइन परामर्श सुविधा के लिए पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया।
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप चिन्हित किया गया है।

10.12. भारत का पहला वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र

(India's First Commercial Arbitration Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए भारत का पहला प्रमुख केंद्र **मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA)** 8 अक्टूबर 2016 को मुंबई में शुरू किया गया।

महत्व

- यह भारत को **अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का एक केंद्र** बनाएगा।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने में मदद।
- वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र सिंगापुर, लंदन या हांगकांग के एक वैकल्पिक मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ भारतीय व्यवसाय संपर्क कर सकते हैं।
- भारत में मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
- इस वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र से हमारी न्यायिक प्रणाली का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी।
- महाराष्ट्र सरकार और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कानूनी समूहों के मध्य संयुक्त पहल।
- मध्यस्थता नियम अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के सर्वोत्तम नियमों पर आधारित होंगे।

10.13. एक्वाकल्चर को बढ़ावा

(Push for Aquaculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?:

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (IISS) का आयोजन विशाखापत्तनम में 23-25 सितंबर को किया गया। इसका थीम **"सुरक्षित और सतत भारतीय एक्वाकल्चर" (Safe and Sustainable Indian Aquaculture)** था।

एक्वाकल्चर क्या है?

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, "एक्वाकल्चर का अर्थ मछली, सीप, क्रसटेशियन और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है"।
- विशेष प्रकार की जलीय कृषि में मछली की कृषि, झींगा कृषि, सीप कृषि, सागरीय कृषि, एल्गाकल्चर (जैसे कि समुद्री शैवाल कृषि), और सजावटी मछली की कृषि शामिल है।
- एक्वापोनिक्स और एकीकृत बहु-स्तरीय मत्स्य पालन जैसे विशेष तरीके जो मत्स्य पालन और वनस्पति कृषि दोनों को एकीकृत करते हैं।

10.14. मुख्य भूमि से अंडमान को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे केबल

(Undersea Cable to Link Andaman with Mainland)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 1,102.38 करोड़ रुपये की लागत से समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को चेन्नई के साथ जोड़ने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- यह जल में डूबा हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) मुख्यभूमि (चेन्नई) और पोर्ट ब्लेयर एवं पांच अन्य द्वीप - लिटिल अंडमान, कार निकोबार, हैवलॉक, कमोर्ता और ग्रेट निकोबार को जोड़ेगा।
- वर्तमान में, दूरसंचार संपर्क उपग्रहों के माध्यम से है जोकि महंगा है और जिसकी बैंडविड्थ सीमित है।
- कनेक्टिविटी से द्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
- ✓ इससे द्वीपों में ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन, ई-कॉमर्स सुविधाओं और उद्यमों की स्थापना में सहायता मिलेगी।

✓ यह ज्ञान साझा करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को समर्थन प्रदान करेगी और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में भी सहायता करेगी।

10.15. 94.4% परिवारों में बैंक खाते

(94.4% Households Have Bank Accounts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** से पता चला है कि 2015-16 में लगभग 94.4 फीसदी परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे।
- यह आंकड़े 2011 की जनगणना के सरकारी आंकड़ों, जिसके अनुसार 58.7 फीसदी भारतीय परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे से कहीं ज्यादा हैं।

मुख्य तथ्य

- 93.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 96.8 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास एक बचत बैंक खाता था।
- बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से कम थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक संभवतः प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इस उपलब्धि में विशेष भूमिका निभाई है।

10.16. GST परिषद द्वारा कर सीमा और अन्य समझौतों के लिए छूट निर्धारित

(GST Council Sets Exemption for Tax Threshold and Other Agreements)

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्णय लिया है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के 10 लाख रुपये से कम वार्षिक लाभ वाले कारोबार GST तंत्र से बाहर रहेंगे।
- भारत के बाकी हिस्सों में छूट की सीमा 20 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर होगी।
- GST में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान का रास्ता संविधान संशोधन द्वारा साफ किया गया है।
- **प्रभाव:** कई छोटे स्तर के व्यापारी और सेवा प्रदाता GST नियमों के अनुपालन से बच जायेंगे और यह कर अधिकारियों के छोटे डीलरों का आकलन करने के बोझ को भी कम कर देगा।

10.17. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

(Market Economy Status to China)

- भारत 2001 की तरह चीन को " बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा (MES) " दिए जाने के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है, WTO के सदस्य देशों ने दिसंबर 2016 से एंटी-डंपिंग मामलों में चीन को 'बाजार अर्थव्यवस्था' मानने का निर्णय लिया।
- 2001 के समझौते के अनुसार, एंटी-डंपिंग मामलों के सम्बन्ध में निर्णय करते हुए यह निर्धारित किया गया कि निर्यातित वस्तुओं के 'सामान्य' मूल्य की गणना हेतु WTO के सदस्य राष्ट्र 15 वर्षों के लिए चीन में उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य की उपेक्षा कर सकते थे।
- 1994-2014 के बीच 535 मामलों में, जहां भारत द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था, उनमें से 134 मामले चीन की वस्तुओं से सम्बंधित थे।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्ज़ा दिए जाने का अर्थ होगा कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने की संभावना कम होगी या यदि ऐसे शुल्क लगाए भी जाएँ तो उनकी दरें कम होंगी।

10.18. बेरोजगारी 5 वर्षों में शीर्ष पर

(Joblessness Rises to 5-Year High)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी की दर 2015-16 में बढ़कर पांच साल के उच्चतम स्तर 5 प्रतिशत पर पहुँच गयी है।

मुख्य तथ्य

- महिलाओं के लिए बेरोजगारी की दर 2013-14 में 7.7 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में तेजी से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2013-14 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 5.1 प्रतिशत हो गयी है।
- जबकि इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में यह 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत पर आ गयी है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **त्रिपुरा (19.7 फीसदी)** शीर्ष पर है।

10.19. निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु नई पहलों को मंजूरी

(New Initiatives Approved to Revive the Construction Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्माण क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने हेतु पहलों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी है।

निर्माण क्षेत्र का महत्व

- यह आर्थिक गतिविधियों में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8% हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- यह FDI में सेवा क्षेत्र के बाद दूसरा सर्वोच्च प्रवाह क्षेत्र है।
- यह लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए और प्रत्येक 1.00 लाख रु के निवेश पर परोक्ष रूप से 2.7 नई नौकरियां पैदा करते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।
- क्षेत्र के प्रमुख अग्र (बुनियादी ढांचा, अचल संपत्ति, निर्माण) और पश्च (इस्पात, सीमेंट, आदि) संबंध है, जो आर्थिक विकास पर एक उच्च गुणक प्रभाव डालते है।

10.20. छोटे किसानों के लिए कृषि पुरस्कार

(Krishi Puruskars for Small Farmers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कृषि पुरस्कारों की घोषणा करता है।

लक्ष्य

खेती के सतत एकीकृत मॉडल विकसित करने में/ कृषि के किसी भी क्षेत्र में नए नवाचारों के विकास में/ मूल्य श्रृंखला के विकास में/ वर्टीकल फार्मिंग मोड्यूल्स या अन्य इस तरह के अद्वितीय प्रकृति के योगदानों के विकास में सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों के योगदानों की पहचान करने के लिए।

पुरस्कार के बारे में

- पुरस्कारों में एक प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपये का एक पुरस्कार और प्रत्येक 50 हजार रुपये के 11 संभागीय पुरस्कार शामिल है।
- यह पुरस्कार कृषि खेती के एकीकृत और सतत मॉडल के विकास में सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों के योगदान को पहचानने के लिए प्रारंभ किये गये हैं।
- सभी पुरस्कार विजेताओं को विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित पुरस्कार समारोहों में राजनीतिक नेतृत्व, विभिन्न राज्य पदाधिकारियों, वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र के किसानों की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा।

10.21. भारत की नवाचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टास्क फ़ोर्स

(Task Force to Boost India's Innovation System)

सुर्खियों में क्यों?

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अभिनव देश के रूप में भारत की स्थिति का आकलन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए उपाय सुझाए हैं।
- यह एक आठ सदस्यीय कार्य बल है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से लोग शामिल है।

वर्तमान स्थिति

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में भारत की रैंकिंग 15 स्थान बढ़कर 66 वें स्थान पर पहुंच गयी है।
- भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में शीर्ष पद बरकरार रखा है।
- भारत मध्य और दक्षिणी एशिया में शीर्ष स्थान वाली अर्थव्यवस्था है।
- भारत मध्य वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं के बीच नवाचार की गुणवत्ता मामले में दूसरे स्थान पर है।

10.22. सिक्किम का स्वच्छ भारत अभियान के कवरेज में शीर्ष स्थान

(Sikkim Tops Coverage in Swachh Bharat)

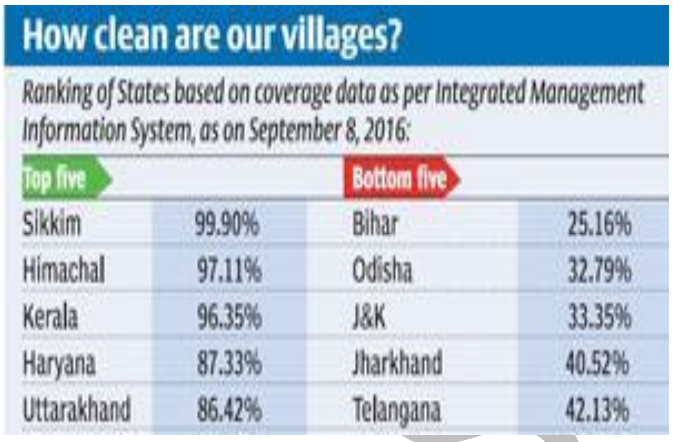

- अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के करीब दो साल के बाद, स्वच्छ भारत (ग्रामीण) के कवरेज के लिए रैंकिंग में राज्यों के बीच सिक्किम, शीर्ष पर उभरा है, जबकि बिहार अंतिम स्थान पर है।
- चयनित 75 जिलों की रैंकिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी है।
- अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, हिमाचल प्रदेश (97.11 प्रतिशत कवरेज) और केरल (96.35 प्रतिशत) हैं, जबकि
- ओडिशा (32.79 फीसदी), जम्मू और कश्मीर (33.35 फीसदी) और झारखंड (40.52 फीसदी) ने खराब प्रदर्शन किया हैं।

10.23. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी

(National Academic Depository)

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD), शैक्षणिक पुरस्कारों की एक डिजिटल डिपॉजिटरी का उद्घाटन किया ।
- इसका लक्ष्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए वित्तीय सुरक्षा, डिपॉजिटरीज के डिजिटलीकरण और विभौतिकीकरण (dematerialization) की प्रतिकृति तैयार करना है।
- डिजिटल डिपॉजिटरी से पुरस्कार सत्यापित, प्रमाणीकृत, आकलित और पुनर्प्राप्त किये जाएंगे ।
- यह पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए एक कदम है।
- NAD सभी शैक्षिक संस्थानों में सभी शिक्षा प्रमाण पत्रों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो का विकास करेगा जिन्हें रोजगार, उच्च शिक्षा और ऋण के लिए आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- NAD बोर्ड / विश्वविद्यालयों, जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, के साथ सीधे एकीकृत होगा जिस से प्रमाण पत्र अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी।

10.24. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा

(New Delhi Declaration on Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

BRICS देशों ने BRICS के शिक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक में शिक्षा पर 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- BRICS देशों के बीच अनुसंधान सहयोग और ज्ञान के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी ढांचे का विकास करना।
- छात्रों और विद्वानों को आने जाने की सुविधा और शिक्षकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

SDG लक्ष्य 4: सभी के लिए समावेशी और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने से सम्बन्धी लक्ष्य

- शैक्षिक गतिशीलता की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली, स्वीकृति और मान्यता की प्रक्रिया, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन, तथा प्रचलित प्रक्रियाओं और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं एवं योग्यता की मान्यता से सम्बंधित जानकारी साझा करना।
- प्रत्येक देश के भीतर एक नोडल संस्था स्थापित करना और BRICS के सदस्य देशों के बीच आईसीटी नीतियों, ओपन शैक्षिक संसाधन और ई-पुस्तकालय सहित अन्य ई-संसाधन, साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र निर्मित करने के लिए।

- शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षक विकास और शैक्षिक योजना और प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करना।
- युवा लोगों और वयस्कों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- SDG4 तथा इससे सम्बद्ध लक्ष्यों के व्यापक दायरे के भीतर देश-विशिष्ट लक्ष्य तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना।
- BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग पर BRICS देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम क्रियाओं को साझा करना।

10.25. वक्फ संपति

(WAQF Properties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देशभर में वक्फबोर्ड की भूमि, जिसमे भवन, मॉल, स्कूल, हॉस्टल और कार्यालय सम्मिलित होंगे, के वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग की योजना बना रहा है।

न्यायमूर्ति जी आर भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशें

- वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को विकेंद्रित करना और राज्य भर में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों के संजाल के प्रबंधन हेतु जिला वक्फ बोर्डों का गठन करना।
- वक्फ बोर्ड के सदस्यों और वक्फ आयुक्त में शक्ति के केन्द्रीकरण को रोका जाए और जिम्मेदारियों से बचने के मार्गों को बंद किया जाय।
- सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाये और किसी को भी एक से अधिक अवधि के लिए पद धारण करने से रोका जाए। वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण और लेनदेन में एक सदस्य या उनके करीबी रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- पट्टे और किरायेदारी के संबंध में कानूनों और नियमों को बदला जाना चाहिए।
- शीघ्र संभव समय में वक्फ संपत्तियों का पूर्ण सर्वेक्षण और नामांकन।
- अनधिकृत बिक्री के खिलाफ वक्फ संपत्तियों के न्यासियों को अदालत तक जाने के लिए सशक्त बनाना।
- बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्तियों की कोई बिक्री पंजीकृत नही होगी।

10.26. लिंग निर्धारण रोकथाम

(Preventing Sex Determination)

- जन्म के पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों की जाँच करने के लिए ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट एक "दायित्व" के तहत आते हैं;
- सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस तरह की सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक तरीकों को विकसित करने का निर्देश दिया।
- गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट लिंग निर्धारण पर कानून का पालन करने के लिए सहमत हुए है और अब इन पर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन या "किसी भी प्रकाशित सामग्री"की अनुमति नही होगी।
- कंपनियों ने एक तकनीक "ऑटो ब्लॉक" विकसित की है जो लिंग निर्धारण पर विज्ञापनो को प्रतिबंधित करेगी।

10.27. गंगा जल में भारी धातु और कीटनाशक के निशान : CPCB

(Ganga Water has Heavy Metal and Pesticide Traces: CPCB)

खबरों में क्यों ?

CPCB ने नदी में प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट, एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत की है।

अवलोकन

- गंगा नदी को कई स्थानों पर (ऊपरी हिमालयी विस्तार और मैदानों जैसे हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा और कानपुर) अवरुद्ध कर दिया गया है या बांधों का निर्माण कर दिया गया है और पानी को विभिन्न उपयोगों के लिए बाँट दिया गया है। नतीजतन, पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक पवित्रता खतरे में पड़ चुकी है।

- हरिद्वार और कानपुर के बीच 543 किलोमीटर की दूरी, 1,072 गंभीरता से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जो भारी धातुयें और कीटनाशक मुक्त कर रहे हैं, से प्रभावित थी।
- गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता जीवाणु संक्रमण और फीकल कॉलिफोर्म की उपस्थिति दिखा रही है।

(a) अनुपचारित सीवेज की 823.1 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) एवं औद्योगिक कचरे की 212.42 MLD मात्रा नदी में प्रवाहित होती है जबकि निगरानी में रखे चार में से तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी धातुओं और कीटनाशकों जैसे प्रदूषकों के चिह्न की उपस्थिति पायी गयी है।

(a) उद्योगों द्वारा जीरो लिक्विड निर्वहन (ZLD) के संबंध में, सीपीसीबी यह ने कहा कि उन्हें पहले से ही आसवनी, चमड़े के कारख़ानों और कपड़ा इकाइयों में ZLD को प्राप्त करने का निर्देश दे दिया गया है। जैसा कि यह अनिवार्य है कि क्रोमियम की तरह कुल घुलित ठोस और रसायनों को निपटारा करने से पहले अलग कर दिया जाए।

10.28. पश्चिमी घाट वृक्षारोपण 204 पक्षी प्रजातियों के लिए घर

(Western Ghats Plantations Home to 204 Bird Species)

खबरों में क्यों?

- "Producing Diversity: Agro forests Sustain Avian Richness and Abundance in India's Western Ghats," (उत्पादन विविधता: भारत के पश्चिमी घाट में कृषि जंगलों ने पक्षी समृद्धि और बहुतायत को बनाए रखा है) नामक रिपोर्ट/अध्ययन, फ्रंटियर्स के वर्तमान संस्करण में पारिस्थितिकी और विकास में प्रकाशित होने जा रहा है।
- यह अध्ययन वस्तुतः **वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी-भारत** में शामिल वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किया गया।

वन्यजीव संरक्षण सोसायटी-भारत (WCS-India) कार्यक्रम के विषय में ;

- बेंगलुरू में आधारित WCS भारत कार्यक्रम ने सरकारी और गैर-सरकारी सहयोगियों के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से बाघों और अन्य वन्य जीवों पर अत्याधुनिक अनुसन्धान को राष्ट्रीय क्षमता निर्माण एवं प्रभावी साइट आधारित संरक्षण के साथ जोड़ दिया है।
- WCS-भारत कार्यक्रम, वैज्ञानिक और संरक्षण केन्द्रित प्रयासों के द्वारा लोगों में प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रेरित करने और उस दृष्टिकोण के पोषण द्वारा वन्य जीवों एवं वन्य भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- पश्चिमी घाट में कॉफी, रबर और सुपारी के जंगल 13 स्थानिक सहित 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी के लिए अधिवास है।
- अध्ययन में पाया गया कि कॉफी बागान सुपारी और रबर की तुलना में अधिक पक्षियों के लिए घर थे , लेकिन सभी तीन कृषि जंगल पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी घाट क्षेत्र में पक्षी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे।
- अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों ने पक्षी विविधता के संबंध में वृक्ष घनत्व और आसपास के क्षेत्रों में वृक्ष आवरण के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक सहयोग पाया।
- वृक्षावरण उच्च पक्षी प्रजाति समृद्धि के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण कारक है।
- बदलती कृषि पद्धतियां जो कि छाया वृक्ष कैनोपी को कम करती हैं या कॉफी और सुपारी से मोनोकल्चर फसल जैसे- रबर की खेती की ओर उन्मुख होने से पक्षियों के लिए आवश्यक इन कृषि जंगलों की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है।
- पश्चिमी घाट के कृषि जंगल भारत के पक्षियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण पूरक की भूमिका निभाते हैं।

10.29. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

(Shanti Swarup Bhatnagar Award)

- सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की जो 1958 से भारत में बहु-विषयक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- पार्थ सारथी मुखर्जी ने रसायन विज्ञान वर्ग, जबकि सुनील कुमार सिंह ने पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया।

- आईआईटी कानपुर के अविनाश कुमार अग्रवाल और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के वेंकट नारायण पद्मनाभन ने इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया है।
- मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) से अमलेंदु कृष्णा और आईआईटी दिल्ली से नवीन गर्ग को गणितीय विज्ञान वर्ग में चुना गया है।
- आईआईटी कानपुर से सुब्रमण्यम अनंत रामकृष्ण और IISc से सुधीर कुमार वेम्पति ने संयुक्त रूप से शारीरिक विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया है।
- "नवप्रवर्तन (इनोवेशन)" के लिए प्रौद्योगिकी पुरस्कार दृश्यता मापने की एलईडी आधारित प्रणाली 'दृष्टि' के लिए सीएसआईआर की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलुरू को प्रदान किया गया।
- दृष्टि (Drishti) एक दृश्यता मापन प्रणाली है जो भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ हेतु रनवे पर दृश्यता की जानकारी पायलटों को देने के लिए स्थापित की गयी है।

10.30. 3-पैरेंट तकनीक से जन्मा दुनिया का पहला बच्चा

(World's First Baby Born from 3-Parent Technique)

- अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक विवादास्पद नई तकनीक का उपयोग कर भ्रूण में तीन माता-पिता से डीएनए शामिल करके दुनिया के पहले बच्चे का जन्म कराया गया।
- बच्चे के अभिभावक जार्डन मूल के है तथा ये मैक्सिको में पांच महीने पहले पैदा हुआ था और वर्तमान में बिलकुल स्वस्थ है।
- चूंकि, लड़के की माँ अपने माइटोकांड्रिया में ऐसे जीन धारण करती थी जो एक घातक तंत्रिका तंत्र विकार से ग्रस्त थे जिसे लेह सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, डॉक्टरों ने स्पाइंडल न्यूक्लियर ट्रान्सफर (धुरी परमाणु हस्तांतरण) तकनीक का प्रयोग कर उसके परमाणु डीएनए का इस्तेमाल किया और एक अंडा दाता के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ संयुक्त कर दिया।
- मां के एक अंडे में से नाभिक हटा दिया गया और एक दाता के अंडे में डाला गया जिसमें से नाभिक हटा लिया गया था।
- परिणामस्वरूप प्राप्त अंडा जिसमें एक दाता का माइटोकांड्रियल डीएनए और मां का परमाणु डीएनए था, को पिता के शुक्राणु के साथ निषेचित किया गया था।
- इससे पहले इसी तरह के प्रयास में कुछ बच्चों में आनुवंशिक विकार विकसित हो गये जिसके कारण इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

10.31. रोसेट्टा: अद्यतन जानकारी

(Rosetta: Updates)

- धूमकेतु, 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P /चुर्युमोव-गेरासिमेंको) का ऊपरी जायज़ा लेने तथा सभी कोणों से फोटोग्राफी करने के लिए, यूरोप का रोसेट्टा अंतरिक्ष यान को ग्यारह वैज्ञानिक उपकरणों और फिले नाम के एक लैंडर के साथ छोड़ा जा चूका है, इसकी अवधि 12 साल है।
- रोसेट्टा के कैमरों से पता चलता है कि धूमकेतु 67P अपने विशिष्ट "शरीर"(Body) और "सिर" (Head) एवं "गर्दन" (Neck) में एक दरार के साथ एक (rubber bath duck) जैसा दिखता है , यह आकार कई बिलियन वर्षों पूर्व दो वस्तुओं के कम वेग पर आपस में टकराकर जुड़ने से बना।
- धूमकेतु की सतह आश्चर्यजनक रूप से कम "नरम (fluffy)" और उम्मीद से बहुत अधिक कठोर थी, और धूल की एक पतली परत के कारण अत्यधिक अंधेरी और गैर-परावर्तक थी।
- धूमकेतु पर उम्मीद की तुलना में काफी कम गीली बर्फ (water ice) थी और यह कुछ सेंटीमीटर (इंच) से लेकर पांच मीटर (18 फुट) आकार के कंकड़ और चट्टानों से भरा था और गहरे खड्डों से युक्त था।

- धूमकेतु पर पानी हमारे ग्रह पर की तुलना में बहुत अलग "प्रकार" का है जिसमें तीन गुना अधिक ड्यूटेरियम है (एक भारी हाइड्रोजन समस्थानिक)।
- 67P में मापन योग्य चुंबकीय क्षेत्र नही है जिसका अर्थ है कि चुंबकत्व ने शुरूआती सौर प्रणाली में मलबे के एकत्रीकरण द्वारा ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और चन्द्रमाओं के निर्माण में कोई योगदान नही किया।

10.32. परम-ईशान सुपर कंप्यूटर का शुभारम्भ

(Param-Ishan Supercomputer Launched)

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम-ईशान का शुभारंभ किया।
- परम-ईशान 250 टेराफ्लॉप्स की शक्ति और तीन सौ टेरा बाइट्स की क्षमता से युक्त है।
- इस सुपर कंप्यूटर का कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, कम्प्यूटेशनल तरल गतिकी, कम्प्यूटेशनल विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं, नाना-ब्लॉक सेल्फ असेम्बल, अनुकूलन(optimization) आदि जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है
- इसे मौसम, जलवायु मॉडलिंग और भूकंपीय डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

10.33. प्रबल दोस्तिक -16

(Prabal Dostyk-16)

- यह भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है।
- 'प्रबल दोस्तिक ' का अर्थ 'मजबूत मैत्री' है ,यह सैन्य के साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह हाल ही में कजाखस्तान के करागान्दा क्षेत्र में आयोजित किया गया।
- इस 14 दिनों के अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की छतरी के नीचे आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवाद विरोधी आपरेशनों के क्रम में दोनों सेनाओं के बीच अंर्तकार्यकारी समझ बढ़ाने के के साथ दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है ।

10.34. भारत सर्न (CERN) का एक एसोसिएट सदस्य बनने के लिए तैयार

(India to Become an Associate Member of CERN)

- भारत अगले कुछ महीनों में सर्न (कण भौतिकी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला) का एक सहयोगी सदस्य बनने वाला है।
- सर्न (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन) दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक लार्ज हैड्रान कोलाइडर (एलएचसी) को संचालित कर रहा है और हिग्स बोसॉन की खोज (ईश्वर कण के रूप में लोकप्रिय) के साथ जुड़ा हुआ है।
- वर्तमान में भारत को "पर्यवेक्षक" का दर्ज़ा प्राप्त है जो गैर-सदस्य राज्यों को परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए और संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लिए बिना परिषद दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है।
- एक एसोसिएट सदस्य के रूप में भारत संगठन के खुले और प्रतिबंधित सत्र में भाग लेने का हकदार होंगा ।

10.35. अपरिपक्व जन्म का रहस्य खुला

(Preterm Birth Mystery Unlocked)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारतीय शोधकर्ताओं ने अपरिपक्व जन्म (28 और 32 के बीच गर्भ के सप्ताह) घटित होने की प्रक्रिया को समझकर एक बड़ी खोज की है।

प्रक्रिया

- ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस (जीबीएस) जीवाणु सामान्य रूप से मानव योनि में पाए जाते हैं और उनकी संख्या कुछ गर्भवती महिलाओं बढ़ सकती है। जीबीएस बैक्टीरिया को एम्नियोटिक झिल्ली के समय से पहले टूटने और अपरिपक्व जन्म के साथ संबद्ध किया गया है।
- ग्राम पॉजिटिव ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस (जीबीएस) बैक्टीरिया छोटे गुब्बारेंनुमा संरचना बनाते हैं जिन्हें झिल्ली पुटिका कहा जाता है। इन झिल्ली पुटिकाओं में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि भ्रूण और मातृ कोशिकाओं दोनों को मारते हैं और कोलेजन जो कि कोशिकाओं को एक साथ बांधता है ,उसे भी नष्ट करते हैं।

महत्व

- आम तौर पर, एक गर्भावस्था का समय 40 सप्ताह तक रहता है, लेकिन अपरिपक्व जन्म के मामले में 28 और 32 सप्ताह के बीच होता है। दुनिया में सर्वाधिक अपरिपक्व जन्म भारत (35%) में होते हैं।
- अपरिपक्व जन्म वाले बच्चों के शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं और उन्हें सांस लेने में समस्या हो सकती है और वे संक्रमण सहित अन्य जटिलताओं से भी ग्रस्त हो सकते हैं।
- यह निष्कर्ष इसके कारण और इसकी रोकथाम के साथ अच्छी तरह से इलाज को समझने में मदद कर सकता है। यह शिशु मृत्यु दर जो अपरिपक्व जन्म के मामले में काफी अधिक है, को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

10.36. सबसे धीमा मैग्नेटर मिला

(Slowest Magnetar Spotted)

- नासा के खगोलविदों ने सबसे धीमा मैग्नेटर- चुम्बकीकृत न्यूट्रॉन खोज लिया है।
- मैग्नेटर को 1E 1613 के रूप में जाना जाता है, यह पृथ्वी से 9,000 प्रकाश वर्ष स्थित एक सुपरनोवा विस्फोट RCW 103 के अवशेषके केंद्र में है।
- जब विशाल तारे सुपरनोवा में मरते हैं और उनके कोर का पतन होता है तो न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अनिवार्य रूप से न्यूट्रॉन निर्मित करने के लिए एक दूसरे में मिलते हैं।
- मैग्नेटर औसत न्यूट्रॉन स्टार की तुलना में एक हजार गुना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र धारण करता है। जिसके द्वारा सृजित परिणामी आकर्षण तारे द्वारा घूर्णन में अधिक समय लेने का कारण बनता है।

10.37. सारथी

(Sarathi)

- यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा निर्मित छह अपतटीय गश्ती पोतों (OPV) की श्रृंखला में तीसरा जहाज है।

विशेषताएँ

- यह एक जुड़वां इंजन वाले हल्के हेलीकाप्टर और पांच उच्च गति नौकाओं का वहन कर सकता है।
- यह चरम मानसून के दौरान और किसी जटिल समुद्री स्थिति में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है।
- यह 25 से अधिक समुद्री मील की गति को प्राप्त कर सकता है।

- इसके छोटे turning cycle diameter इसकी गतिशीलता और जल्दी से मुकाबला करने की स्थिति में आने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
- यह बेहतर ईंधन दक्षता, टिकाउपन, क्रू-कम्फर्ट (चालक दल-आराम), और कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान (ergonomics) और हेड स्पेस से युक्त है।

महत्व

- बढ़ी परिचालन क्षमता: यह तटरक्षक के स्विफ्ट बोर्डिंग संचालन, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्ती को बढ़ावा देगा।

✓ पर्यावरण संरक्षण: यह जहाज समुद्र में तेल रिसाव की घटना को रोकने के लिए उपयुक्त उपकरणों को ले जा सकता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE
Classes also available

www.visionias.in

GS CLASSROOM PROGRAMS
Continuous Assessment through Assignments and All India Test Series
Individual Guidance | Comprehensive and Updated Study Material

GENERAL STUDIES
FOUNDATION COURSE
- for GS Prelims | - for GS Mains
- for GS Prelims and Mains
21 Nov | Regular Batch | 26 Nov | Weekend Batch
ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM
- for GS Prelims and Mains 2018 and 2019
21 Nov | Regular Batch | 26 Nov | Weekend Batch
GS Prelims Fast Track Course
Advanced Course for GS Mains
PT 365 - One Year Current Affairs for Prelims
Mains 365 - One Year Current Affairs for Mains
Ethics Module
Essay Enrichment Program
For details visit: www.visionias.in

CSE 2015

TINA DABI
AIR-1

ARTIKA SHUKLA
AIR-4

SHASHANK TRIPATHI
AIR-5

CSE 2013

GAURAV AGRAWAL
AIR-1
200+ Selections in CSE 2013

50+ in top 100
500+ Selections in CSE 2015

PHILOSOPHY
by Anoop Kumar Singh
45 days program @ JAIPUR 10th Nov | PUNE 1st Dec
Includes comprehensive and updated study material
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

ALL INDIA TEST SERIES
Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program
PRELIMS
✓ General Studies
✓ CSAT
MAINS
✓ General Studies
✓ Geography
✓ Essay
✓ Philosophy
✓ Sociology
/visionias.upsc
/Vision_IAS
/c/VisionIASdelhi

DELHI: 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh. Contact : - 8468022022, 9650617807, 9717162595
JAIPUR 9001949244, 9799974032 | PUNE 9001949244, 7219498840 | HYDERABAD 9000104133, 9494374078